खण्ड-331, अंक-1
गुरूवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1900
(6 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३१३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
एबल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ना बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरदत्त सोलंकी, श्री
गुरुप्रसाद, श्री

गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवार सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दय राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खो प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री

नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल श्री, (एटा)
प्रतापसिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुग्रांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बैजू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री

बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बंजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर बिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दो सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री

मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पांडेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री

राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लोलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजयराज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—विद्युत मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्रम विभाग के चिकित्सालयों के रोगियों की रजिट्रेशन फीस

**१--श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के चिकित्सालयों में अभी तक रोगियों से रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

श्रम विभाग के चिकित्सालयों में रोगियों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस न लिए जाने के आदेश २८ मार्च, १९७८ को जारी कर दिए गए हैं ।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण

**२--श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी) तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी और इन्टरमीडिएट विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए १८ प्रतिशत का आरक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । आशा है इस प्रकरण पर निर्णय शीघ्र ले लिया जावेगा।

श्री हाकिम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी इस आरक्षण को लागू करने की निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

शीघ्र होगा । जब तक सारे परीक्षण नहीं हो जाते हैं, तब तक तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

अनुसूचित जाति के बच्चों को जो आरक्षण देने की इस प्रश्न में चर्चा है, तो क्या अनुसूचित जाति के लोग जो आई० ए० एस०, विधायक या मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चों को भी यह आरक्षण मिलेगा ?

श्री काली चरण--

जैसा संविधान में उसके लिए प्रावधान है, उसी प्रकार से कार्यवाही की जायगी ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आरक्षण किया जायगा यह योग्यता के आधार पर, आर्थिक आधार पर या किसी दूसरे आधार पर किया जायेगा ?

श्री काली चरण--

इसके आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों होते हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी और इन्टरमीडिएट विद्यालयों में अनुसूचित जन जातियों का क्या प्रतिशत है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट स्कूलों में अनुसूचित जातियों के साथ-साथ पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मेरी सूचना यह है कि सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में २ प्रतिशत से भी कम अनुसूचित जातियों के अध्यापक हैं। तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी इस विषय की जो महत्ता है, उस पर गौर करते हुए, इस प्रश्न को जल्दी तय कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका वे उत्तर दे चुके हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय किया जायगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में जो पिछड़ी जातियों के बारे में आश्वासन दिया है, क्या उसमें भी जातिगत या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का वे विचार करते हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, मैंने यह बता दिया कि पिछड़ी जाति की सूची जो सरकार ने निर्धारित की है जिस आधार पर, उस आधार पर इस आरक्षण की व्यवस्था की जायगी ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति का जो आरक्षण किया गया है उसमें प्रतिशत क्या रहेगा ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, यह सरकार ने निर्धारित किया है १५ और १० प्रतिशत। कुछ सेवाओं में १५, कुछ में १० प्रतिशत यह निर्धारित किया है। उसी आधार पर यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में, जिसमें कि आरक्षण के विरुद्ध रोष प्रकट हो रहा है शिक्षार्थियों में, तो ऐसी सूरत में, कोई आश्वासन में वह तब्दीली तो करने नहीं जा रहे हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, निहित स्वार्थी वर्ग हमेशा किसी भी परिवर्तन के लिए उसका विरोधी होता है, तो इस विरोध के बारे में हमको परेशान नहीं होना चाहिए।

स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन दिए जाने की मांग

**३--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्राध्यापकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधा देने का निर्णय लिया है, वैसे ही स्नातक स्नातकोत्तर एवं विश्वविद्यालय के प्रध्यापकों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेन्शन देने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ?

श्री काली चरण--

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पेंशन दिए जाने के औचित्य को मानते हैं अथवा नहीं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसे हम मान कर ही क्या करेंग जब वे ही नहीं मानते जिनके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है। उनका उत्तर यह है कि वह मानकर ही क्या करेंगे जब वे ही नहीं मानते। मेरा अनुरोध है, कृपया वे अपने उत्तर को स्पष्ट करें।

श्री काली चरण—

श्रीमन्, अब तक जो सुविधा इन महाविद्यालयों को, जो गैर सरकारी हैं, उनके प्राध्यापकों को या उनके प्रधानाचार्यों को मिलती है, पेन्शन की समानता के बारे में जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, यदि वह राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधायें लागू कर दी जायं, तो उनकी सुविधायें और कट जायंगी। इसलिए वे मानते ही नहीं हैं कि यह कर दिया जाय। यदि वे कहें, तो हम तो विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री राजनाथ सिंह—

श्रीमन्, यह समझ में नहीं आता कि वे राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधा नहीं चाहते हैं। यदि वे नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से क्यों मांग की थी कि महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को वही सुविधाएं दी जानी चाहिये जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं? यदि माध्यमिक प्राध्यपकों के वेतन एवं सेवा शर्तें समान हैं, तो क्यों न महाविद्यालय के प्राध्यापकों को भी पेन्शन की सुविधा दी जाय?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों से महाविद्यालय के प्राध्यापकों की समानता की गई है, दोनों में बड़ा अन्तर है। गैर सरकारी महाविद्यालय के जितने प्राध्यापक या प्रधानाचार्य हैं उनके भविष्य निधि खाते में, सवा ६ प्रतिशत वेतन से कटौती करके जमा होता है और सवा प्रतिशत अंशदान सरकार देती है। इस तरह से साढ़े १२ प्रतिशत निरंतर प्रतिमाह उनके भविष्य निधि खाते में जमा होती जाती है। यह सरकारी महाविद्यालय के अध्यापकों को सुविधा प्राप्त नहीं है। अगर यह नियम लागू होता है, तो यह अंशदान जो सरकार का है यह उन्हें नहीं मिलेगा, उनका घाटा होगा। वे जितना पा चुके हैं, उसे भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। यह बात वे नहीं कहते हैं बल्कि वे कहते हैं कि बढ़ा दिया जाय। समानता की बात तो नहीं करता हूं। मैं अब भी कहता हूं कि अगर वह कहें कि राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों की तरह से उनको भी समानता प्रदान की जाय, तो श्रीमन्, इस प्रश्न पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूं।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

अभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेन्शन सरकारी कर्मचारियों के बराबर सरकार ने कर दी है, क्या यह पेन्शन की सुविधा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी मिलेगी?

श्री काली करण—

श्रीमन्, इस प्रश्न में कहीं है नहीं, इसके लिए उत्तर मंगाना पड़ेगा। उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अभी कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालय के अध्यापकों में अन्तर है, यह स्वीकार किया गया, तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस अन्तर को दूर करने के लिए कोई घोषणा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मंत्री दे चुके हैं कि जो शिक्षक इससे प्रभावित हैं, यदि वह तैयार हैं, तो वह अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

श्री नेम सिंह चौहान—

मेरा प्रश्न दूसरा है । उन्होंने उत्तर दिया कि माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों का वेतन कम है, विश्वविद्यालय के अध्यापकों का अधिक है, तो इस अन्तर को कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता । वह स्नातक और स्नातकोत्तर है, इसलिए दोनों की तुलना करना उचित नहीं है इस लिए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', (जिला कानपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वेतन–मान अधिक हैं इसलिए शिक्षक शायद पेन्शन आदि नहीं चाहते, तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंग कि प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक किसी संगठित वेतन–मान स्कीम–इंटीग्रेटेड टीचर्स सैलरी स्कीम का प्रयोग करेंगे जिससे एक समानता या सामंजस्य स्थापित किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है ।

श्री काली चरण—

इस सदन में मैं एक बार कह चुका हूं । उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि यह केवल नीचे से लेकर ऊपर तक के अध्यापकों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रदेश में जितने लोग हैं, चाहे कर्मचारी हों, काम करने वाले हों या काम न करने वाले हों, जिन्हें रोटी नहीं मिल पाती है, इस पूरे प्रश्न पर सरकार जब भी निर्णय लेगी, मैं भी उस पर कार्यवाही करूंगा ।

हरिद्वार गंगा नहर के पुल पर गैर हिन्दुओं के न जाने संबंधी सूचना–पट्ट

**४—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री राम अधार (जिला आजमगढ़), श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) तथा श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि हरिद्वार में गंगा नहर के पुल पर नगर–पालिका द्वारा निम्नलिखित सूचना पट्ट लगा है ? "सिवाय हिन्दुओं के और उन अफसरों के जो ड्यूटी पर हों और किसी आदमी को इस पुल पर जाने की इजाजत नहीं है", अगर हां, तो क्यों ?

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय) स्वायत्त शासन मंत्री—

जी हां।

नगरपालिका हरिद्वार द्वारा हर की पौड़ी क्षेत्र की स्वच्छता एवं पवित्रता को नियंत्रित करने हेतु निर्मित उप नियमों के अन्तर्गत यह पट्ट ४० वर्ष से भी अधिक पूर्व लगाया गया था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, यह सूचना-पट्ट ४० वर्षों से अधिक अवधि से लगाया गया है। पहली क्रांति १९४७ में हुई, अंग्रेज चले गये...

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, यह तो तर्क कर रहे हैं, प्रश्न कीजिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं मशीन नहीं हूं, अपनी बात धीरे-धीरे कहूंगा। ऐसा नहीं है कि बटन दबा दिया और...

श्री अध्यक्ष--

आप अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं जनता पार्टी की नीति से सम्बन्धित बात कर रहा हूं। तो मेरा मान्यवर, प्रश्न है कि १९४७ में पहली क्रान्ति हुई १९७७ में दूसरी क्रांति हुई, कांग्रेस आयी और गयी और संविधान ....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह तो व्याख्यान दे रहे हैं। जब भाषण करें, तो मैनिफेस्टो से संबंधित बयान दीजिएगा। जो प्रश्न मैं स्वीकार करूंगा वही लिखा जाय और नहीं।

आप इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हर की पौड़ी क्षेत्र की स्वच्छता एवं पवित्रता को किसी अन्य आदमियों से नष्ट होने का खतरा महसूस करती है ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह पूछ लें कि क्या गैर हिन्दुओं के जाने से पुल की स्वच्छता एवं पवित्रता को कोई खतरा है, क्या उनसे वह नष्ट हो जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

गैर हिन्दुओं के जाने से किसी भी प्रकार का पुल को न तो खतरा है न उसकी पवित्रता या स्वच्छता ही नष्ट होगी।

श्री अध्यक्ष--

आपका उत्तर फिर यह कैसे दिया गया है कि हर की पैड़ी क्षेत्र की स्वच्छता एवं पवित्रता को नियंत्रित करने हेतु निर्मित उप नियमों के अन्तर्गत यह पट्ट ४० वर्ष से भी अधिक पूर्व लगाया गया था। आप लिखते, वह हटेगा।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

सदन में जो सवाल पूछा गया था मान्यवर, उत्तर उसी का दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो लिखा है, इसका मतलब यह है कि आप भी उसे ठीक समझते हैं।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

जो फैक्ट्स मेरे पास हैं उसी के आधार पर मैंने सूचना दी है, जो प्रश्न पूछा जायेगा उसका उत्तर दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी संविधान की धारा १६ (घ) के अन्तर्गत इस सूचना पट्ट को हटाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं माननीय सदस्य से, जो वाराणसी कैंट से आते हैं, कहना चाहता हूं कि हमारे जिस संविधान की चर्चा उन्होंने की है, उसमें स्थानीय निकाय स्वतंत्र हैं। नगरपालिका हरिद्वार ने जो अपने नियम-उपनियम बनाये हैं उसके अनुसार ही यह वहां लगा हुआ है । आजकल वहां जनता द्वारा निर्वाचित बोर्ड नहीं हैं । अभी तक हरिद्वार नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है । वैसे मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इसको वहां से हटना चाहिये । मगर इस सम्बन्ध में जो वहां का निर्वाचित बोर्ड होगा वही निर्णय करेगा, वही उसके लिए सक्षम है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई भी स्थानीय निकाय संविधान के विरुद्ध या अस्पृश्यता निवारण कानून के विरुद्ध अपने कोई नियम या उपनियम नहीं बना सकते । वह स्वीकृति के लिए आपके पास आते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माध्यवर, वह संविधान या अश्पृश्यता कानून विरोधी हैं या नहीं, इसको तय यह सदन नहीं करेगा। वह अधिकार क्षेत्र किसी दूसरे का है। मेरा निवेदन यह है कि जो उप-नियम बना हुआ है उस उपनियम में परिवर्तन करने के लिये हरिद्वार नगर-पालिका ही सक्षम है ।

श्री अध्यक्ष--

इसको स्वीकृति स्वायत्त शासन विभाग से ली जाती है । आपके विभाग का कार्य है कि देखें इसमें कहीं संविधान के विरुद्ध तो नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित इस बात को सही मानते हुये कि म्युनिसिपल मैनुअल में स्पष्ट दिया है कि राज्य सरकार समय-समय पर नगर-पालिका को निर्देश जारी कर सकती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्पष्ट निर्देश नगरपालिका, हरिद्वार को देने की कृपा करेंगे कि इस पट्ट को तत्काल वहां से हटा दिया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में जो उप नियम बने हुये हैं और उन उप नियमों के आधार पर जो पट्ट लगा हुआ है, उसके सम्बन्ध में नगरपालिका हरिद्वार ही सक्षम है और अगर नगरपालिका हरद्वार का कोई सुझाव आयेगा, तो निश्चित रूप से उस सुझाव को शासन स्वीकार करेगा । चूंकि वहां पर निर्वाचित सदस्य नहीं हैं इसलिये शासन की ओर से कोई सुझाव देना, हरद्वार नगर-पालिका को उपयुक्त नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर में लिखा हुआ है कि हर की पौड़ी की स्वच्छता एवं पवित्रता को नियंत्रित करने हेतु, तो क्या वहां पर गैर हिन्दुओं से वहां की स्वच्छता नष्ट होने की आशंका बनी रहती है? तो क्या पट्ट को हटायेंगे और क्या गैर हिन्दुओं को उस पुल से जाने की अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है । उन्होंने उत्तर दिया है कि वह उप नियमों के अनुसार आदेश नहीं दे सकते ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, पट्ट के सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री जी ने नगरपालिका की बात की । क्या मंत्री जी इस बात को साफ करेंगे कि जो आफिसर्स मेले के समय पर वहां ड्यूटी पर लगाये जाते हैं क्या उसमें विशेषतौर से आदेश दिये जाते हैं, शासन की तरफ से कि उनमें गैर हिन्दू नहीं हो सकते ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर में शामिल है कि ड्यूटी पर कोई गैर हिन्दू भी हो, वहां जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा मतलब है कि गैर हिन्दू को जाने दिया जायगा लेकिन जो अफसर होगा और जिसकी ड्यूटी होगी, वह जा सकता है । मेरा स्पष्ट सवाल है कि जो आफिसर्स हैं ड्यूटी पर वह तो इससे एग्जेम्पट हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या इस चीज को मेन्टेन करने के लिये, क्या स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि गैर हिन्दू अफसर नहीं जाने दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न इससे नहीं पैदा होता । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि गैर हिन्दू अधिकारियों को छोड़ कर जो ड्यूटी पर हैं, अन्य गैर हिन्दू नहीं जा सकता ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, साधारण गैर हिन्दू तो जा नहीं सकता। मेरा प्रश्न है कि इस चीज को स्पेसिफिक रखने के लिये क्या शासन ने साधारण गैर हिन्दू, और आफिसर गैर हिन्दू, में कोई फर्क रखा है ? इस चीज को मेन्टेन करने के लिये क्या जो ड्यूटी पर जाने का आदेश दिया जाता है उसमें स्पष्ट किया जाता है कि उसमें जो लोग होंगे, वह गैर हिन्दू हों ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे नहीं पैदा होता है। इसका उत्तर वे दे चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यह चीज तो प्रश्न में ही लिखी हुई है।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्वायत्तता के प्राविधान होते हुये और उनको जो स्वायत्तता प्राप्त है निकायों को उनके रहते हुये, क्या यह बात सही नहीं है कि उनके जितने भी प्रस्ताव पास किये जाते हैं, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है शासन से और उस प्राविधान को ध्यान में रखते हुये क्या वह फिर से इस प्रश्न के ऊपर अपने न्याय विभाग से सम्मति लेने की कोशिश करेंगे कि उनको कोई इस बात की बाधा नहीं है के आज जब प्रशासन उनके हाथ में है तो निश्चय पूर्वक वह उसको हटा सकते हैं, तो क्या उस पट्ट को वह हटायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, शुरू में मैंने निवेदन किया कि इसके लिये उपविधि बनी हुई है, उसमें जब परिवर्तन करना पड़ता है, तो उसका जो प्रारूप है उसके लिये जनता से आपत्ति मांगना पड़ता है। उसके बाद उसका डिस्पोजल होता है और तभी कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिये इस सम्बन्ध में जो उपविधि है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। उनके लिये जनता द्वारा जब चुने हुये प्रतिनिधि आ जायेंगे तभी इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, पुल हर की पौड़ी पर जाता है। पुल पर जाने के लिये नियम बनाने में ५ गैर हिन्दुओं की सहमति थी और उप नियम को जिन्होंने लागू किया, वह गैर हिन्दू थे। इसके अलावा और बहुत सी बातें बाईलाज में वर्जित हैं। नियम १६ में है कि किसी भी हरिजन जाति के लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तो उत्तर दे रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नगर पालिका हरिद्वार में जो उप नियम संविधान के विरुद्ध हों उसे निरस्त करने का निश्चित अधिकार इस सरकार को है। तो इसको ध्यान में रखते हुये उस अधिकार का प्रयोग करके क्या पट्ट को, मंत्री जी हटवाने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहे हैं । इसलिये इसकी इजाजत नहीं है ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय, क्या मंत्री जी स्वयं इस पट्ट को संविधान के विपरीत मानते हैं ? यदि हां, तो कोई स्वायत्तशासी संस्था यदि संविधान के विपरीत निर्णय ले, तो शासन क्या उसमें दखल नहीं देगा ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

माननीय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिवाय हिन्दुओं के जो पट्ट लगा हुआ है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उप नियमों में वहां के था । तो प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग के नियमों के वह विरुद्ध है कि नहीं ? यदि है, तो मंत्री जी ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जैसा मंत्री जी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी गैर हिन्दू वहां जा सकता है शर्तों के अनुसार । तो शर्त तो टूट गयी । इसलिये क्या यहां से मंत्री जी आदेश भेजेंगे कि उन नियमों में नगरपालिका चेन्ज करे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है । उप नियम में लिखा है कि गैर हिन्दू सरकारी आफिसर जा सकता है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह नहर जिस पर यह पुल बना है वह नगरपालिका द्वारा बनायी गयी है या सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित की गयी है ? अगर सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी है, तो उस पर यह नियम लागू होगा । दूसरे माननीय, क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पुल पर किसी अधिकारी की ड्यूटी है जो देखता है कि कौन हिन्दू जा रहा है, कौन मुसलमान जा रहा है ? कौन चेक करता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है ।....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह पुल सिंचाई विभाग ने बनाया है या नगरपालिका ने बनाया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह पुल नगरपालिका की सीमा के अन्दर है । लेकिन यह पुल सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित हुआ था या नगरपालिका द्वारा, इसका उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए ।

श्री राम अधार—

दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि उस पुल से जाने वालों में कौन हिन्दू है कौन मुसलमान इसको कौन चेक करता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह कर्तव्य उसका है जिसकी वहां पर ड्यूटी लगी है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

मथुरा जिले की छाता टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलना

*१—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

* क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के छाता टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया में सफाई कर्मचारियों का पिछले ८ महीने से वेतन नहीं मिला है ? क्या सत्य है कि सभी कर्मचारी आमरण अनशन पर हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके वेतन का भुगतान अविलम्ब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां ।

जी नहीं ।

टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वेतन बकाया है । सफाई कर्मचारियों ने १६-२-७८ से काम बन्द हड़ताल कर रखी थी । १५-३-७८ से उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल की । २०-३-७८ को उनकी हड़ताल समाप्त हो गई ।

कर्मचारियों को बकाये वेतन के भुगतान हेतु बकाया करों की वसूली करके धन जुटा कर शीघ्र भुगतान करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री लक्खी सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रश्न का जो पहला भाग है उसके उत्तर में तो सत्यता है, लेकिन जो प्रश्न का दूसरा भाग है और जिसका उत्तर "जी नहीं" है तो ऐसा लगता है कि विधायक का जो प्रश्न है उसको मंत्री जी सही मानते ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर यह है कि आमरण अनशन पर नहीं है । दूसरा आपके प्रश्न का भाग है कि क्या आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा है "जी नहीं" ।

श्री लक्खी सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह तो मान लिया कि २१-३-७८ को यह हड़ताल समाप्त हुई। १६-२-७८ से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई। मैं जानना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी जो इतने गरीब हैं, उनका वेतन रोक दिया गया। क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अधिशासी अभियन्ता या जो दूसरे कर्मचारी थे, उनका भी वेतन रोका गया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय, वेतन रोकने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि जो कर्मचारी थे उनका वेतन बकाया था। २३ जून, ७७ को ७ हजार ८९० रुपया बकाया था, उसका भुगतान कराया गया। इसके बाद बराबर वेतन भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि अगर टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो गरीब मेहतरों के लिए ही खराब थी या अभियन्ताओं के लिए भी। अभियन्ता या सचिव जैसे बड़े लोगों को वेतन मिला या नहीं? अगर उनको मिला, तो मेहतरों को क्यों नहीं मिला?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

ऐसा नहीं है कि केवल सफाई कर्मचारियों का ही वेतन बकाया रहा हो। दो भिश्ती, एक बख्शी, एक टैक्स कलेक्टर, एक जमादार, इनका भी बकाया था।

श्री लक्खी सिंह—

श्रीमन्, मेरी जानकारी में उस कोष का बहुत बड़ा भाग उस अभियन्ता ने गबन किया है।

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह एक अभियोग आप लगा रहे हैं।

श्री लक्खी सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ८ महीनों से सफाई कर्मचारी भूखे हैं, तो कितने दिन में उनका भुगतान कर दिया जायगा?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने निवेदन किया कि बराबर उनके वेतन भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनवरी, ७८ तक का कर्मचारियों का ९ महीनों का वेतन बाकी है और इसके लिए ९० हजार रुपये की आवश्यकता है। जो क्षेत्र समिति है, उसको ८० हजार रुपया कर वसूलना है। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि जहां टाउन एरिया उसके लिए प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर कर वसूलने में सभी को सहायता मिलनी चाहिए। जो ज्यादा स्टाफ उन्होंने रखा हुआ है उसके लिए कोशिश की जा रही है कि कुछ छटनी करायी जाय।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उनके उत्तर से स्पष्ट है कि केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन ही बाकी है, अन्य का नहीं। क्या मंत्री जी वित्तीय संकट की दशा में, ऐसा कोई निर्देश देंगे कि अन्त्योदय की थ्योरी पर चलते हुए पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा और उसके बाद अन्य लोगों को?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ऐसा नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ही वेतन बाकी है। सचिव, बख्शी, जो कि चतुर्थ श्रेणी में नहीं आते उनका भी वेतन बाकी है। पिछला जो वेतन बकाया था, उसके भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर नहीं आया। प्रश्न यह था कि क्या आप कोई ऐसा निर्देश देंगे कि वित्तीय कठिनाई की दशा में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पहले वेतन दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता कि किसको पहले वेतन मिले किसको बाद में।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि टाउन एरिया की दशा आर्थिक दृष्टि से खराब है, तो यदि बकाया करों की वसूली नहीं हुई, तो क्या सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य, विधान सभा और जनता के सहयोग से निश्चित रूप से करों की वसूली होगी।

श्री अजीत सिंह सेठी--

इन लोगों को ८/९ महीने से तनख्वाह नही मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको किस तारीख को पता लगा कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और फिर उसके बाद उन्होंने क्या-क्या कोशिश की कि उनको तनख्वाह मिल जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि जून, ७७ से जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय माह नवम्बर, ७६ का बकाया था, उस बकाये को माह जून, ७७ में भुगतान कराया गया। उसके बाद प्रत्येक माह, जो पिछला बकाया था, उसका भुगतान किया जा रहा है ८ जुलाई, ७७, १२ अगस्त, ७७, १४ सितम्बर, ७७, १९ अक्तूबर, ७७, ७ नवम्बर, ७७, २९ नवम्बर, ७७, २ जनवरी, ७८ इस प्रकार निरन्तर भुगतान किया जा रहा है।

श्री राम दत्त जोशी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सिक फैक्टरीज, जो सरकार के रिसीवरशिप में हैं उनको सरकार ऋण देती है क्या उसी प्रकार टाउन एरिया को भी वेतन भुगतान के लिए सरकार की ओर ऋण दिया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में जो नियम हैं, उसके अनुसार कुछ ग्रान्ट उनको दी जाती है। बाकी उनके जो व्यय हैं, उन्हें अपने आर्थिक संसाधनों पर ही निर्भर करना पड़ता है।

*२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[२९-३-७८ को सदन में वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

जालौन जिले के अस्पताल कोंच में पेंसिलीन के इन्जेक्शन से श्री बाबू राम ताम्रकार की मृत्यु

*४--श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सच है कि ३ मार्च, १९७८ को कोंच चिकित्साधिकारी ने श्री बाबू राम ताम्रकार को बिना जांच किए पेंसिलीन का इंजेक्शन लगाया । अतः उनकी मृत्यु हो गई ? क्या यह भी सच है कि इस मृत्यु के कारण हड़ताल व प्रदर्शन हुआ किन्तु दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री--(श्री कल्याण सिंह)

यह सच है कि दिनांक ३ मार्च, १९७८ को पुरुष अस्पताल कोंच, जिला जालौन में श्री बाबू राम ताम्रकार को सेंसिटीविटी जांच बिना पेंसिलीन का इंजेक्शन लगाया गया । दिनांक ४ मार्च, १९७८ को उनकी मृत्यु हो गई । प्रारम्भिक जांच के आधार पर अस्पताल के अधीक्षक डाक्टर आर० सी० तिवारी तथा कम्पाउन्डर श्री महबूब खां के निलम्बन के आदेश जारी किए जा रहे हैं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मृतक के पुत्र ने ३ मार्च, १९७८ को बाबू राम की मृत्यु के पूर्व और ९ मार्च को मृत्यु के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दुर्घटना की विस्तृत जानकारी दी । साथ ही मान्यवर, दैनिक जागरण, कानपुर, दैनिक जागरण, झांसी, आज आदि प्रमुख समाचार-पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुआ । अपेक्षा की जाती है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दुर्घटना की विस्तृत जानकारी हो गयी होगी । मैं जानना चाहूंगा मान्यवर, कि अब तक डाक्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कह दिया है कि निलम्बित किया गया है ...

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, उत्तर में नहीं है कि निलम्बित किया गया है ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, आज निलम्बन के आदेश कर दिए गये हैं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि मृतक के परिवार के इस सदस्य इस आकस्मिक दुर्घटना से अनाथ हो गये हैं और उनके सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है । यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह सारा प्रश्न विचाराधीन है । इसकी जांच नये सिरे से चल रही है । जब इसमें पूरे तथ्य सामने आ जायेंगे, तब माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पूरे मामले को देखना पड़ेगा उसके बाद ही विचार किया जा सकता है । निलम्बन तो कर दिया गया लेकिन जब पूरे तथ्य सामने आयेंगे तब ही इस प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस चिकित्सा अधिकारी से यह पूछा गया कि पेन्सिलीन इन्जेक्शन क्यों लगाया गया जब कि हमारे पास अन्य दवायें ...

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न किया वह यह था बिना जांच किए पेंसिलीन का इंजेक्शन लगाया और उसकी मृत्यु हो गयी । जांच करने के बाद उसे सजा दे रहे हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि जो चिकित्सक बिना जांच किये इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है, तो ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध ३०२ अथवा ३०७ धारा के अन्तर्गत क्या वाही की जायगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जिस किसी भी स्थान से ऐसे मामलों की सूचना शासन को प्राप्त होगी उनकी गहराई से छानबीन करके जो अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)--

पेंसिलीन के रिएक्शन होने तथा मरीज की हालत खराब होने पर मृतक के पुत्र ने जनपद के चिकित्सक के खिलाफ माननीय मंत्री को तार द्वारा सूचना दी थी कि बिना पोस्ट मार्टम कराये हुए दाह संस्कार करा दिया गया, क्या यह सच है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार पोस्ट मार्टम नहीं किया गया और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

क्या उस अधिकारी के विरुद्ध ३०२ धारा के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि हत्या कर दी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दिया है कि वह इस पर गौर कर रहे हैं ।

[बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विद्युत् वितरण मण्डल, रुड़की के अवर अभियन्ताओं की आपातकाल में सेवा समाप्ति

*१—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की, जिला सहारनपुर के कितने अवर अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड आपातकालीन स्थिति के दौरान मई, १९७६ में अनिवार्य सेवा-निवृत्त किए गए ? क्या शासन ने उन्हें पुनः नौकरी में लेने के अभी हाल में आदेश प्रसारित किए हैं जिसे अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् ने ठुकरा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बहाल किया गया है ?

(विद्युत् मंत्री) श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सर्वश्री काशी नारायण भटनागर एवं सूर्य प्रकाश (रहेला), अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, रुड़की, जिला सहारनपुर को वर्ष १९७६ में अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया था । इन कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लेने हेतु शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं । अतः अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा इसे ठुकराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राज कुमार शर्मा—

क्या १७-७-७७ अथवा उसके आसपास मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने आपातकाल के उत्पीड़ित कर्मचारियों को सेवा में पुनः लेने की घोषणा की थी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

शासन की यह स्पष्ट नीति है कि जो लोग इमरजेन्सी के दिनों में उत्पीड़ित हुए हैं, उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करके उनको वापस ले लिया जाय, लेकिन यह जो मामला था, इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर उनको सेवा मुक्त किया गया था ।

श्री राज कुमार शर्मा—

सारे देश में रेल अथवा अन्य विभागों के कर्मचारियों को आपातकाल में जिनको हटा दिया गया था अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्त कर दिए गए थे, उनको पुनः सेवा में ले लिया गया, तो रुड़की के उक्त अधिकारियों को भी क्या पुनः सेवा में ले लिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

१९७६ की स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले के अनुसार श्री भटनागर पर ७३ हजार रुपये के ऊपर मिसलेनियस एडवांस देने का आरोप है फिर भी माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार जो आगे के तथ्य हैं उनकी बिना पर मैं इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा ।

श्री राज कुमार शर्मा—

श्री सूर्य प्रकाश के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या विचार है, मेरा प्रश्न भी उन्हीं से सम्बन्धित है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, ये दोनों पत्रावलियां मैं पुनः निरीक्षण के लिए भेज रहा हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन दोनों कर्मचारियों पर क्या-क्या आरोप थे, जिसकी वजह से ये सेवा-निवृत्त किए गये थे और उनमें से कितने सिद्ध हो चुके थे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जहां तक स्क्रीनिंग कमेटी का प्रश्न है यह कमेटी स्वयं में सक्षम होती है कि वह ५० वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की जो चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां हैं, उनको देखें और उनके कार्य-कलापों को देखते हुए वह अपनी संस्तुति प्रदान करें । इस परिस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेन्डेशन पर ही उनको कार्य-मुक्त किया गया था । मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तथ्य सामने आये हैं, उनमें एक मामले में मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है । अतः मैं इस पर पुनः निरीक्षण के आदेश कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुत से कर्मचारियों को इस स्क्रीनिंग कमेटी ने अल्पवाजी में और दबाव के कारण सेवा-निवृत्त कर दिया था । वर्तमान सरकार की नीति के अनुसार क्या मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे ताकि बिजली विभाग में जो ऐसे कई मामले पड़े हैं, उनका निस्तारण किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह विस्तार का प्रश्न है । यह केवल गोंडा जिले से सम्बन्धित है । आप लिखकर दे दें तब मंत्री जी इसका उत्तर दे देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान आपके विभाग में और अन्य विभागों में जो कर्मचारी बलात सेवा-निवृत्त किए गए हैं उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए जो आप संस्तुति मांगते हैं, वे उन्हीं अधिकारियों से मांगते हैं, जिन्होंने उन कर्मचारियों को हटाया था । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी उन्हीं से संस्तुति न मांगकर अन्य अधिकारियों से मंगाकर उनकी पुनर्नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, सामान्यतः नीति यह रही है कि जो कर्मचारी इमरजेन्सी में पीड़ित हुये हैं राज्य विद्युत परिषद के, उन सभी के मामलों पर भी पुनर्निरीक्षण कर लिया जाय और यह कार्य जारी है । यह अलग से सवाल आया है कि जिसको स्क्रीनिंग कमेटी ने अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया था परिवार नियोजन

के नाम पर, उस सम्बन्ध में जरूर स्क्रीनिंग कमेटी का ध्यान नहीं गया था। यह स्क्रीनिंग कमेटी १९६९ से फंक्शन कर रही थी और समय-समय पर उनके आदेश थे। अभी शाह आयोग की ओर से एक बात यह आयी है कि जो लोग स्टीनूअस तौर पर सेवा-निवृत्त किये गये है, इमरजेन्सी के दौरान, ऐसे सभी मामलों को भी जांच कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री मैनेजर सिंह ने यह सवाल किया था कि जिन लोगों ने पहले निलम्बित किया या सजा दी, तो उसमें (स्क्रीनिंग कमेटी में) क्या आप दूसरे आदमियों को रखेंगे या वही आदमी रखेंगे जिन्होंने सजा दी, उन्हीं को रखा जायेगा।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, सजा की डिफरेन्ट स्टेजेज हैं। कुछ सजा नीचे के अधिकारी देते हैं लेकिन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने सजा दी उनको छोड़कर दूसरे व्यक्तियों को आप रखेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उनको छोड़कर करेंगे।

लखनऊ नगर की डायमन्ड डेरी गृहस्थान योजना के भवनों का आवंटन

*२१—श्री देव कुमार (जिला बांदा) (अनुपस्थित) —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि डायमन्ड डेरी गृह स्थान योजना, लखनऊ के अन्तर्गत आवास विकास परिषद् ने भू-स्वामियों से भूमि १९७० में अधिग्रहण करने के पश्चात् अपने द्वारा कम कीमत पर निर्मित किए गए मकानों व भूमि को ऊंची कीमतों पर बेचने का दौर शुरू करके निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की मानवीय भावना के विपरीत कार्य किया है ? यदि हां, तो निर्मित लागत और विक्री की दरें क्या-क्या हैं और क्या सरकार इस प्रक्रिया को रोक कर कमजोर एवं मध्यम वर्गों के लोगों को ही मकान उचित दर पर आवंटित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं। डायमन्ड डेरी गृह स्थान योजन में समाविष्ट भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद् को वर्ष १९७२ में प्राप्त हुआ था। यह भी सही नहीं है कि आवास एवं विकास परिषद् ने कम कीमत पर भवन निर्माण करके ऊंची दरों पर विक्रय किए हैं। आवास परिषद् की कार्य प्रणाली के अनुसार भवनों एवं भूखन्डों का आवंटन बिना हानि-लाभ के आधार पर इच्छुक पंजीकृत क्रेताओं को आवंटित किए जाते हैं। डायमन्ड डेरी गृह स्थान योजना में दो प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया है। प्रथम मध्यम आय वर्ग भवन जिनकी लागत रु० ५६,१०० से रु० ८८,५०० है, दूसरे आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों हेतु जिनकी लागत रु० १२,५०० है उक्त दोनों प्रकार के भवन उक्त योजनाओं में पंजीकृत क्रेताओं को ही उन्हीं मूल्यों पर आवंटित किए गए हैं।

*३—श्री देव कुमार (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि डायमन्ड डेरी गह स्थान योजना, लखनऊ के अन्तर्गत जिन भवनों का निर्माण जिन समाज के वर्गों के लिए किया गया था उन्हें उन्हीं को आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, आवास परिषद् की डायमन्ड डेरी योजनान्तर्गत भवनों का निर्माण समाज के जिन वर्गों के लिए किया गया है उन्हीं को आवंटित किए गए हैं ।

मोहल्ला सफदरबाग, लखनऊ के श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव तथा मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा रास्ते पर अनधिकृत कब्जा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४—श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला सफदर-बाग, लखनऊ में श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव तथा श्री मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में सात विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री को दिनांक ३० सितम्बर, १९७७ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब जांच कराकर उचित कार्यवाही किए जाने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां ।

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के भंडार लेखों की सम्प्रेक्षा रिपोर्ट

*५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आन्तरिक सम्प्रेक्षा दल द्वारा अधीक्षक, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के कार्यालय में भंडार के लेखों की जो सम्प्रेक्षा रिपोर्ट दिनांक १७ फरवरी, १९७२ निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं तथा अनियमितताओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

अधीक्षक, स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के कार्यालय के भंडार लेखों की जो सम्प्रेक्षा रिपोर्ट दिनांक १७ फरवरी, १९७२ को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुई, उसमें पाई गई अनियमितताओं तथा उन अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३७ पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी का ध्यान उनके उत्तर की ओर आकृष्ट करते हुए कि उत्तर में दिया हुआ है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के वार्ड नं० २ में स्टाक बुकों की, अस्पताल के अधीक्षक/उप अधीक्षक/मेट्रन अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (औषधि) द्वारा कभी भी चेक नहीं किया गया । यह मैं संक्षेप में कह रहा हूं । आगे लिखा है कि जो स्टाक बुक सम्प्रेक्षा

बल को उपलब्ध कराई गई उनसे पता चला कि उनके रख-रखाव में घोर अनियमितता एवं लापरवाही तथा निर्देश एवं पर्यवेक्षण की कमी पाई गई। तो इसमें तो सभी के ऊपर बात आती है। केवल स्टोर कीपर और मैट्रन को दंडित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अधीक्षक और उप अधीक्षक जो जिम्मेदार थे उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं जब तक सुपरवीजन मजबूत नहीं होगा तब तक इस प्रकार की अनियमितताएं होती रहेंगी। इसलिए सुपरविजन की शिथिलता के लिए जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी शासन कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष —

यह तो आपने एक आम नीति बताई।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, यह मामला १९७४ का है बहुत पुराना है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सुपरवीजन के लैक के कारण जो दोषी है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह १९७२ की रिपोर्ट है, लेकिन जो मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है इसके अनुसार अंतिम कार्यवाही कब तक हो जाएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, यह सुनिश्चित करके कि इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं एक बार उनको मौका देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन काल करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि यह मामला १९७२ से अब तक लटका है। यह सरकार निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के अन्दर फैसला कर देगी।

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि तथा किसानों को दिया गया मुआवजा व नौकरी

*६—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के अन्तर्गत किसानों की कितनी जमीन ली गई है ? क्या सभी किसानों को उचित मुआवजा दे दिया गया है, यदि नहीं दिया गया तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कृषकों का कुल ७८४.७९६ एकड़ भूमि अर्जन की गई है तथा समस्त कृषकों को प्रतिकर बांटा जा चुका है। केवल वही प्रतिकर बांटा नहीं जा सका जिसके विषय में कानूनी विवाद है।

*७—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या विद्युत मन्त्री बनाने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल पावर के प्रभावित किसानों को प्रत्येक घर के हिसाब से उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इस सम्बन्ध में ३४४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से योग्यतानुसार ७० व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है। शेष प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है।

श्री ईश्वर प्रसाद—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे किसान हैं, जिनको अभी तक प्रतिकर बांटा नहीं गया है तथा उसमें कौन सी कानूनी अड़चनें है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, कई किस्तों में भूमि अधिग्रहीत की गई। जो ३२१ एकड़ जमीन पहली बार १९६९ में अधिग्रहीत की गई उसमें ३३.३० रु० की केवल एक धनराशि है, जिसमें प्रतिकर नहीं बटा। बाकी सब बट गया है। उसके मुआवजे का रेट ६ लाख में ३२१ एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। दूसरी बार ३५६ एकड़ जमीन ली गई इसके लिए १२,५६,००७.६३ रु० दिया गया जिसमें से ३१,४१२ रु० नहीं बंटे। शेष बंट गया और बाकी कोई रकम नहीं है। एक कुंडी मरवा में करीब सौ एकड़ जमीन अंत में ली गई इसका २.१५६ लाख है इसका मुआवजा भी पूरा-पूरा बंट गया है। केवल यही दो आईटम विवाद के हैं।

श्री ईश्वर प्रसाद—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता था कि ऐसे कितने किसान हैं जिनको अभी तक प्रतिकर बांटा नहीं गया तथा उसमें कौन सी कानूनी दिक्कत है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, किसानों की संख्या के लिए सूचना की आवश्यकता है। लेकिन जो सामान्य सूचना है, उसमें यह है कि प्रतिकर वही नहीं बांटा गया है, जिनके विषय में कानूनी विवाद है या प्रोप्राइटरी विवाद है। एक खातेदार कहता है कि मैं क्लेमेंट हूं दूसरा कहता है कि मैं क्लेमेंट हूं। उन्हीं का मुआवजा रुका है। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा जमा है। बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को पी० एम० एस० के समकक्ष वेतनमान

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अगस्त, १९७७ को लखनऊ की प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने यह घोषणा की है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को पी० एम० एस० डाक्टरों के वेतन क्रम ५५०–१२०० रु० के समान वेतन दिया जाएगा ? यदि हां, तो क्या उन आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों का वेतन क्रम भी पुनरीक्षित किया जाएगा जो निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के "डी" क्लास डिस्पेन्सरीज में कार्यरत हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को रु० ५५०–१२०० का वेतनमान जो पी० एम० एस० के समकक्ष है दिनांक २१ जनवरी, १९७८ से प्रदान कर दिया गया है । "डी" क्लास डिस्पेन्सरीज में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा-धिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान रु० ५५०–१२०० देने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

नगरपालिका बांदा में कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध सेवायोजन अधिकारी द्वारा चलाया गया मुकदमा

*९—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्थानीय शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका, बांदा में वर्ष १९७६–७७ व माह अगस्त, १९७७ तक बिना सेवायोजन कार्यालय, बांदा से नाम मंगाए कई कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां । उक्त नियुक्तियां तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष, नगरपालिका बांदा द्वारा की गई थी । बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाए नियुक्तियां करने के कारण सेवायोजन अधिकारी बांदा द्वारा उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है ।

*१०—श्री राम बरन वर्मा—

[३० मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २३ द्वारा उत्तरित ।]

*११—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*१२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*१३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दर्वे बुधवार में प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत विद्युत् परिषद् द्वारा लिया गया ऋण एवं खर्च का विवरण

*१४--श्री रियासत हुसैन--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत वर्ष १९७१ से मार्च, १९७७ तक कुल कितना रुपया केन्द्र से प्राप्त हुआ और उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है? क्या यह सही है कि विद्युत् स्टोर डिवीजनों पर आठों स्टोरों पर करोड़ों रुपए के माल की बिल्टी बैंकों में पड़ी है जो छुड़ाई नहीं जा रही है? यदि हां, तो रेलवे को कितना डैमरेज दिया जा चुका है और बिल्टी छुड़ाई क्यों नहीं जा रही है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७१ से मार्च, १९७७ तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से आर० ई० सी० स्कीमों के अन्तर्गत कुल ३,८१२.७९८ लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में परिषद् को प्राप्त हुई थी जिसमें से मार्च, १९७७ तक १९६६.२१० लाख रुपया आर० ई० सी० परियोजनाओं पर खर्च किया जा चुका था।

इन स्टोर डिवीजनों पर २८ फरवरी, १९७८ तक कुल १३.७८ लाख रुपए के सामान की बिल्टियां बैंकों में पड़ी थीं जो अब छुड़ा ली गई हैं।

१ अप्रैल, १९७७ से ३१ जनवरी, १९७८ तक कुल १३.१६ लाख रुपये का डैमरेज/वारफेज रेलवे को भुगतान किया गया। यह बिल्टियां धनाभाव के कारण समय से नहीं छुड़ाई जा सकीं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का चयन एवं डी० आई० आर० तथा मीसा बन्दियों का आरक्षण

*१५--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३० सितम्बर, १९७७ व १ अक्तूबर, १९७७ को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का जो चयन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के निदेशक द्वारा किया जा रहा है उसमें डी० आई० आर० व मीसा के अन्तर्गत बन्द रहने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जएगी? यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं?

श्री कल्याण सिंह--

शासनादेश संख्या २००३/४०-रा० एक०-६-११-७७, दिनांक २० अगस्त, १९७७ द्वारा मीसा एवं डी० आई० आर० बंदियों के आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में भर्ती हेतु किये गये आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के चयन में भी आरक्षण दिया गया। कुल ऐसे ५ अभ्यर्थी चयन में सम्मिलित हुये थे।

*१६--श्री रियासत हुसैन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रसवोत्तर केन्द्र महिला चिकित्सालय, जिला खीरी में पुरुष प्रसार शिक्षक की नियुक्ति

*१७—श्री नरेश चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, जिला खीरी के प्रसवोत्तर केन्द्र पर महिला प्रसार शिक्षक को हटाकर पुरुष प्रसार शिक्षक की नियुक्ति क्यों की गई है जबकि उक्त पुरुष प्रसार शिक्षक को खीरी जनपद के बाहर स्थानान्तरित करने के लिए सी० एम० ओ०, खीरी ने २६/२८ अप्रैल, १९७७ को राज्य परिवार नियोजन अधिकारी, लखनऊ को लिखा था ? यदि हां, तो ऐसी अनियमितता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रसवोत्तर केन्द्र महिला चिकित्सालय, खीरी से सम्बद्ध नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र पर स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर प्रश्नगत पुरुष प्रसार शिक्षक की पत्नी के कार्यरत होने के कारण उनके पति की नियुक्ति उक्त नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र पर की गयी । मुख्यचिकित्सा अधिकारी, खीरी का २६/२८-४-१९७७ का पत्र राज्य परिवार कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के वेतनमान में असमानता

*१८—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत लेबोरेटरी टेक्नीशियन तथा एक्सरे टेक्नीशियन दोनों की शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण अवधि एक समान है ? यदि हां, तो इन्हें एक समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री कल्याण सिंह—

उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक्सरे टेक्नीशियन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल साइन्स और प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष है जब कि प्रयोगशाला प्राविधिक की ऐसी कोई निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है और प्रदेश में विभागीय अनुभव के आधार पर इन्टर, हाई स्कूल एवं नान मैट्रिक भी कार्यरत हैं । वैसे प्रयोगशाला प्राविधिक के डिप्लोमा के प्रशिक्षण के लिये हाई स्कूल साइन्स आवश्यक था । उपरोक्त असमानता होते हुये भी एक्सरे टेक्नीशियन और लब टेक्नीशियन को समान वेतन दिया जाता था जो १२०-२२० था ।

वेतन आयोग (१९७१-७३) की संस्तुति पर लैब टेक्नीशियन का वेतनमान रु० २३०-३८५ तथा एक्सरे टेक्नीशियन का वेतनमान रु० २५०-४२५ कर दिया गया जो उनके कार्य के उत्तरदायित्व को देखते हुये किया गया । यह विषय वेतन प्रसंगित समिति के सामने भी गया जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और एक्सरे टेक्नीशियन का वेतनमान बढ़ाया जाना न्यायोचित बताया ।

लेबोरेटरी टेक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता में की गयी वृद्धि

*१९—श्री अठई राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से बढ़ाकर इन्टर कर दी

गई है । यदि हां, तो इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अब तक क्यों नहीं बढ़ाई गई तथा सरकार इनकी शैक्षिक योग्यता कब तक बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी में केवल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के मामले में भविष्य में डिप्लोमा एल० टी० के प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शासनादेश सं० १५३२/चिकित्सा-४-१३६२-१९७७, दिनांक १० मार्च, १९७८ द्वारा हाई स्कूल से बढ़ाकर इन्टर साइन्स कर दी गयी है ।

अन्य कार्यरत लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो सेवा में हैं उनके विषय में कोई अन्तर नहीं किया गया है ।

वाराणसी में अरबन सीलिंग ऐक्ट तथा (विकास) डेवलपमेन्ट प्लान सम्बन्धी कथित प्रतिनिधि मंडल का ज्ञापन

*२०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी में अर्बन सीलिंग ऐक्ट तथा (विकास) डेवलपमेन्ट प्लान के बारे में एक प्रतिनिधि मन्डल माननीय मुख्य मंत्री से अक्तूबर, १९७७ में वार्ड नं० ६ का मिला था और हजारों हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन दिया था कि अर्बन सीलिंग ऐक्ट एवं डेवलपमेन्ट प्लान को किसानों की खेती वाली ज़मीन पर न लागू किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वाराणसी में अर्बन सीलिंग ऐक्ट तथा (विकास) डेवलपमेन्ट प्लान के बारे में वार्ड नं० ६ के प्रतिनिधि मण्डल के अक्तूबर, १९७७ में मुख्य मंत्री जी से मिलने के सम्बन्ध में प्रामाणिक अभिलेख नहीं है और न तो उनका कोई ज्ञापन ही उपलब्ध है । नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अन्तर्गत कृषक भूमि नहीं ली जा रही है । विकास प्राधिकरण को वार्ड नं० ६ में भूमि के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है ।

*२१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त] ।

जिला चिकित्सालय, बलिया में ए० आर० बी० इन्जेक्शन का अभाव

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ए० आर० बी० इन्जेक्शन की नियमित आपूर्ति संयुक्त निदेशक, पटुओडंगा, नैनीताल से राजकीय चिकित्सालयों में गत ६ महीने से नहीं हो रही है जिससे बलिया राजकीय चिकित्सालय में यह इन्जेक्शन गत १६ सितम्बर, १९७७ से उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । जिला चिकित्सालय, बलिया में केवल १८ सितम्बर, १९७७ से २१ सितम्बर, १९७७ तक ए० आर० बी० इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं था । दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को पांच हजार सी० सी० वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई ।

प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बहुत पहले निदेश दिए जा चुके हैं कि जिला चिकित्सालयों में ए० आर० बी० इन्जेक्शन का एक महीने का रिजर्व स्टाक रखें। संयुक्त निदेशक, राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर को भी निदेश है कि कथित वैक्सीन की आपूर्ति जिलों की मांग के अनुसार करें।

उन्नाव जिले के भगवन्त नगर चिकित्सालय में डाक्टर का अभाव

*२३—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद की टाउन एरिया भगवन्त नगर स्थित राजकीय चिकित्सालय में गत दो वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है? डाक्टर न होने से उस क्षेत्र की जनता को नीम हकीमों की शरण लेनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री वहां शीघ्र चिकित्सक भेजने की कृपा करेंगे?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर राजकीय चिकित्सालय में २८-९-१९७६ से ९-१०-१९७७ तक कोई डाक्टर नहीं रहा। उक्त चिकित्सालय में १०-१०-१९७७ से डाक्टर कार्यरत है।

श्री काशीनाथ पाण्डे, सहायक विद्युत् निरीक्षक, मिर्जापुर को दिया गया कथित अतिरिक्त वेतन

*२४—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई अधिकारी ऐसा है जो मुख्य विद्युत् निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के कार्यालय में सहायक विद्युत् निरीक्षक उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में बनारस एवं मिर्जापुर के २ पदों का कार्यभार लगभग डेढ़ वर्ष से एक साथ देख रहा है? और दोनों पदों की समस्त आर्थिक सुविधाओं का उपभोग कर रहा है? यदि ऐसा है, तो वह अधिकारी कौन है और उसे दो पदों पर एक साथ कार्य सौंपे जाने का कारण क्या है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

आजकल ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो बनारस एवं मिर्जापुर के दो पदों का कार्यभार एक साथ देख रहा हो। परन्तु दिनांक १५-११-७५ से २७-१०-१९७७ तक सहायक विद्युत् निरीक्षक वाराणसी के पद के रिक्त होने से दोनों जोनल कार्यालयों का कार्य श्री काशीनाथ पाण्डे, सहायक विद्युत् निरीक्षक, मिर्जापुर द्वारा देखा गया और यह व्यवस्था शासकीय कार्य के हित में की गई थी। श्री पान्डे को अतिरिक्त कार्य के लिये कोई अतिरिक्त वेतन की सुविधा नहीं दी गई थी।

लखनऊ, नगरमहापालिका के भवनों में अनधिकृत कब्जा

*२५—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महापालिका में कितने लोगों ने महापालिका के मकान अवैधानिक रूप से अपने कब्जे में कर रखे हैं? इन मकानों को खाली कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

महापालिका के भवनों में अनधिकृत कब्जों की संख्या २३० है । इनमें से ९२ भवनों को खाली कराने के लिये न्यायालय में वाद दायर कर दिये गये हैं। शेष १३८ मामलों में वाद दायर करने की कार्यवाही प्रगति में है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढ़नी, जिला बस्ती के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा लिखायी गयी एफ० आई० आर०

*२६--श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढ़नी, जनपद बस्ती के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक तथा प्रश्नकर्ता के द्वारा १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९७७ के मध्य कितने शिकायती-पत्र शासन तथा सम्बन्धित मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्ता एवं क्षेत्रीय विधायक का केवल ३१ अगस्त, १९७७ का शिकायती-पत्र उपलब्ध है । शिकायतों की जांच कराई जा रही है । सम्प्रति सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़नी, जनपद बस्ती से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

*२७--श्री शिवलाल मित्तल--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त शिकायती-पत्रों से सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध इसके पूर्व जिलाधिकारी, बस्ती ने कोई रिपोर्ट १९७५-७६ में दी थी तथा उसके विरुद्ध थाना देवरुआ, बस्ती में कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० के तथ्य क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

एफ० आई० आर० की प्रति संलग्न है ।

(*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३८ पर)

तहसील गरोठा, जिला झांसी में महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*२८--श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील गरोठा, जिला झांसी में महिला चिकित्सालय हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार इस तहसील में महिला चिकित्सालय खोलने की शीघ्र ही व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

तहसील गरोठा, जिला झांसी में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है ।

शासन के सम्मुख इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

पनकी पावर हाउस के स्विचगियर में कथित अग्निकांड

*२९—श्री देवहादुर सिंह तथा श्री गनेशी लाल, चौधरी—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करगे कि दिनांक ३ दिसम्बर, १९७७ को पनकी पावर हाउस के स्वोच रूम में आग लगी थी ? यदि हां, तो आगज़नी का कारण क्या है और उससे कितने धनराशि की क्षति हुई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

३ दिसम्बर, १९७७ को पनकी पावर हाउस के स्विचगियर रूम में किसी प्रकार की कोई आग नहीं लगी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा, जिला मिर्जापुर हेतु अध्याप्त सम्पत्ति का मुआवजा

*३०—श्री देवहादुर सिंह—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपरथर्मल पावर स्टेशन, कोटा परियोजना, मिर्जापुर का कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद भी कृषकों में उनकी सम्पत्तियों का उचित मुआवजा की दर निश्चित न होने तथा पुनर्वास की स्पष्ट नीति निर्धारित न होने से गहरा असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी विभिन्न सम्पत्तियों (भूमि, भवन, कूप, वृक्ष आदि) के अलग-अलग मुआवजा दर कब तक निर्धारित होगी तथा उनकी पुनर्वास की क्या योजना होगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा परियोजना, मिर्जापुर के लिए अध्याप्त की गई सम्पत्ति (भूमि, भवन, कूप, वृक्ष आदि) के प्रति र की दर निश्चित की जा चुकी है और उसी के अनुसार प्रभावित कृषकों को भुगतान भी किया जा चुका है । केवल ग्राम खड़िया के अवार्ड की स्वीकृति होना शेष है जिसके प्राप्त होते ही सम्बन्धित सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रतिकर तुरन्त बांट दिया जायेगा ।

काश्तकारों को भूमि का प्रतिकर २,००० रु० प्रति एकड़ की दर से तथा २,५०० रु० प्रति एकड़ अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है । मकानों एवं कूपों आदि का जो मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, वह धनराशि प्रतिकर एवं अनुदान के रूप में दी गई है । पुनर्वास हेतु प्रति परिवार को १,००० रु० एवं ३० × ५० फीट का प्लाट अनुदान के रूप में दिया गया है ।

देवरिया जिले के श्री गोस्वामी तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निकट कथित कूड़ा करकट का जमाव

*३१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना नगर में श्री गोस्वामी तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर के निकट मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया की चेतावनी के बावजूद नगरपालिका द्वारा कूड़ा करकट तथा गन्दगी गिराई जा रही है जिससे एक हजार छात्रों के स्वास्थ्य को

खतरा है ? यदि हां, तो इस ने नगरपालिका के ई० ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं,

इस स्थान पर नगरपालिका, पंडरौना द्वारा कोई कूड़ा करकट तथा गन्दगी नहीं गिराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के श्रमिकों के ओवर टाइम का भुगतान

*३२--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा जनपद के फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन किसी भी दशा में १० घंटे से कम नहीं चलते हैं और श्रमिकों को ८ घंटे से अधिक भी कार्य करना पड़ता है और उन पर ओवर टाइम का भुगतान किया नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों की एक समिति गठित करेगी जो कि मौके पर जाकर इसकी जांच करके एक माह में सरकारी रिपोर्ट दे सके ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के जिन प्रतिष्ठानों में एक शिफ्ट में काम होता है, वे प्रतिदिन ८ घंटे चलते हैं और जिन प्रतिष्ठानों में एक से अधिक शिफ्टों में काम होता है वे प्रतिदिन १० घन्टे से अधिक चलते हैं । इन प्रतिष्ठानों में साधारणतया श्रमिकों से आठ घंटे से अधिक काम लिए जाने की पुष्टि नहीं हुई । वर्ष १९७७ में केवल एक प्रतिष्ठान, गिरनार ग्लास वर्क्स में ओवर टाइम होता हुआ पाया गया था । उनके विरुद्ध पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट की धारा १५ (२) के अधीन निदेशवाद दायर किया गया है, जो सम्बन्धित प्राधिकारी के विचाराधीन है । किन्तु इसी बीच प्रतिष्ठान द्वारा ओवर टाइम कार्य का भुगतान भी कर दिया गया है । प्रश्नगत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण समय-समय पर होता रहता है और जहां कहीं कारखाना अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन पाया जाता है, सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राभियोजन चलाये जाते हैं । इस परिस्थिति में विधायकों की समिति गठित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में विचाराधीन कैंसर अस्पताल की स्थापना

*३३--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में कैंसर अस्पताल मेडिकल कालेज गोरखपुर के अन्दर खोलने का प्रस्ताव १९७४ में स्वीकार किया गया था ? क्या यह सही है कि ५ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने उक्त अस्पताल के लिए दिया था ? यदि हां, तो १० दिसम्बर, १९७७ तक की उसकी क्या प्रगति है ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७४ में भारत सरकार से कैंसर रोग के उपचार हेतु गोरखपुर में एक कोबाल्ट यूनिट की स्थापना हेतु आवश्यक केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव किया गया था । भारत सरकार ने गोरखपुर में उक्त यूनिट के लिए निर्धारित शर्तों पर ५ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है । अभी यह सहायता प्राप्त नहीं हुयी है ।

पहले यह यूनिट गोरखपुर मेडिकल कालेज में ही स्थापित किये जाने पर विचार हुआ था और इसके लिए अपेक्षित भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति भी दे दी गयी थी, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर के प्रस्ताव पर अब उक्त यूनिट उनके द्वारा ही केन्द्रीय सहायता से खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

*३४—श्री पूरन चन्द्र—

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाष्प विद्युत गृह, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं आरक्षण

*३५—श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या विद्युत मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाष्प विद्युत गृह, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में अनुसूचित जातीय पदों पर पदोन्नति में गैर अनुसूचित जातीय कर्मचारियों की भर्ती अभी हाल ही में की गई और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को जो सब से सीनियर हैं उसको कम ग्रेड के पद पर रखा गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वाष्प विद्युत गृह, मऊनाथ भंजन में रिक्त पदों पर पदोन्नतियां अनुसूचित जाति के आरक्षण को ध्यान में रखते हुये की गयी हैं । किसी भी अनुसूचित जाति के सबसे सीनियर कर्मचारी को उचित पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है । गैर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति उसी वेतन क्रम में की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पहले ही भरे जा चुके हैं ।

*३६—श्री मन्नू राम—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ ने अपने पत्रांक संख्या ५४६१/बी० बी० ख०/म–ई०/ओ०, दिनांक १९ सितम्बर, १९७७ को प्रश्नकर्ता विधायक (श्री मन्नू राम) को कोई पत्र लिखा है और विधायक ने भी इस संदर्भ में कोई पत्र लिखा ? यदि हां, तो वह पत्र क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मऊनाथ भंजन ने श्री मन्नू राम, विधायक के पत्र के संबंध में उत्तर भेजा था, जिसमें अनुसूचित जाति के रिक्त आरक्षित पदों का पदोन्नति द्वारा भरने का आश्वासन दिया था । उसके बाद ७ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति दी जा चुकी है ।

डाक्टर उपाध्याय, चिकित्साधिकारी, बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा के विरुद्ध शिकायती पत्र

*३७—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को डा० उपाध्याय, चिकित्साधिकारी, बैजनाथ जिला अल्मोड़ा द्वारा श्री प्रताप सिंह, ग्राम कुलाऊं, पो० आ० भिलकोट, जिला अल्मोड़ा की पत्नी के बच्चे होने के

आपरेशन में रिश्वत न दे सकने के कारण उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई थी जिसके सम्बन्ध में मन्त्री जी को पहले ही जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

हां, इस आशय का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है । इस संबंध में संयुक्त निदेशक कुमायूं मण्डल, नैनीताल द्वारा जांच कराई गई है । कथित आरोप प्रमाणित नहीं हो सका ।

जल निगम के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३८—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सरकार को दिनांक २३ जुलाई, १९७७ को सात विधायकों द्वारा और उसके पश्चात् अगस्त के प्रथम सप्ताह में कुछ प्रार्थना-पत्र जल निगम के अधिकारियों द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्य करने के शिकायतों के सम्बन्ध में मिले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पास ३० नवम्बर, १९७१ की प्रतिलिपि भी संलग्न है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियंताओं के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में माननीय सात विधायकों का एक संयुक्त ज्ञापन दिनांक २३ जुलाई, १९७७ तथा उसके पश्चात् एक माननीय विधायक का पत्र दिनांक २८ जुलाई, १९७७ प्राप्त हुआ था परन्तु उसके साथ तथाकथित शासकीय ज्ञाप दिनांक ३० नवम्बर, १९७१ की प्रतिलिपि संलग्न नहीं थी बल्कि कुछ तालिकायें संलग्न थीं ।

जल निगम द्वारा अधिशासी अभियंता के पदों पर चयन विनियमानुसार ७ वर्ष या उससे अधिक सेवा काल वाले सहायक अभियंताओं में से अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया गया है । इस सम्बन्ध में माननीय विधायकों को वस्तुस्थिति से अवगत भी करा दिया गया है ।

मोहन मीकिन ब्रीवरीज लि०, मोहन नगर और लखनऊ पर बकाया आबकारी शुल्क

३९—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मोहन मीकिन ब्रीवरीज लि०, मोहन नगर और लखनऊ पर दिनांक ३१ मार्च, १९७७ तक कितनी बीयर बेस्टज आबकारी शुल्क बकाया है इस शुल्क की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ नगर की श्रीमती इन्दिरा गांधी कालोनी का नाम श्री राम सागर मिश्र के नाम में परिवर्तन

*४०—श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में स्थित फैजाबाद रोड पर एक विकास कालोनी श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से बसाया गया था उसका नाम बदल कर अब इस कालोनी का नाम श्री रामसागर मिश्र के नाम से कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां । किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी कालोनी का नामकरण किया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया अस्तु उक्त कालोनी का नाम परिवर्तित कर दिया गया ।

किसानों के पम्पिंग सेट की विद्युत् लाइन एवं विद्युत् का चार्ज

*४१—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रहा है कि किसानों के पम्पिंग सेट की लाइन जिस दिन से काट दिया जाय उसी दिन से विद्युत् का चार्ज न लगाया जाय ? यदि हां, तो इस प्रश्न पर कब तक निर्णय हो जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ऐसा कोई प्रश्न विद्युत परिषद् के विचाराधीन नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिंगटनगंज, जिल फैजाबाद का भवन

*४२—श्री मित्रसेन यादव (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र हरिंगटनगंज, जनपद फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य चलाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री कल्याण सिंह—

धनाभाव के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिंगटन गंज, जिला फैजाबाद के भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान करना कब तक सम्भव होगा ।

इस समय उक्त केन्द्र एक किराये के भवन में चल रहा है ।

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम के विद्युत् संस्थान द्वारा बिजली का वितरण

*४३—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम में बिगत वर्ष कोई १३२ के० वी० का विद्युत् संस्थान निर्मित हुआ ? यदि हां, तो कितने दिनों बाद बिजली का वितरण प्रारम्भ हुआ ? यदि विलम्ब हुआ, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, विगत वर्ष १९७६–७७ में गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम में एक १३२ के० वी० का विद्युत् संस्थान दिनांक २३ जुलाई, १९७६ को उर्जित किया गया था।

बिजली का वितरण लगभग ४ माह बाद दिनांक ६ दिसम्बर, १९७६ को प्रारम्भ कर दिया गया।

विलम्ब होने का मुख्य कारण ३३ के० वी० की लाइनों का पूर्ण न होना था।

कार्यालय आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन में आशुलिपिक की नियुक्ति

*४४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या पुनर्वासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन, उत्तर प्रदेश में आशुलिपि के पद पर योग्यतायें, अर्हताओं को ध्यान में न रखते हुए एक कनिष्ठ को आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नत करके नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं। आशुलिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ से प्राप्त अभ्यर्थियों में से परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही की गई है।

चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा, अतः एक सुयोग्य विभागीय अस्थायी कर्मचारी की तदर्थ रूप से नियुक्ति (१ सितम्बर, १९७७ से २८ फरवरी, १९७८ तक के लिए) कर दी गई थी।

*४५—श्री मित्रसेन—

[४ थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बिशुनपुरा विकास खंड, जिला देवरिया में पेयजल का अभाव एवं कतिपय रोगों का प्रसार

*४६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील के बिशुनपुरा विकास खंड में पेयजल के अभाव के कारण ९५ प्रतिशत ग्रामीण चेचक, स्नोफीलिया, कृमि रोग, फाइलेरिया आदि रोगों से ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण बिशुनपुरा विकास खंड में व्यापक सर्वे कराकर उक्त रोगों के उन्मूलन की व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत विकास खंड में पेयजल के अभाव के कारण ही प्रश्नगत बीमारियां हुई हैं इसकी जानकारी नहीं है। वैसे भी पेयजल के अभाव से इन बीमारियों का सम्बन्ध नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशुनपुरा (देवरिया) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसा अप्रैल, १९७७ से मार्च, १९७८ की अवधि मे प्रश्नगत रोगों की स्थि निम्नवत रही—

रोग	रोगी संख्या
(१) घेघा	८८
(२) स्लोफीलिया	६९
(३) कृमिरोग	३१३
(४) फाइलेरिया	१४३

फाइलेरिया रोग के सम्बन्ध में विशुनपुरा विकास खंड में माह जनवरी, फरवरी १९७८ में सर्वेक्षण कराया जा चुका है। प्रश्न में उल्लिखित शेष रोगों के सर्वेक्षण हेतु आदेश पारित कर दिए गए हैं।

आगरा मेडिकल कालेज एवं सरोजिनी नायडू अस्पताल में हड़ताल

*४७—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि तारीख १८ अगस्त, १९७७ से आगरा मेडिकल कालेज और सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा दोनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के फलस्वरूप डाक्टरों और नर्सों ने अस्तपाल और इमरजेन्सी वार्ड का पूर्ण बहिष्कार किया ? क्या इसके फलस्वरूप कई गम्भीर रोगियों और घायल व्यक्तियों की मृत्यु बिना उचित उपचार के ही हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु संख्या कितनी है ? क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन कराई गई ? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक १८ अगस्त, १९७७ से मेडिकल कालेज, आगरा तथा सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में केवल जूनियर डाक्टर्स, नर्सों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया, किन्तु सीनियर डाक्टर्स अपने-अपने कार्य पर रहे, जिसके फलस्वरूप अस्पताल और इमरजेन्सी वार्ड में भरती मरीजों की देखभाल होती रही। हड़ताल की अवधि में उचित उपचार के अभाव के कारण किसी रोगी अथवा घायल की मृत्यु नहीं हुई। अतः इस सम्बन्ध में छानबीन कराने का प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय विश्व निधि आयुक्त, कानपुर में श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लम्बित मामले

*४८—श्री रामदत्त जोशी—

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त, १९७७ तक प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में ऐसे कितने अवकाश प्राप्त औद्योगिक श्रमिकों तथा कर्मचारियों के मामले थे जिन्हें रिटायर हुए १ वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद उनको देय फण्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया और उपरोक्त अवकाश प्राप्त कर्मचारियों में उनकी संख्या कितनी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यालय में ३१ अगस्त, १९७७ तक किसी भी सेवा निवृत्त कर्मचारी का दावा एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित नहीं था ।

मृत कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के ग्राम सोहांस की शराब की दुकान को बन्दी

*४९--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डे (जिला बस्ती)--

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के सोहांस खास ग्राम में जहां पर कि जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल तथा मन्दिर है उसी के सन्निकट शराब की दूकान है, उक्त शराब की दूकान से वहां के नागरिकों को बड़ी परेशानी है और आए दिन शान्ति भंग होने का अन्देशा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शराब की दूकान को अन्यत्र हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्नगत देशी शराब की दुकान अपने वर्तमान स्थान पर कई वर्षों से स्थापित थी। इस दुकान के कारण शांति भंग की कोई घटना नहीं हुई है। फिर भी इस दुकान को इस वर्ष (१९७८-७९) में बन्द कर दिया गया है ।

*५०--श्री कृष्णा राय--

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*५१--श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद ने वर्ष १९६६, १९७१, १९७४, १९७५, १९७६ में यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायगा ? यदि हां, तो बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डर टेकिंग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और उन्हें नियमित नहीं किया जा सका ? क्या बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विद्युत परिषद् को सिफारिश इस वर्ष की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

राज्य विद्युत परिषद् ने केवल सन् १९६६ में उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में समायोजित करने के आदेश जारी किए थे जो अनुरक्षण कार्यों में संलग्न थे तथा जिन्होंने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली थी । वर्ष ७१, ७४, ७५ तथा ७६ में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया । ३१ जुलाई, १९७५ व १ अगस्त, १९७५ की मध्य रात्रि में बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का परिषद द्वारा अधिग्रहण किया गया । उस समय कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ १५० दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी परिषद

में आ गये। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, बरेली ने बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग हेतु कुछ अतिरिक्त स्टाफ मांगा था, जिसमें यह भी प्रस्ताव था कि लम्बे समय से कार्यरत कम्पनी से लिए गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का समायोजन भी अतिरिक्त पदों के अन्तर्गत हो जाय। परिषद् ने विचारोपरान्त यह आदेश दिये हैं कि अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाय तथा सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में समायोजित किया जाय जो कम्पनी के अधिग्रहण के समय परिषद् में लिए गये थे।

आजमगढ़ जिले के ब्लाक मार्टिनगंज के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र

*५२--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक मर्तिनगंज मिर्जापुर, मुहम्मदपुर, फूलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह मई, माह जुलाई-अगस्त, सितम्बर, १९७७ में कुल कितने आवेदन-पत्र मिले हैं और उक्त ब्लाकों में कहां-कहां चिकित्सालय एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की मांग की गई है और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद आजमगढ़ के प्रश्नगत ब्लाकों में से केवल मार्टिनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम शिशुतारा, बरौना, दुबरा एवं चितारा में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का आवेदन-पत्र शासन को मिला है। इन ग्रामों में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला मैनपुरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

*५३--श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मैनपुरी जनपद में दिनांक १८ अगस्त, १९७७ से २२ नवम्बर, १९७७ तक कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किए गए और उनकी नियुक्ति किस अधिकारी ने की है ? क्या कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्थानान्तरण, नियुक्ति के लिए सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक १८ अगस्त, १९७७ से २२ नवम्बर, १९७७ तक जो स्थानान्तरण एवं नयी नियुक्तियां की हैं वे कैसे कीं ?

श्री कल्याण सिंह--

मैनपुरी जनपद के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में १८-८-७७ से २२-११-७७ तक चतुर्थ श्रेणी के कुल दो कर्मचारी कार्यवाहक मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये हैं। कार्यवाहक चिकित्साधिकारी अपने जनपद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के लिए सक्षम हैं।

हरदोई जिले की नगरपालिका पिहानी के कर्मचारियों का भविष्य निधि

*५४-श्री राम प्यारे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका पिहानी, जनपद हरदोई में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सेवा से निवृत्त हुए तो ३ वर्ष से अधिक हो गया है किन्तु उनके भविष्य निधि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि नगरपालिका के कर्मचारियों के भुगतान हेतु कई बार भविष्य निधि एवं वेतन की धनराशियां पालिका कोष से निकाली गईं किन्तु कर्मचारियों को वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका पिहानी, जनपद हरदोई में ८० कर्मचारियों को सेवा निवृत्त हुए ३ वर्ष से अधिक का समय हो गया है जिनको उनके भविष्य निधि का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है। यह सच नहीं है कि नगरपालिका कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं वेतन के भुगतान हेतु पालिका कोष से धनराशि निकाली गई और उसका वितरण उनको नहीं किया गया ।

मेसर्स नारंग ब्रिवरीज, नवाबगंज, गोण्डा के श्रमिकों की छंटनी

*५५--श्री दीप नरायन--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ दिसम्बर, १९७७ को नवाबगंज नारंग ब्रिवरीज, गोण्डा के ८४ श्रमिकों को ले आफ कर दिया है तथा इन श्रमिकों को दो मास तक आधा वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो इन श्रमिकों को ले आफ करने की अनुमति किसने दी है ? सरकार इन श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेने के लिए कार्यवाही कर रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, दिनांक ४-१२-७७ से मेसर्स नारंग ब्रिवरीज, नवाबगंज गोण्डा के सेवायोजकों ने अपने ८४ श्रमिकों को ६० दिनों के लिये बठकी पर भेजा था । बाद में बैठकी की अवधि ३० दिन के लिये और बढ़ा दी थी । बैठकी के दौरान आधा वेतन ही नियमानुसार देय होता है । प्रश्नगत प्रतिष्ठान में ३०० से कम श्रमिक नियोजित थे । अतः ले आफ करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ।

दिनांक १६-२-७८ को उभय पक्षों में एक समझौता सम्पन्न हो गया जिसके अनुसार श्रमिकों ने अपनी छंटनी किया जाना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उन्हें सभी देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाये । अतः उनको कार्य पर पुनः रखने के लिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर दी जाने वाली छूट का निरसन

*५६--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या विद्युत मन्त्री को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश क्रम १८२/सी०एस०ई०बी०/बी०/७५, जनवरी १५, १९७५ तथ आदेशक्रम ११४६/एच०ए०ई०सी०एस०ई०बी/बी०/२९बी०/सी०/७३, अप्रैल १६, १९७३ के अनुसार यह निणय लिया था

कि ३ हार्स पावर से लेकर १०० हार्स पावर तक के चलने वाले विद्युत् मोटरों पर १/३ प्रतिशत की उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त १/३ प्रतिशत छूट उन्नाव जनपद के विद्युत् उपभोक्ताओं को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के आदेश संख्या १८२ सी०/एस०ई०बी०-पांच-७५/२९८-सी/७३, दिनांक १५-१-७५ द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिनका वास्तविक मासिक उपभोग मिनिमम गारन्टी से कम आता था और जो निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवसों का पालन करते थे उन्हें बिलों में छूट देने का प्राविधान किया था। उक्त आदेश के अनुसार उन्नाव जनपद में उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट दे दी गई। आदेश संख्या ११/४६ एव० सी०/एस०ई०बी०-पांच-२९८ सी/७३, दिनांक १४ अप्रल, १९७७ के द्वारा पावर कट के दौरान विभिन्न रेट शिड्यूल के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिनिमम गारन्टी से मुक्त किया गया था। तदनुसार पावर कट के दौरान उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग का ही जार्ज लिया गया है।

आगरा जिले की नगरपालिका फिरोजाबाद की अपूर्ण सीवरेज लाइन

*५७—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद की सीवेज लाइन जो कि १९७१ से डाली गई है, को कब तक चालू कर दिया जावेगा और अब तक चालू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका फिरोजाबाद, जनपद आगरा की सीवरेज लाइन पर कार्य वर्ष १९७० में प्रारम्भ हुआ था न कि १९७१ में। योजना को मार्च, १९७८ तक पूर्ण कर चालू किये जाने का प्रस्ताव है। पम्पिंग स्टेशन के असफल हो जाने तथा रेलवे लाइन को पार कर सीवर लाइन डालने की अनुमति रेलवे विभाग से नहीं मिल पाई थी जिसके कारण योजना को अब तक पूर्ण कर चालू नहीं किया जा सका है। अब नय पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है तथा रेलवे विभाग से भी रेलवे लाइन को पार करने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

*५८—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[७वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गाजियाबाद के विद्युत् प्रतिष्ठानों द्वारा विद्युत् की चोरी एवं वसूल की गयी धनराशि

*५९—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में लघु उद्योगों में वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ में कितनी इकाइयों पर विद्युत् चोरी पकड़ने के लिए छापा मारा गया है ? उन छापा में कितनी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने बार बार टैम्परिंग करके विद्युत् की चोरी की है ? उनके प्रति शासन तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वर्ष १९७६–७७ में ३३३ तथा १९७७–७८ में (माह १०/७७ तक) १७९ औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर विद्युत् की चोरी पकड़ने हेतु समय–समय पर छापा मारा गया, उक्त छापों के फलस्वरूप वर्ष १९७६–७७ में ७४ तथा १९७७-७८ में ४६ प्रतिष्ठानों में विद्युत् चोरी से सम्बन्धित अनियमितताये पाई गईं। उक्त छापों में ९ ऐसे भी प्रतिष्ठान पाये गये, जिन्होंने विद्युत् चोरी से संबंधित बार-बार अनियमितताये की तथा उन्हें अनधिकृत रूप से विद्युत् का उपभोग करते पकड़ा गया। जिन उपभोक्ताओं को वर्ष १९७६–७७ एवं १९७७–७८ में दोषी पाया गया उन्हें क्रमशः १,१३,९६५·५१ तथा १,६८,१२९·७२ रु० धनराशि के अनुमानित विद्युत् देय के भुगतान हेतु भेजे गये थे, जिसमें क्रमानुसार १,१३,०२०·५१ रु० एवं १,२४,७१६·३७ रु० की धनराशि वसूल की जा चुकी है।

सुल्तानपुर जिले के पावर हाउस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की नियुक्ति

*६०—श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री बृज लाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में ४०० के० वी० पावर हाउस में अगस्त, सन् १९७७ ई० से आज तक काफी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां अधिशासी अभियन्ता ४०० के० वी० पावर हाउस, सुल्तानपुर द्वारा की गयी है जिनमें हरिजन पिछड़ा वर्ग का कोई कर्मचारी नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो आरक्षण के सिद्धान्त का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

४०० के० वी० सुल्तानपुर सब–स्टेशन में अगस्त, १९७७ से अब तक चतुर्थ श्रेणी में १९ नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से दो कर्मचारी अनुसूचित जाति के एवं चार कर्मचारी पिछड़ी जाति के हैं। नियुक्तियों में आरक्षण के सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन किया गया है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६१—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जल निगम के विद्युत् एवं यांत्रिक अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण की मांग

*६२—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री राम अधार—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम एवं पूर्व स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत लगभग १४ साल से कार्य कर रहे विद्युत् एवं यांत्रिक अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण एवं पदोन्नति किन कारणों से अब तक नहीं हो पा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश जल निगम एवं पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विद्युत् एवं यांत्रिक अवर अभियंताओं का स्थायीकरण एवं पदोन्नति इनकी विपुरित तथ्य होने के कारण नहीं हो सकी।

जल निगम के कथित अनुरक्षण शाखा में अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति की मांग

*६३--श्री कृष्ण राय तथा श्री राम अधार--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत नव सृजित अनुरक्षण शाखाओं में अधिशासी अभियन्ता के पद पर विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं की नियुक्ति निगम द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? जबकि अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों को विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं को दिए जाने हेतु सिफारिश वर्ष १९७२ में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एवं वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने स्वयं शासन से की थी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत अनुरक्षण शाखा के नाम से कोई भी शाखा सृजित नहीं की गयी है अतः उनमें विद्युत एवं यांत्रिक अधिशासी अभियंताओं की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

हेल्थ स्कूलों की अधीक्षिकाओं की निर्धारित योग्यता

*६४--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हेल्थ स्कूलों में तैनात अधीक्षिकाओं की निर्धारित योग्यता क्या है? और कितनी ऐसी अधीक्षिकायें हैं, जो निर्धारित योग्यता न रखते हुए भी सम्बन्धित पद पर कार्यरत हैं और हेल्थ स्कूल बरेली में तैनात अधीक्षिका (कुमारी फ्रान्सिस) जो अफिसियेटिंग अधीक्षिका थीं, उन्हें सम्बन्धित पद से किस कारणवश प्रत्यावर्तित किया गया?

श्री कल्याण सिंह--

हेल्थ स्कूलों में तैनात अधीक्षिकाओं के लिए यू० पी० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है :--

१--प्रसाविका या स्वास्थ्य निरीक्षिका का प्रमाण-पत्र।

२--पी० एच० एन० का प्रमाण-पत्र।

३--सिस्टर ट्यूटर का डिप्लोमा।

४--पांच वर्ष का टीचिंग एवं क्षेत्रीय अनुभव।

इस समय दो अधीक्षिकायें ऐसी हैं, जो निर्धारित योग्यता न रखते हुए भी उक्त पदों पर कार्यरत हैं।

हेल्थ स्कूल, बरेली में अधीक्षिका के पद पर कार्यरत कु० फ्रांसिस को निर्धारित योग्यता न रखने के कारण प्रत्यावर्तित किया गया।

नगर पालिका, बस्ती में नियुक्त केन्द्रीयित सेवा का चुंगी अधीक्षक

*६५--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम श्रेणी की नगरपालिका में चुंगी अधीक्षक का पद सेन्ट्रलाइज सर्विस का है? यदि हां, तो बस्ती नगरपालिका जो प्रथम श्रेणी में है, वहां नान सेन्ट्रलाइज व्यक्ति उस पद पर कैसे कार्यरत है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, वर्तमान समय में नगरपालिका, बस्ती में केन्द्रीयित सेवा का ही व्यक्ति चुंगी अधीक्षक पद पर कार्यरत है।

नगरपालिका, बस्ती में कर अधीक्षक एवं चुंगी अधीक्षक की नियुक्ति में विवाद

*६६—श्री ओम प्रकाश—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बस्ती पालिका में चुंगी अधीक्षक तथा कर अधीक्षक का पद अलग सृजित है? यदि नहीं, तो सेन्ट्रालाइज सर्विस के व्यक्ति को चुंगी अधीक्षक के पद पर न रख कर कर-अधीक्षक के पद पर क्यों रखा गया? इन अनियमितताओं की जिम्मेदारी किसकी है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका, बस्ती, जिसका श्रेणी-२ से श्रेणी-१ में वर्गोत्थान वर्ष १९७५ में हुआ था, में वर्गोत्थान के पूर्व से ही चुंगी अधीक्षक का एक पद सृजित था जिस पर निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति को पहले तो नहीं रखा गया किन्तु बाद में अर्थात् ६-२-१९७८ से उस पद का कार्यभार दे दिया गया। निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति को चुंगी अधीक्षक का पद भार न दिलाने की जिम्मेवारी वहां के अधिशासी अधिकारी की थी, जो इस समय निलम्बित हैं।

फैजाबाद के हैदरगंज एवं बीकापुर में टाउन एरिया के सृजन की मांग

*६७—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के हैदरगंज एवं बीकापुर को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, १९७७ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। जिले स्तर से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर टाउन एरिया के सृजन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग

*६८—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षा व सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की योजना को लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही अब तक की जा चुकी है?

श्री कल्याण सिंह—

ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने तथा आकस्मिक आवश्यकता के समय तात्कालिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक योजना २ अक्तूबर, १९७७ से उत्तर प्रदेश के ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

में से ३८४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत १००० की जनसंख्या पर एक जनस्वास्थ्य रक्षक रखे जाने का प्राविधान है। प्रथम तीन माह की अवधि में ३६८२ तथा दूसरे में ३७८४ जनस्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तीसरा बैच १ अप्रैल, १९७८ से प्रशिक्षण के लिए चुन लिया गया है।

जहां तक सामूहिक स्वास्थ्य बीमे की योजना का प्रश्न है इस तरह की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

जल निगम, लखनऊ में आशुलिपिकों की अनियमित नियुक्ति

*६९—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७७ में जल निगम, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आशुलिपिकों की नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय एवं समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए कर ली गई थीं? यदि हां, तो क्यों? सरकार इन नियुक्तियों को तुरन्त निरस्त कर नियमानुसार नियुक्ति के आदेश करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, यह नियुक्तियां तदर्थ रूप से की गई थीं, जो पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था स्वरूप थीं, अतः सेवायोजन कार्यालय एवं समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया। इन पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अप्रैल, १९७८ के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, गाजियाबाद पर खर्च की गई धनराशि एवं उत्पादित बिजली

*७०—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एथारिटी, गाजियाबाद में विद्युत विभाग ने लगभग दो करोड़ रुपया खर्च किया है जब कि केवल ५० किलोवाट बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

२८-२-१९७८ तक विद्युत परिषद् ने अपने कार्यों पर कुल १५·६४ लाख रुपया न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, गाजियाबाद में खर्च किये हैं।

२८-२-१९७८ तक विद्युत परिषद् ने कुल १४९१ किलोवाट बिजली दे दी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम धनसिंहपुर के निवासियों का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*७१—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५-१२-१९७७ को ग्राम धनसिंहपुर, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरोरा अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र प्रोजेक्ट, बुलन्दशहर हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*७२--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में नरौरा अणु-शक्ति केन्द्र प्रोजेक्ट के आस-पास के ३ मील का क्षेत्र जनवरी, १९७८ को विनियमित क्षेत्र घोषित किया है? यदि हां, तो यह कितने गांवों पर लागू होता है और उनमें से कितने आदमियों को मकान और जमीन का मुआवजा दे दिया गया है? और बाकी गांवों के निवासियों को कब तक गांव तथा खेती का मुआवजा दे दिया जायगा और आबादी रहित क्षेत्र कितने मील का होगा?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, नरोरा अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र प्रोजेक्ट, जिला बुलन्दशहर के आस-पास ३ मील का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत २४ ग्राम प्रभावित होते हैं। इनमें से अणुशक्ति केन्द्र से केवल १/२ मील के अर्द्धव्यास में आने वाली भूमि अध्याप्त की गई है जिसके अंतर्गत आने वाले समस्त कृषकों (६५३ कृषकों की भूमि तथा १५ कृषकों को मकान व झोपड़ी) का प्रतिकर दिया जा चुका है। इसके बाहर आने वाले ग्रामों के कृषकों को कोई प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनकी भूमि अभी अध्याप्त नहीं की गई है। उनको मुआवजा देने का प्रश्न तब उठेगा जब उनकी भूमि की आवश्यकता नरोरा अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र को होगी और नियमानुसार उनकी भूमि अध्याप्त की जायगी।

आबादी रहित क्षेत्र केन्द्र से १/२ मील के अर्द्धव्यास के अन्तर्गत होगा परन्तु ३ मील के व्यास के अन्तर्गत पड़ने वाले २४ ग्रामों में नए निर्माण अथवा वर्तमान निर्माण में परिवर्तन बिना नियंत्रक प्राधिकारी की स्वीकृति करना सम्भव न होगा।

मेसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर की बन्दी

*७३--श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर का जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स मिल अवैधानिक तरीके से बन्द है? यदि हां, तो शासन ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? मिल चालू करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, मेसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर दिनांक १ अक्तूबर, १९७६ से अवैधानिक तरीके से बन्द है। शासन के आदेश की अवहेलना करके इस प्रकार मिल को बन्द करने के आरोप पर प्रबन्धकों के विरुद्ध मैट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायालय में प्राभियोजन दायर कर दिया गया है। इस प्राभियोजन के विरोध में प्रबन्धकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रिमिनल रिवीजन दायर कर दिया है। मिल को बन्द करने की स्वीकृति शासन द्वारा न दिए जाने के विरोध में भी प्रबन्धकों ने रिट याचिका दायर की है।

इस मिल को पुनः चालू कराने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर कई बार मीटिंगें की गईं और सेवायोजकों से बात की गई मगर कोई सफलता नहीं मिली । उनका कहना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण मिल को पुनः चालू कराने में वे असमर्थ हैं । इसके लिए भारी मात्रा में "वर्किंग कैपिटल" की आवश्यकता होगी । प्रतिष्ठान को बैंक से ऋण दिलाने का प्रयास भी सफल नहीं हो सका है । मिल को अधिग्रहण करने हेतु भारत सरकार भी तैयार नहीं है । इस मिल पर सेकेन्ड सिविल जज, कानपुर द्वारा रिसीवर बैठा दिया गया है ।

जल निगम मुख्यालय में विभिन्न लिपिकों की पदोन्नति में कथित अनियमितता

*७४—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जल निगम मुख्यालय में माह मई, १९७७ में वरिष्ठ आलेखकों, प्रालेखकों, कनिष्ठ आलेखकों/प्रालेखकों के पदों पर सीनियर लिपिकों की पदोन्नति न करके उनसे जूनियर लिपिकों की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रोन्नति का आधार क्या है ? क्या सरकार मामले की अविलम्ब जांच करा कर अनियमित की गई पदोन्नतियों को निरस्त कर नियमित पदोन्नतियां करने का आदेश पारित करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जल निगम में माह मई, १९७७ में वरिष्ठ आलेखकों/प्रालेखकों तथा कनिष्ठ आलेखकों/प्रालेखकों के पदों पर पदोन्नतियां उस समय मुख्यालय में कार्यरत लिपिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की गई थीं ।

पदोन्नतियों में कोई अनियमितता नहीं की गई, अतः उनके निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मार्टिनबर्न कम्पनी का अधिग्रहण एवं बिजली की आपूर्ति हेतु किए गए निर्माण कार्य

*७५—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मार्टिनबर्न कम्पनी द्वारा स्थापित पावर हाउस का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उसको नियमित रूप से चालू रखने एवं कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, १८ दिसम्बर, १९७३ को परिषद् द्वारा आगरा की मार्टिनबर्न कम्पनी को अधिगृहीत करने के उपरान्त, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न विद्युत् उपकेन्द्रों, पारेषण एवं वितरण लाइनों का निर्माण किया गया, शिकायत कक्ष खोले गए, ब्वायलर तथा टरबाइन की मरम्मत आदि की गई जिसका पूर्ण विवरण संलग्नक में दर्शाया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४० पर ।)

*७६--श्री राजेश कुमार सिंह--

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हमीरपुर जिले की सुमेरपुर टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण और झाड़, व वर्दी, डलिया, आदि की आपूर्ति तथा वेतन से कटौती

*७७--श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला हमीरपुर की सुमेरपुर टाउन एरिया के सफाई कर्मचारी कितने वर्षों से सेवारत हैं, उनमें कितने की सेवाएं स्थाई व अस्थाई हैं ? इन अस्थाई सफाई कर्मचारियों को अभी तक स्थाई न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हमीरपुर जिले की सुमेरपुर टाउन एरिया में ११ सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं । इनमें से ६ कर्मचारी १९६७ या उसके पूर्व से १ कर्मचारी १९७३ से तथा ४ कर्मचारी १९७४ से कार्यकर रहे हैं । यह सभी कर्मचारी अस्थाई है । उनके स्थाईकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

*७८--श्री ओंकार नाथ--

क्या यह सच है कि सुमेरपुर टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों को गत एक वर्ष से झाड़ू, डलिया आदि आवश्यक सामान नहीं दिया गया तथा तीन वर्ष से वर्दी नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि २५ रुपया प्रति माह इनके वेतन से कटौती की गई ? यदि हां, तो क्यों और कब से कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हमीरपुर जिले की सुमेरपुर टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों को झाड़ू, डलिया तथा अन्य आवश्यक सामान नियमानुसार दे दिया गया है । सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक ३ वर्ष पर वर्दी दी जाती है । पिछली बार जनवरी, १९७६ में वर्दी दी गई थी ।

कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती की गई वह अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का ५०% के रूप में नियमानुसार की गई । अब चूंकि यह योजना समाप्त हो गई है इसलिए कोई कटौती नहीं की जा रही है और कटौती के रूप में जो धनराशि जमा है उसकी वापसी की कार्यवाही की जा रही है ।

*७९--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि०, देवरिया के गन्दे पानी से जन स्वास्थ्य को खतरा

*८०--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करगे कि श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, बैतालपुर, जिला देवरिया के गन्दे पानी एवं सीरे को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जन सामान्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गणेश दत्त बाजपेई—

जी हां । श्री सीताराम शुगर कं० लि०, बैतालपुर, जिला देवरिया से निकला उत्प्रवाह कारखाने के बाहर स्थित सेटलिंग टैंक में जाता है जहां उसके ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था है । उससे एक कच्ची नाली के द्वारा उत्प्रवाह लगभग दो किलोमीटर दूर कुरना नाले में जाता है । किन्तु इस समय लगभग समस्त उत्प्रवाह कुरना नाले में गिरने के पूर्व ही किसानों द्वारा स्वेच्छा से अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ।

ट्रीटमेन्ट की उक्त व्यवस्था निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल न होने के कारण ऐफलुएन्ट बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप कारखाने के दखलदारों के विरुद्ध तीन मुकदमें दायर किए गए हैं ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया ने रिपोर्ट किया है कि उत्प्रवाह से जनस्वाथ्य को कोई खतरा नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा आहरित जांघिया व पेटीकोट की धनराशि

१—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

विधान सभा के दूसरे सत्र १९७७ के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७६-७७ में जांघियां व पेटीकोट के लिए आवंटित १३,६२८ रुपये किस तारीख व माह में मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा निकाला गया और किस तारीख व माह में जांघियां व पेटीकोट बनवाया गया और क्या उस समय परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत नसबन्दी हो रही थी ?

श्री कल्याण सिंह—

वर्ष १९७६-७७ में प्रश्नगत आवंटित धनराशि में से केवल १२६३० रुपया २५ पैं० की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा आहरित की गई थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :—

आहरण की तिथि	धनराशि
	रु०
(१) १५ मार्च, १९७७	२,१२४.८९
(२) ३१ मार्च, १९७७	१०,५०५.३६
	१२,६३०.२५

जांघियां व पेटीकोट बनाए जाने के तारीख व माह के विवरण संलग्न सूची में दिए जा रहे हैं । उस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबन्दी हो रही थी ।

(देखिए परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ १४६ पर) ।

२—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

हरदुआगंज पावर हाउस की मशीन का डैमेज

४—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज पावर हाउस (स्टेशन "ए") पर ३० मेगावाट की मशीन का डैमेज दिनांक १९ अगस्त, १९७७ को हो गया है, जिससे शासन का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ८ महीने तक अब इस मशीन से विद्युत् जनरेशन भी नहीं की जा सकेगी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां । दिनांक १९ अगस्त, १९७७ को हरदुआगंज 'ए' पावर स्टेशन की एक ३० मेगावाट की मशीन डैमेज हो गई थी ।

वास्तविक नुकसान का पता मशीन के निर्माता सर्वश्री के० डब्लू० यू० बेस्ट जर्मनी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही विदित हो सकेगा । किन्तु प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार लगभग ४ लाख रुपए का नुकसान हुआ है । डैमेज होने के लगभग ३ महीने के पश्चात् मशीन दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ को पुनः चालू कर दी गई और उससे विद्युत् उत्पादन होने लगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले में चिकित्सालय एवं अस्पताल की स्थापना की मांग

५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन कृपया बताएगी कि वर्ष १९७७-७८ में मैदानी क्षेत्रों में १०६ चिकित्सालय एवं ४ अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इसमें से बहराइच जनपद में कितने चिकित्सालय तथा अस्पताल कहां-कहां खोलने के लिए प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

६—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग के लिपिकों की पदोन्नति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण

७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० १५/५-१९७३-स्ट० एको०, दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ के साथ पठित शासनादेश सं०

१८/८/९७३, रा० एकी० दिनांक २० मार्च, १९७४ एवं सं० ६५/२/६९ रा० एकी०, दिनांक ८ मार्च, १९७३ के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों म अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण के आधार पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश मेडिकल मिनिस्टीरियल सबार्डीनेट केडर में पारस्परिक ज्येष्ठता सूची बनाकर पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित शासन देशों में दिये गये निदेशों के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल सबार्डीनेट केडर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण के आधार पर उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है और उनके लिये आरक्षित पदों पर उनकी पदोन्नति का मामला विचारधीन है।

उन्नाव जिले के राजकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण

८--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव में निर्मित हो रहे एक-मात्र राजकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अस्पताल भवन-निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह--

संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव के भवन निर्माण का कार्य रोका नहीं गया है वरन् धन की कमी के कारण कार्य धीमी प्रगति पर है। धनराशि की उपलब्धता की दशा में उक्त कार्य के वर्ष १९७९ के अन्त तक पूर्ण किये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय मार्गों पर नगरपालिकाओं तथा टाउन एरिया द्वारा लिया जाने वाला टोल टैक्स

९--श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने राष्ट्रीय मार्गों पर से नगरपालिकाओं और टाउन एरिया क्षेत्रों में बसों व टैक्सी से प्रवेश करने वाले यात्रियों पर टोल टैक्स हटाने का फैसला अभी हाल में किया है ? यदि हां, तो इस फैसला को कब से लागू किया जाएगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

राष्ट्रीय मार्गों पर से नगरपालिकाओं और टाउन एरिया क्षेत्र में बसों व टैक्सी से प्रवेश करने वाले यात्रियों पर से टोल टैक्स हटाने का कोई निर्णय अभी तक शासन द्वारा नहीं लिया गया है।

टाउन एरिया, रेणुकूट में विद्युत् व पानी की व्यवस्था की मांग

१०--श्री ऊदल--

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड व टाउन एरिया, रेणूकूट, जिला मिर्जापुर में मुख्य सड़क पर आज तक बिजली की रोशनी तथा पानी के लिए सार्वजनिक जल की व्यवस्था नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नोटीफाइड एरिया कमेटी, रेणूकूट, जिला मिर्जापुर दिसम्बर, १९७७ में क्रियाशील हुई है। अभी यहां सार्वजनिक प्रकाश और पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्युत् विभाग तथा जल निगम से प्रकाश एवं बिजली की व्यवस्था शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

विकास खंड खड्डा, जिला देवरिया में प्रशिक्षित दाइयां और उनकी नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

११—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड खड्डा में मार्च-अप्रैल, १९७७ तथा जून-जुलाई, १९७७ में कितनी दाइयों को ट्रेनिंग दी गयी और उनकी नियुक्ति कहां-कहां की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

देवरिया जनपद के विकास खंड खड्डा में मार्च एवं अप्रैल, १९७७ में १७ दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया तथा जून एवं जुलाई, १९७७ में किसी भी दाई को प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

इन प्रशिक्षित दाइयों में से किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है।

१२—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दाइयों की उक्त ट्रेनिंग में सरकार का कितना खर्च हुआ और उस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य था ? क्या सी० एम० ओ० देवरिया को कुछ दाइयों का आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

इन दाइयों के प्रशिक्षण में सरकार का कुल २६२५ रु० व्यय हुआ। इन दाइयों को सरकारी सेवा में रखने हेतु प्रशिक्षित नहीं किया गया बल्कि इन्हें प्रशिक्षित करने का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में गर्भवती स्त्रियों को प्रसव सम्बन्धी सुविधायें पहुंचाना है तथा प्रसव सम्बन्धी कार्य वैज्ञानिक ढंग से तथा सुगमतापूर्वक करना है ताकि गर्भवती माता एवं शिशुओं को होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सके और उनमें होने वाली मृत्युदर को घटाया जा सके।

प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ इन दाइयों का कोई भी आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के सिंगही निवासी श्री गुलाब शाही व श्री शत्रुघन जीत नारायण शाही द्वारा विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा धनराशि

१३—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मंत्री को यह पता है कि देवरिया जिले के विकास खंड नेबुआ नौरंगियां के श्री गुलाब शाही व श्री शत्रुघन जीत नारायण शाही विद्युत् कनेक्शन हेतु दिनांक २० जून, १९६९ तथा १७ फरवरी, १९६९ को मिलाकर क्रमशः

८३०·०० व ४५०·०० रुपए जमा किए थे कनेक्शन न मिलने के कारण रुपए की वापसी हेतु मंत्री को दिनांक २३ जुलाई, १९७७ को आवेदन-पत्र दिए। जि। पर मन्त्री तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत परिषद, देवरिया के आदेश के बाद भी रुपया अब तक किन कारणों से वापस नहीं किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सर्वश्री गुलाब शाही व शत्रुघन जीत नारायण शाही ग्राम व पोस्ट सिंगही, विकास खंड निबुआ नौरंगिया ने कनेक्शन लेने हेतु ८३० व ४५० रु० क्रमशः जमा किये थे। जमा की गई धनराशि की वापसी के लिये २३-७-७७ को आवेदन-पत्र दिया था और उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा जमा किए गए रुपये में से अग्रिम धनराशि को घटाकर ७८० व ४५० रु० क्रमशः चेक संख्या ९६८१७, दिनांक २८-२-७८ तथा चेक संख्या ०९६८१८, दिनांक २८-२-७८ के द्वारा वापस कर दी गई।

गाजीपुर के विद्युत सब-डिवीजन में विद्युत करेन्ट से घायल पेट्रोल मैन, श्री बिसमिल्ला का अवकाश एवं पुनर्नियुक्ति

१४--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलमैन, श्री बिसमिल्ला, प्रथम सब डिवीजन गाजीपुर (सैदपुर) का लाइन पर कार्य करते हुए तारीख १२ नवम्बर, १९६८ को करेन्ट लग जाने से घायल हो गया और उसी दिन उसे लाकर श्री शिव प्रसाद गुप्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वह एकदम पंगु हो गया है ? उसने बहुत से प्रार्थना-पत्र आसान काम हेतु तथा तनख्वाह हेतु दिया है ? प्रश्नकर्ता ने भी एक प्रार्थना-पत्र राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष को तारीख ११ अगस्त, १९७७ को अपने पत्र के साथ दिया है कि इसे बकाया वेतन (मेडिकल अवकाश) और आसान कार्य (टेलीफोन अटेंडेन्ट) दिया जाय या क्षतिपूर्ति की जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां। प्राथमिक चिकित्सा हेतु उन्हें सैदपुर चिकित्सालय में भेजा गया, तदोपरान्त डाक्टरी सलाह के अनुसार दिनांक १३-११-६८ को शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी में भर्ती किया गया। दिनांक ८-१-६९ को उन्हें वाराणसी चिकित्सालय से मुक्त कर दिया गया एवम् डाक्टर ने सलाह दी कि श्री बिसमिल्ला कुछ दिन अवकाश पर रहने के बाद कार्य करने योग्य हो जायेंगे। परन्तु अस्पताल से मुक्त होने के पश्चात् न तो वे कार्यालय आये और न ही इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई पत्र-व्यवहार किया। एक प्रार्थना-पत्र दिनांक शून्य श्री बिसमिल्ला से प्राप्त हुआ, जिसे सहायक अभियन्ता, सैदपुर ने अपने पत्र दिनांक १२-१-७० द्वारा उनसे डाक्टरी प्रमाण-पत्र के साथ अवकाश प्रार्थना-पत्र मांगा था। इस पर श्री बिसमिल्ला ने एक प्रार्थना-पत्र डाक्टरी प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह अभी स्वस्थ नहीं हैं और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अतः कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाने के उपरान्त वे पुनः सेवा करेंगे। सहायक अभियन्ता ने उक्त प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र दिनांक २३-२-७० द्वारा मूल रूप में उन्हें लौटाते हुए यह निवेदन किया कि इच्छित अवकाश का समय प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट करें।

प्रश्नकर्ता ने अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् को अपने पत्र दिनांक ११-५-७७ के साथ (प्रतिलिपि संलग्न है) श्री बिसमिल्ला का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-८-७७ को दिया था । परिषद् ने प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र की प्रति उ के संलग्नक सहित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, गाजीपुर को पत्र संख्या १७७०-डब्लू० सी०/ए ।० ई० बी० (आई० आर०-११) १२-७७-१५(७०)-डी०/६९, दिनांक २६-८-७७ द्वारा अग्रसारित करते हुए आख्या मांगी थी ।

इसके अतिरिक्त श्री बिसमिल्ला ने कोई प्रार्थना-पत्र एवम् डाक्टरी प्रमाण-पत्र नहीं दिया इस कारण अवकाश स्वीकृत करना सम्भव न था ।

श्री बिसमिल्ला कार्यालय में कभी नहीं उपस्थित हुए जिस से यह देखा जा सकता है कि उनके दोनों पैर तथा शरीर का एक अंग करेन्ट लग जाने से खराब हो गया है । उन्होंने कोई डाक्टरी प्रमाण-पत्र भी नहीं भेजा, जिससे प्रमाणित हो सकता कि वे पंगु हो गये हैं ।

जहां तक उनको नौकरी में लेने का तथा क्षतिपूर्ति किये जाने का सम्बन्ध है, अधिशासी अभियन्ता ने पुनः उन्हें दिनांक २४-२-७८ को लिख कर उनसे निवेदन किया था कि वे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ कार्यालय में शीघ्र उपस्थित हों ताकि उनके मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री बिसमिल्ला दिनांक ६-३-७८ तक न तो अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उपस्थित हुए थे और न ही उन्होंने कोई डाक्टरी प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किया था ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४७ पर) ।

अन क्वालीफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सम्बन्धी केन्द्रीय चिकित्सा मंत्रालय का पत्र

१५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार चिकित्सा मन्त्रालय के पत्र संख्या एफ-३२-५/६४-एम० पी० टी०, दिनांक ५ मई, १९६६ द्वारा सरकार को यह सुझाव प्राप्त हुआ कि अनक्वालीफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर इंडियन मेडिकल कौंसिल अधिनियम, १९५६ के सब-सेक्शन (२) आफ सेक्शन (१५) के अधीन की जा रही कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । विधिक कठिनाइयों के कारण इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, १९५६ के शास्ति खंड (पेनल क्लाज) को स्थगित करना सम्भव न हो सका ।

जिला एवं महिला चिकित्सालय, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१६--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताएगी कि दिनांक २६ अक्तूबर, १९७७ को गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों, पत्र प्रतिनिधियों ने जिला एवं महिला चिकित्सालय के विरुद्ध कुछ शिकायत की थीं ? क्या अचानक निरीक्षण के दौरान मन्त्री ने भी कुछ अव्यवस्था देखी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

कुछ प्रव्यवस्थाओं के निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ पर कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ में महानगर स्थित ब्वायज स्कूल की अधूरी सड़क

१७—श्री देव कुमार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महानगर, जिला लखनऊ में ब्वायज स्कूल से दक्षिण को जाने वाली सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? इस हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी की जाएगी ? इस विषय में शीघ्रता के लिए सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

महानगर, जिला लखनऊ में ब्वायज स्कूल के दक्षिण की ओर स्थित १०० फीट चौड़ा सड़क एवं उससे मिलती हुई दक्षिण को जाने वाली ४० फीट चौड़ी सड़क अधूरी नहीं है । अतएव इस हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर के बांसगांव में अस्पताल भवन का निर्माण

१८—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि बांसगांव, जिला गोरखपुर में कोई २० शैय्या वाला अस्पताल पिछली सरकार द्वारा प्रस्तावित था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह —

बांसगांव, जिला गोरखपुर में २० शैय्यायुक्त अस्पताल नहीं वरन् वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ३० शैय्यायुक्त अस्पताल के रूप में उच्चीकृत करने हेतु आवश्यक भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी । भवन निर्माण प्रगति पर है ।

महमूदाबाद, जिला सीतापुर में स्टेडियम निर्माण की योजना

१९—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या खेल-कूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पिछली सरकार की कोई योजना स्टेडियम बनवाने की विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां ।

भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली उपकरणों की खरीद एवं फर्मों तथा कम्पनियों के नाम

२०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताएगी कि राज्य विद्युत् परिषद् ने वित्तीय वर्ष १९७५-७६ और १९७६-७७ में किन-किन ५ हजार से अधिक धनराशि की वस्तुओं, बिजली उपकरणों साज-सामान की खरीददारी, कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर से और कितनी-कितनी धनराशि की किन-किन फर्मों, कम्पनियों तथा व्यक्तियों से की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना परिषद् की निम्न इकाइयों से सम्बन्धित है जिसका अवलोकन माननीय सदस्य मंत्री जी के कक्ष में कर सकते हैं :--

१--मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद्, कानपुर, बरेली, आगरा, नैनीताल ।

२--महाप्रबन्धक, विद्युत् तापीय परियोजनाएं, देहरादून ।

३--महाप्रबन्धक, कानपुर विद्युत् आपूर्ति प्रशासन, कानपुर ।

४--अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण), हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, अलीगढ़ ।

५--अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (टी० डी०), लखनऊ ।

६--अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं भंडार नियंत्रक, लखनऊ ।

७--अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पारेषण परिकल्पना (पूर्व), इलाहाबाद ।

८--अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् भंडार-क्रय मंडल, प्रथम तथा द्वितीय, लखनऊ ।

९--अधीक्षण अभियन्ता, उप-केन्द्र परिकल्पना मंडल, प्रथम तथा (द्वितीय), लखनऊ ।

१०--अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण परिकल्पना मंडल, लखनऊ ।

११--अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण परिकल्पना, हरदुआगंज इकाई, लखनऊ ।

१२--अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत्, ४०० के० वी० उप-केन्द्र परिकल्पना मंडल, लखनऊ ।

१३--स्टेशनरी आफिसर परिषद् मुख्यालय, लखनऊ ।

दैनिक जागरण, कानपुर के सेवायोजकों को श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा दिया गया निर्देश

२१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को उनके (श्रम मंत्री) द्वारा लिखे गए अर्ध शासकीय पत्र संख्या ८६८०(एस० टी०)/३६-१-श्रम अनुभाग-१, दिनांक ४ नवम्बर में उल्लिखित जो-जो निर्देश "दैनिक जागरण" कानपुर के सेवायोजकों को दिए गए थे, उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

दैनिक जागरण, कानपुर के सेवायोजकों को दिए गए निर्देशों की प्रगति इस प्रकार है :—

१—प्रतिष्ठान में कार्यरत ट्रेनी पदनाम से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को दिनांक १-४-७७ से स्थाई घोषित किए जाने का विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायिक जांच हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। अब सेवायोजक इस प्रकार के कर्मचारियों के नाम कारखाना कानून, १९४८ एवं नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित उपस्थिति पंजिका में व अपरेन्टिस के रूप में लिख रहे हैं। इसी प्रकार वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूज पेपर इम्पलाईज (कन्डीशन्स आफ सर्विस) एण्ड मिसलेनियस प्रावीजन्स ऐक्ट १९५५ एवं उनके अन्तर्गत निर्मित नियमावली में निर्धारित प्रपत्र 'जी' पर भी ऐसे श्रमिकों के नाम लिखे जा रहे हैं। ऐसे श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत जो सुविधाएं प्राप्य हैं, सेवायोजकों द्वारा दी जा रही हैं।

२—भारत सरकार की अधिसूचना संख्या २४०४०/९/७५, दिनांक १-४-७७ में निर्धारित अंतरिम सहायता श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के कर्मचारियों को दैनिक जागरण, कानपुर के सेवायोजक ५० प्रतिशत की दर से आपसी समझौते के आधार पर भुगतान कर रहे हैं। सेवायोजकों द्वारा उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है जो न्यायालय के समक्ष अभी भी विचाराधीन है।

३—सेवायोजकों द्वारा अपने श्रमिकों को वर्ष १९७६-७७ का बोनस का भुगतान ८.३३ प्रतिशत की दर से कर दिया गया है। प्रतिष्ठान द्वारा ८.३३ प्रतिशत से अधिक दर से बोनस का भुगतान किए जाने के विवाद को न्यायिक जांच हेतु अभिनिर्णय में प्रेषित किया जा चुका है।

४—सेवायोजकों द्वारा अपने श्रमिकों को ६ आकस्मिक अवकाश, ३ राष्ट्रीय अवकाश तथा २ पर्वों के अवकाश दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत देय उपार्जित अवकाश भी दिया जाता है। चार दिन के त्योहारों के अवकाश के प्राविधान प्रतिष्ठान के प्रमाणित स्थाई आदेशों में है। सेवायोजकों द्वारा २ दिन का कम त्योहारों का अवकाश देने के कारण उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

५—सेवायोजकों को कारखाना अधिनियम, १९४८ के प्राविधानों का उल्लंघन करते पाया गया था, अतः उनके विरुद्ध दिनांक ४-११-७७ को प्राभियोजन दायर किया गया है। वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूजपेपर्स इम्पलाईज (कन्डीशन्स आफ सर्विस) एण्ड मिस० प्रावीजन्स ऐक्ट, १९५५ के अन्तर्गत भी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराया गया है और पाई गई कमियों के लिए सेवायोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन चलाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

६—प्रतिष्ठान के श्रमिकों को भी यह सलाह दी गई थी कि यदि सेवायोजक उन्हें नियमानुसार सुविधाएं नहीं देते हैं तो वे अपना विवाद संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें परन्तु श्रमिकों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विवाद संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह, मंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, बहराइच का पत्र

२२—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७७ को मन्त्री श्री वीरेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, बहराइच का पत्र संख्या १०५/वि० क० स० का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बहराइच को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां । उस पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४८ पर ।)

२३ —श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी —

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित,]

कतिपय विषय

(श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से जो यह आज का अजेंडा पहुंचा है, इसको देखने का कष्ट करें, नत्थी (क) में 'श्री सूर्यमुखी शर्मा' प्रश्न पर छपा है । जहां तक मेरी जानकारी है इस नाम का कोई भी सदस्य सदन में नहीं है । मैं नहीं समझ पाता इस तरीके से यह नाम किस प्रकार छपा है । जहां तक मेरी जानकारी है. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब यह हो गया ।

श्री रेवती शरण मौर्य—

बात ऐसी है. मैंने इसलिए उठाया है इसमें सचिव से कहिए इसमें सुधार वाली जो बात है, 'श्री सूर्यमुखी शर्मा' नहीं है, हां, 'श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा' तो हैं लेकिन 'श्री सूर्यमुखी शर्मा' नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं । आप बैठिये । मैंने सुन लिया । आप बैठिये । समय नष्ट करने से क्या लाभ है ?

श्री रेवती शरण जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । वह तो वकील हैं । कानून में, जानते हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग भी शामिल होता है । इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, भूल से और इतना आपके विवेक पर छोड़ा जाता है, आपने स्वयं समझ लिया कि 'श्री' नहीं 'श्रीमती' हैं । इसलिए प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

(श्री रेवती शरण मौर्य के पुनः खड़े होने पर) यह विवाद अब नहीं हो सकता । आप बैठिए । मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रेवती शरण मौर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के नाम पर आप सदन का समय नष्ट न किया करें। व्यवस्था हो गयी। आप बैठिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता था, प्रश्नों के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि प्रश्नों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई शिकायत है, यह नियम की बात है, तो मुझे लिखित शिकायत दे सकते हैं। आपने लिखकर दिया है। इसकी मैं जांच करवाऊंगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्य प्रहर...

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी आप बैठिए, मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

पन्तनगर विश्वविद्यालय का गन्ना किच्छा चीनी मिल के लिए आरक्षित किए जाने से मिल द्वारा अन्य गन्ना किसानों का गन्ना न लेने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जनपद नैनीताल में किच्छा चीनी मिल को गन्ना देने वाले किसानों के सामने भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सम्पूर्ण गन्ना खेतों में खड़ा है। इस वर्ष पन्तनगर विश्वविद्यालय का लगभग दस लाख क्विंटल गन्ना, जो पहले बाहर जाता था किच्छा मिल को आरक्षित कर दिया गया है। केवल पन्तनगर का ही गन्ना गिर रहा है। परिणाम स्वरूप वहां के स्थानीय गन्ना किसानों में अपने गन्ने के फसल के सम्बन्ध में चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने बार-बार सरकार से मांग किया कि पन्तनगर का गन्ना अन्यत्र भेजा जाय जिससे कि स्थानीय किसानों का गन्ना जो नहीं गिर पा रहा था, गिर सके। लेकिन गन्ना विभाग के उच्चाधिकारियों ने स्वार्थ में आकर किसानों की मांग अस्वीकार कर दिया है। विवश होकर उक्त गन्ना किसानों ने यह निर्णय लिया है कि १२ अप्रैल से मिल पर पन्तनगर का गन्ना नहीं गिरने दिया जायेगा। स्थिति यह हो गई है कि मिल भी बन्द हो सकती है जिससे गन्ने की अपूर्णनीय क्षति सम्भावित है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल पन्त नगर विश्वविद्यालय का गन्ना अन्यत्र आरक्षित किया जाय जिससे स्थानीय गन्ना किसानों का गन्ना गिर सके एवं स्थिति सामान्य हो सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गन्ना विकास मंत्री जी, इस सम्बन्ध में स्थिति अत्यन्त भयानक हो सकती है। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य करें।

चलती रेलगाड़ियों में चोरी, डकैती तथा हत्याओं की घटनाएं तथा उसको रोकथाम के विषय को नियम ३०१ क अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेल गाड़ियों में चोरियों, डकैतियों, लूटपाट, हत्याओं आदि की घटनायें आए दिन होती रहती हैं। गत रविवार की रात को पटरंगा स्टेशन के समीप लखनऊ-फैजाबाद सवारी गाड़ी में छूरेबाजी की जो घटना हुई, वह इसी शृंखला की कड़ी मानी जायेगी। दरियाबाद स्टेशन पर कोई बदमाश डिब्बे में सवार हुआ, जिसमें एक युवा दम्पत्ति बैठा हुआ था। उसने युवती से छेड़खानी की और पति के आपत्ति करने पर उसे चाकू से मार डाला। जब युवती ने पति को बचाना चाहा तो उसे भी चाकू के वार से गम्भीर रूप से घायल कर दिया और रोजागांव स्टेशन के करीब चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया। प्रश्न यह है कि क्या रेल गाड़ियों में इस प्रकार की घटनायें भविष्य में भी होती रहेंगी। आज यह आम धारणा बन गयी है कि रेल गाड़ियों में यात्रा निरापद नहीं रह गयी है। लोग महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बों तक में घुस जाते हैं दुर्व्यवहार करते हैं। गाजियाबाद स्टेशन पर नयी दिल्ली जाने वाली शटल गाड़ी पर लड़कियों को निर्वस्त्र तक किए जाने की सूचना मिली है। मान्यवर, इस परिस्थिति पर तुरन्त नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है। रेलवे सुरक्षा दल एवं पुलिस को सतर्क किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय कि यदि वारदात हुई तो तैनात अधिकारी को दोषी पाया जायेगा तथा उसके विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अमेरिका की क्रापट कम्पनी से इ-९० किंग एयर विमान खरीदने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) -

महोदय उ० प्र० सरकार ने इसी माह अप्रैल, १९७८ में अमेरिका की बीच क्राफ्ट कम्पनी से इ-९० किंग एयर विमान खरीदने का निश्चय किया है यह विमान लगभग ७० लाख रुपये की धनराशि से खरीदा जायेगा। इस कार्य के लिए प्रदेश के विमान चालक श्री पूरन प्रकाश टिक्कू को सरकारी खर्च से अमेरिका भेजने का निश्चय किया गया है इसमें विमान की लागत के अतिरिक्त उनकी अमेरिका यात्रा पर करीब २५ हजार रुपये की धनराशि अतिरिक्त व्यय होगी। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री टिक्कू या प्रदेश के अन्य विमान के चालक के पास विदेश से विमान लाने का लाइसेन्स नहीं है। फिर सरकारी धन का अपव्यय क्यों ? पिछली बार उ० प्र० सरकार ने अमेरिका से बी० टी० डी० एल० बीच बैरन विमान लिया था और उसे अमेरिकी कम्पनी का पायलेट बम्बई तक लाया था और इस विमान को भी अमेरिकी कम्पनी का पायलेट ही बम्बई तक लायेगा। जब कप्तान टिक्कू के पास अमेरिका से बम्बई तक विमान लाने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश—]

लायसेंस नहीं है, जब उक्त विमान खरीद की मान्य शर्तें के अधीन बम्बई में ही सरकार को मिल जायेगा, तो अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन नियमों के विपरीत तथा सरकारी धन के दुरुपयोग को देखते हुए इस पर उचित कार्यवाही करते हुए सरकार को उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उ० प्र० जैसे गरीब और पिछड़े प्रान्त की अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं को देखते हुए विमान की खरीद पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

अतः नियम ३०१ के अन्तर्गत आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण सूचना को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करता हूं।

प्रदेश में नौकरियों में पिछड़ी जाति के आरक्षण से जनता में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

श्रीमन् आज सम्पूर्ण प्रदेश में बिहार की तरह आरक्षण के सवाल को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, प्रदर्शन, आन्दोलन और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां प्रारम्भ हो गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के नाम पर कालेलकर कमीशन के अनुसार लगभग २३९९ पिछड़ी जातियों में से केवल ५८ पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में १५ प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है, पदोन्नतियों में भी यही आरक्षण दिया गया है एवं उनके लिए आयु-सीमा में भी ५ वर्ष की छूट प्रदान की गई। चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों के लिए १८ प्रतिशत पूरा होने तक ४५ प्रतिशत कर दिया गया। विशेष आरक्षण कम करके सरकार द्वारा ३० प्रतिशत कर दिया गया है। जन मानस इसलिए भी क्षुब्ध है।

[× × ×]

और लगभग २३४१ पिछड़ी जातियों को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा गया है। भारत के संविधान और दुनिया के हर देश के सिद्धान्त तथा संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकार घोषणा-पत्र में समानता के अधिकार का समावेश किया गया है तथा कालेलकर कमीशन भी पिछड़ेपन की कोई स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग और उत्तर प्रदेश जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण के प्रश्न पर तीव्र मतभेद है। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि वह आरक्षण समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और माननीय सदन तथा प्रदेश की जनता के साथ आरक्षण नीति के मानदंड घोषित करे जिससे कि उत्तर प्रदेश को बिहार ही की तरह आरक्षण के नाम पर सुलगती चिनगारियों तथा भविष्य में सम्भावित भीषण विस्फोट से बचाया जा सके।

एक सदस्य—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने डाक्टर साहब का नाम लिया है ....।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

नोट :—[× × ×] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिर्जापुर नगर एवं चील्ह कस्बे के बीच बने पुल पर रोशनी की व्यवस्था न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मिर्जापुर नगर एवं चील्ह कस्बे के मध्य लगभग ३ वर्ष पूर्व निर्मित सेतु, जो एक किलोमीटर लम्बा है, पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

यह सेतु पूर्वांचल के लगभग १०-१५ जनपदों के यात्रियों, व्यवसायियों के आवागमन का व्यस्त माध्यम है । भारत विख्यात विन्ध्याचल में परम्परागत चैत्र-नवरात्रि मेले के कारण इस सेतु पर यातयात बहुगुणित हो जाता है ।

प्रकाश के अभाव में सेतु असामाजिक तत्वों का निर्बाध क्रीड़ास्थल बना रहता है । यात्री रात्रि में सशंकित तथा असुरक्षित रहता है । असुरक्षा का भय यात्रियों की संख्या में गिरावट का कारण बन रहा है । साथ ही क्षेत्रीय जनता में इसके फलस्वरूप असंतोष व्यापक होता जा रहा है ।

स्मरणीय है कि इस सम्बन्ध में मैंने स्वतः माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया परन्तु सेतु को प्रकाशित करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया ।

यह भी ज्ञात हुआ है कि इस मामले में शासन की उदासीनता को देखते हुए क्षेत्रीय जनता धरना और अनशन के लिए तत्पर हो रही है । वैसे मिर्जापुर नगर पालिका उसके रख-रखाव के लिए उद्यत है ।

अतः आपके द्वारा उत्तर प्रदेश को सरकार से साग्रह निवेदन करूंगा कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इस सेतु पर तत्काल प्रकाश-व्यवस्था किए जाने के आदेश दें ।

थानाध्यक्ष, भोगांव द्वारा जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया को अपमानित कराने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरीराम शाक्य (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक १७ तथा १८ मार्च, १९७८ को थाना अध्यक्ष, भोगांव ने अपने पद का दुरुपयोग कुछ गुन्डों वगैरह की मदद से जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, श्री देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया को बदले की भावना से अपमानित कराया जिसकी रिपोर्ट की गयी ।

२--दिनांक २३ मार्च, १९७८ को थाना अध्यक्ष ने दोनों विधायक श्री हरीराम शाक्य व हाकिम लाल वर्मा को गुन्डों से भिड़ाने की साजिश से तथा १७ व १८ मार्च, १९७७ को देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया की घटना के कारण को मोड़ देकर अपने कारनामों को छिपाने के लिए उसका सम्बन्ध मनगढ़न्त कहानी लिखकर गत सोसायटी के चुनाव से जोड़ कर कुछ गुन्डों के विरुद्ध १०७/११७ का मुकदमा कायम किया तथा दोनों विधायकों तथा देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया को गवाह बना दिया तथा अब गुन्डों को यह कह कर उकसाया जा रहा है कि दोनों विधायक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीराम शाक्य—]

तथा देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया ने आपको १०७/११७ में फंसवाया है तथा देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया के मामले के तथ्यों को दबाया जा रहा है। दिनांक २८ मार्च, १९७८ को जनपद मैनपुरी के थानाध्यक्ष, भोगांव के थानाध्यक्ष ने बदले की भावना से प्रार्थी हाकिम लाल वर्मा, विधायक को एक झूठे केस में फंसाने के लिए अपने ही सगे सम्बन्धी ड्राइवर से एक झूठी रिपोर्ट करवायी।

३—श्री देवेन्द्र प्रकाश अधौलिया की बेइज्जती की घटना में दोनों विधायक श्री हरीराम शाक्य व हाकिम लाल वर्मा को झूठा गवाह बनाया जा रहा है। क्योंकि घटना की तिथि १७ व १८ मार्च, १९७८ को दोनों विधायक विधान सभा की कार्यवाही में उपस्थित थे।

४—मान्यवर, अब थानाध्यक्ष भोगांव में जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए साम्प्रदायिक दंगा कराने की भी साजिश कर रहा है जिसमें जनता पार्टी बदनाम हो जाय।

अतः मान्यवर, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को आपकी अनुमति से सदन की जानकारी में लाना चाहते हैं। क्योंकि इसको सदन में उठाने के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण हैं :—

१— उपरोक्त थानाध्यक्ष जन सामान्य में उनकी सुरक्षा के बजाय पार्टीबन्दी में फंस कर शीघ्र ही कोई भयंकर काण्ड करवा सकता है। जिसके भयंकर परिणाम होंगे।

२—जानबूझ कर अपने पद का दुरुपयोग कर कर्त्तव्यहीनता का व्यवहार करने का आदी होता जा रहा है। जिसमें जन सामान्य में उत्तेजना एवं अशांति एवं आतंक व्याप्त हो रहा है।

३—विधायकों के झूठे नाम गवाहों के रूप में रखकर शासन का मजाक उड़ा रहा है तथा जन प्रतिनिधियों की अवमानना करने की तथा उनको उपेक्षा करके अपनी खुद की मनमानी करके अपना दबदबा करने का कुकृत्य कर रहा है जो कि एक प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए खतरा है।

व्यवस्था के प्रश्न

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने कल भी नियम ३०१ के अन्तर्गत और आज भी ३०१ के अन्तर्गत दिया था। गोंडा जिले की वभनान चीनी मिल के मजदूरों का २६ लाख रुपये का बकाया है। वहां के मजदूर खाने बगैर तड़प रहे हैं। इधर पत्थर और ओला पड़ा है। आपके माध्यम से मैंने सबसे पहले यह प्रश्न दिया था। यदि हमको यह मालूम होता कि आपसे मिलने के बाद ही कार्यवाही के लिए कोई प्रश्न स्वीकृत हो सकता था, तो आप से मिलने के बाद ही कार्यवाही के लिए कोई प्रश्न देता। वैसे मैंने आपसे मिलने का प्रयास किया था। मान्यवर, एक आर्डिनेंस हो चुका है कि ५० हजार से अधिक किसी मिल मालिक के ऊपर मजदूर का बकाया हो तो मुकदमा चलाकर उसको बंद किया जाय। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मैं जब भी खड़ा होता हूं, तो आपके माइक का डंडा सामने पड़ने के कारण आप हमें देख नहीं पाते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करती हूं । तीन दिन से मैं खड़ी होती हूं लेकिन आप मुझको इजाजत नहीं देते हैं, मैं महिला हूं या मैं विरोधी पक्ष की हूं, इसलिए मुझे मौका नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा मौका दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मान सिंह जी, आप बैठिये ।

माननीय सुखपाल पाण्डेय जो ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, यह असम्भव है क्योंकि १५ सूचनाएं आज प्राप्त हुई, मैं पंद्रहों को स्वीकृत नहीं कर सकता था और किसी माननीय सदस्य को अपनी सूचना की स्वीकृति के लिए आना मेरे पास आवश्यक नहीं है । माननीय सुखपाल पाण्डेय अगर विशेष रूप से चाहते हैं, तो मैं माननीय नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि वह एक ऐसा प्रस्ताव सदन में पास कर दें कि जब कभी सुखपाल पाण्डेय खड़े हों, उनको मैं अनुमति दूं और जो भी प्रश्न उनका आये उनको अनुमति दी जाय । अगर सदन इस तरह का प्रस्ताव माननीय सुखपाल पाण्डेय का मंजूर करता है, तो ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसपर उनको कुछ कहना न हो । अब मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल है कि अन्य सदस्यों को अवसर न दूं । अनुपूरक प्रश्नों में जयादा से ज्यादा एक आध मर्तबा अवसर मिल सकता है । तो अगर प्रत्येक प्रश्न पर खड़े होंगे तो यह और सदस्यों के साथ भी न्याय नहीं होगा । मैंने जो आज सूचनाएं मंजूर की हैं, यदि मुझे ऐसा आदेश दें कि मैं श्री सुखपाल पाण्डेय की सूचना तो जरूर स्वीकार करूं, और उस पर मुझे किसी विवेक की आवश्यकता न हो तो यह मैं सदन की आज्ञा से कर सकता हूं, अपने आप नहीं कर सकता हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

श्रीमती बख्शी, आप बैठिये । मैं इंदिरा कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती बख्शी को थोड़ा संयम में और नियम के अन्दर रहना सिखायें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं तीन दिन से संयम कर रही हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । श्री मोहन सिंह ....।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैंने मोहन सिंह जी को बुलाया है ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मैं सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं। ३०१ की सूचनाओं के संबंध में आपने जो प्राविधान किया है वह इस तरह का कि कोई तात्कालिक महत्व की चीज जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो, ऐसी ५ सूचनाएं आप स्वीकार करेंगे । लेकिन कोई माननीय सदस्य सूचनाओं के माध्यम से सैद्धान्तिक बहस उठाने लगते हैं । भाई राकेश चतुर्वेदी ने जो सूचना प्रस्तुत की घटना के संबंध में ध्यान आकर्षित करने के लिए, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन उन्होंने डा० राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों को जिस तरह से आलोचनात्मक ढंग से आरक्षण के संबंध में यहां पेश किया है, ये सारी चीजें प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनती हैं और आने वाले दिनों में इतिहास के विद्यार्थी जब इसका पठनपाठन करेंगे तो हमारे माननीय नेताओं की नीतियों और विचारों के संबंध में एक भ्रम उत्पन्न होने की आशंका है । इसलिए या तो जब सिद्धान्त की चीज स्वीकार की गयी है तो आरक्षण के संबंध में माननीय जयप्रकाश जी और डा० लोहिया के क्या विचार हैं इस पर दूसरे लोगों को भी सही चीज को प्रस्तुत करने का मौका दीजिये या उसको सूचना के अंग से काटने की आज्ञा कीजिये । इस प्रकार ....।

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह जी ने जो आपत्ति की है वह सही है । मैंने केवल आरक्षण के प्रश्न के संबंध में जो यहां पर उपद्रव शुरू हुआ उसके लिए अनुमति दी थी, लेकिन श्री जयप्रकाश जी या डा० लोहिया या अन्य मतों का उसमें देना (व्यवधान) क्योंकि इस सूचना को जब मैंने देखा तो उसको संक्षेप में ही देखा था, लेकिन इसमें जहां पर डा० लोहिया और जयप्रकाश जी और अन्य लोगों का नाम इसमें आया है, वह इसमें से निकाल दिया जायेगा और ऐसे में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि भविष्य में, क्योंकि मेरे देखने में थोड़ी असावधानी....।

डॉक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

व्यवस्था देने के पहले जरा सुनने का कष्ट करें, व्यवस्था के पहले मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

चतुर्वेदी जी, इस वक्त नहीं । आप बैठिये ।

मोहन सिंह जी ने यह जो प्रश्न उपस्थित किया है तो जो घटनाएं हाल ही में घटती हैं और महत्वपूर्ण हैं उनको ही लेना स्वीकार किया जाता है । लेकिन सूचनाओं के अन्तर्गत विचारों का प्रतिपादन करना या उसमें किसी भी विशेष

*वक्ता ने भाषण का का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारी का नाम उसमें देना, यह अनुचित है । इसीलिए मैंने स्वयं इसको देखा कि उसमें श्री जयप्रकाश जी का मत और आचार्य कृपलानी का मत या डा० लोहिया का मत देना इसको घटनाओं से संबंधित नहीं है । आप इसके लिए स्वतंत्र हैं नियम ५२ में मैंने स्वीकार किया है आरक्षण पर बहस करने के लिए । तो जब यह प्रश्न आयेगा तब आप अपना मत रख सकते हैं और दूसरों को कहने का मौका मिलेगा । इसलिए मैंने इस अंश को निकाल देने को कह दिया है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैंने निवेदन किया था ...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । मैं माननीय राकेश जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने स्थान पर बठ कर न बोलें तथा जब मैं खड़ा हूं तब बोलने के लिए खड़े न हों । जब मैं खड़ा हूं और बोल रहा हूं, उस समय खड़े होकर बोलना संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है । अब इस संबन्ध में कोई विवाद नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत आपने श्रीमन्, चतुर्वेदी जी की सूचना को स्वीकार किया । उसके बाद फिर आपने माननीय मोहन सिंह जी की व्यवस्था पर यह निर्णय दे दिया कि फलां हिस्सा निकाल दिया जायेगा । तो जब आपने स्वीकार कर लिया तो दोबारा निर्णय देने का प्रश्न कहां उठता है ?

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पाण्डेय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने उनकी सूचना की हेडिंग देखकर, जो बिहार में आरक्षण के संबन्ध में हो रहे आन्दोलन से संबन्धित था, स्वीकार किया था । उसके अन्दर उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको पहले मैंने नहीं देखा था । माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि यदि कोई असंगत बात हो या कोई बात संसदीय प्रणाली के विरुद्ध हो तो वह उसे मेरे संज्ञान में ला सकते हैं । माननीय मोहन सिंह जी ने मेरा ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित किया जिस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया है कि उसे हटा दिया जायगा । इस पर अब बहस नहीं होगी ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

हम श्रीमन्, आपके आभारी हैं कि आपने शून्य प्रहर के समय को एक तरतीब दी । अपोजीशन के लिए यह एक खुशी की बात थी । मगर इसका उपयोग अधिकतर सत्तारूढ़ वाले माननीय सदस्य करते हैं क्योंकि उनको ही ज्यादा समय मिलता है । यह अधिकार अपोजीशन का है । जो हमारा अधिकार है वह

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

हमें उसी अनुपात में मिलना चाहिए जिस अनुपात में हम हैं। मेरी बहन जी ने जो व्यवस्था दें, अपने विचार रखे। अमल तो जैसा आप कहेंगे उसके अनुसार होगा। पर शून्य प्रहर में हमें भी भाग लेने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में या शून्य प्रहर में जो भी प्रश्न स्वीकार होते हैं वे माननीय सदस्यों के होते हैं न कि विरोध पक्ष या शासक पक्ष के। मैं माननीय सेठी जी को सूचित करना चाहता हूं कि अब तक जितने प्रस्ताव आये हैं उनको संकलित कर लिया जाय और देखा जाये कि कितने विरोध पक्ष के स्वीकार हुए हैं। आप लोगों की संख्या सदन में केवल ७०—७१ है। उधर सत्ता पक्ष में ३५० हैं। तो आपका प्रतिशत केवल २० का आता है। जो प्रश्न मैंने आपके स्वीकार किये हैं उनका प्रतिशत देख लीजिये और अगर २० प्रतिशत से कम हो, तब आप कहिए।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग कृपया बैठिये।

श्री अजीत सिंह सेठी—

हमको भी इस हाउस का समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वह मिलता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मोहन सिंह को आपत्ति के बाद आपने व्यवस्था दी है कि जो अंश डा० लोहिया और जय प्रकाश नारायण जी के मुताल्लिक है वह निकाल दिया जाय। मान्यवर, इससे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि जब किसी मौके पर चाहे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य की तकरीर हो या इस माननीय सदन के किसी सदस्य की तकरीर हो, अगर किसी महान व्यक्ति का या नेता के विचारों का हवाला दिया गया तो उस पर सदन में सवाल पैदा होगा। इस पर दूसरा मत भी लिया जाय। हो सकता है कि डा० लोहिया के विचारों को डा० राकेश ने बगैर चश्मे के पढ़ा हो और मोहन सिंह ने चश्मे से पढ़ा हो। तो विचारों में भिन्नता हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राकेश चतुर्वेदी जी ने अभी नियम ३०१ के अंतर्गत डा० लोहिया के विचारों को रखा और आपने उसको निकाल दिया। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है और निवेदन है कि अगर डा० लोहिया और जय प्रकाश नारायण जी के संबन्ध में जो बातें राकेश चतुर्वेदी जी ने कही, अगर वह ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और लोहिया जी और जय प्रकाश नारायण जी के सम्बन्ध मे उन्होंने जो कहा, उससे उसकी पुष्टि होती है तो क्या उसको कार्यवाही का अंग बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप व्यवस्था दे चुके हैं और आपकी व्यवस्था के ऊपर सदन में चर्चा हुआ करेगी तो इससे आपकी व्यवस्था का और माननीय सदन के सम्मान का हनन होता है । तो मैं निवेदन करता हूं कि एक बार व्यवस्था देने के बाद उस पर चर्चा की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि शून्य प्रहर में इस प्रकार से किसी का नाम नही आ सकता है । जो आप कहें वह केवल सूचना से संबन्धित हो । पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में मैंने २ घंटे की बहस स्वीकृत की है । उसमें सदस्य स्वतंन्त्र हैं किसी पक्ष में अपना मत देने के लिए, दूसरे माननीय सदस्य उसका खंडन कर सकते हैं । मैं व्यवस्था दे चुका हूं । इसमें और कुछ नहीं है ।

श्री ए० सी० आइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

केवल एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें । अब इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, एक मिनट सुनने की तकलीफ करेंगे, बड़ी कृपा होगी । मैं आपके आदेश से बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए । अब इस पर कोई विवाद नहीं है ।

एक सदस्य—

एक आरोप उन्होंने लगाया है । मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये अब इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री रियाकत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं । यह ३०१ की विशेष सुविधा है जो आपने हम लोगों को दी है । परन्तु मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस सुविधा का अनुचित फायदा उठाकर माननीय जनता पार्टी के सदस्य जो सैद्धांतिक मतभेद

[श्री रियासत हुसैन—]

हैं उनको इस्तेमाल करके माननीय सदन का कीमती समय नष्ट करते हैं मैं चाहूंगा कि आप नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री से बात कर और इस बात की व्यवस्था करें ताकि ३०१ को आधार बना कर ऐसी चीजें न हों।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना ले रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह जो अपोजीशन है वह अपाहिज और नपुंसक है। उसका भी काम हमारे साथी करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राम आसरे शर्मा ने माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय श्री वर्मा जी का कहना है कि १२ अक्तूबर, १९७७ को माननीय सिंचाई मंत्री ने नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देते हुए यह बतलाया कि "उत्तर प्रदेश उद्यम कर्ता संघ के सदस्यों को जिनमें बेरोजगार इंजीनियर्स एवम् कृषि स्नातक हैं, वरीयता के आधार पर विभागीय दरों पर वे कार्य दिये जा सकते हैं जिनकी मात्रा की माप हो सके। कम्पेक्शन कार्य इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसकी माप नहीं हो सकती है। उद्यमकर्ता संघ के सदस्यों के ऋणों के बारे में कोई जानकारी विभाग को नहीं है।" माननीय श्री वर्मा का कहना है कि वास्तविकता यह है कि ट्रैक्टर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका मापदंड केवल घंटा व मिनट द्वारा ही किया जाता है तथा इसी आधार पर सन् १९७० से लेकर अबतक यू०पी० एग्रो, कृषि विभाग, उद्यम कर्ता तथा निजी व्यक्तियों के ट्रैक्टरों को लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है और इस समय भी शारदा सहायक परियोजना द्वारा सरकारी ट्रैक्टरों को ३५ रुपये प्रति घण्टे की दर से किया जा रहा है। माननीय श्री वर्मा ने यह भी कहा कि माननीय सिंचाई मंत्री का यह कहना कि उद्यमकर्ताओं के ऋण आदि की कोई जानकारी नहीं है, गलत है। क्योंकि इस संबन्ध में भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, श्री महमद अली खां ने अपने पत्र संख्या २३४७, द्वारा दिनांक ७—४—७३ को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (शारदा) को अवगत कराया है।

नियम ६५ के उप नियम (१) के खण्ड (क) के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बन्ध होना चाहिए। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो उत्तर दिया था, वह लगभग ६ महीने पहले दिया गया था। अतः विलंब से उठाये जाने के कारण इस संबन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। वैसे भी इस सदन में यह व्यवस्था कई बार दी जा चुकी है कि अपनी सूचना के आधार पर किसी सदस्य द्वारा नेक नियती से कही गयी किसी बात के असत्य प्रमाणित हो जाने पर उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि तथ्यों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जाय कि जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गयी है। इसमें न तो ऐसे तथ्य दिये गये हैं और न ही जानबूझ कर गलत बयानी का आरोप ही लगाया गया है। अतः मैं इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में अग्राह्य करता हूं।

ट्रैफिक कान्स्टेबिल नं० २७३ तथा एस० एस० पी०, गोरखपुर के विरुद्ध श्री राम गोबिन, सदस्य बिधान सभा को अपमानित करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री राम गोविन, सदस्य दिधान सभा ने नियम ८३ के अन्तर्गत ट्रैफिक कांस्टेबिल नं० २७३, गोरखपुर और एस० एस० पी०, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार को अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि ४ अप्रैल, १९७८ को वे गोरखपुर स्टेशन से लगभग सवा सात बजे सायंकाल एक रिक्शे पर बैठ कर गोरखपुर नगर में गोलघर के जे० जे० चौराहा से होकर एक मित्र से मिलने जा रहे थे । ज्योंही उनका रिक्शा उक्त चौराहे पर पहुंचा तो वहां तैनात ट्रैफिक कांस्टेबिल नं० २७३ ने अकस्मात तथा अकारण उनके रिक्शे वाले पर थप्पड़ों का प्रहार प्रारम्भ कर दिया । जब माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप किया तो उक्त कांस्टेबिल ने कहा कि "तुम कौन होते हो बोलने वाले" । माननीय सदस्य ने उक्त कांस्टेबिलों को बताया कि वे एक नागरिक तथा विधान सभा के सदस्य हैं और माननीय सदस्य ने उन्हें अपना परिचय-पत्र भी दिखाया । इस पर उक्त कांस्टेबिल ने उनका परिचय-पत्र छीन कर फेंक दिया और उन्हें गालियां देने लगा और यह कहा कि "मैंने बहुत से विधायकों को देखा है" व सभी विधायकों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया । जब माननीय सदस्य ने उसे गाली देने से मना किया और कुछ कहा सुनी बढ़ी तो जनता के लोग तथा कुछ और पुलिस के सिपाही वहां इकट्ठे हो गये । उसमें से एक सिपाही के हाथ से डंडा लेकर उक्त सिपाही ने डंडे से प्रहार किया । जब वहां उपस्थित जन समुदाय में से एक व्यक्ति ने उससे डंडा छीन लिया तो एक सिपाही से वह राइफल मांगने लगा और यह कहा कि "रायफल दो, मैं शूट कर दूंगा" उपस्थित भीड़ में जब इस घटना से क्षोभ तथा उत्तेजना उत्पन्न हो गयी तो उक्त कांस्टेबिल ने कहा कि रिक्शे सहित माननीय सदस्य को कोतवाली ले चलूंगा । तदुपरान्त माननीय सदस्य रिक्शे से कैन्ट थाने गये और उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट थाना इंचार्ज थाना कैन्ट को दी । तत्पश्चात् वे एस० एस० पी० तथा डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर के पास इस घटना के बारे में सूचना देने गये तो वे लोग वहां नहीं मिले । माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय श्री रेवती रमण सिंह, राज्य मंत्री उस समय निरीक्षण भवन में उपस्थित थे । उन्हें किसी सूत्र से जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होने माननीय सदस्य को अपनी गाड़ी भेजकर कैन्ट थाने से बुलाया और माननीय सदस्य ने सारी घटना का विवरण बताया । माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय श्री रेवती रमण सिंह, राज्य मंत्री इस घटना से चिन्तित हो गये और उन्होंने एस० एस० पी० को हिदायत दी कि सम्बन्धित कांसटेबिल को तत्काल निलम्बित करके उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, परन्तु एस० एस० पी० ने माननीय राज्य मंत्री के आदेश की भी अवहेलना की और केवल इतना ही कहा कि "मैं इसको देखूंगा ।" मैं श्री राम गोबिन जी से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई अन्य बात वह सदन के सामने लाना चाहते हैं ।

*श्री राम गोबिन (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे बार-बार कहने पर भी कि विधायक हूं और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अकारण इस रिक्शे वाले को क्यों पीट रहे हो तो इस पर उसने कहा कि मैं बहुत सारे विधायकों को जानता हूं और नेता ऐसे ही हर काम में हस्तक्षेप करते हैं और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम गोबिन---]

तमाम विधायकों को उसने गाली देना शुरू कर दिया । इस पर जब मैंने पूछा कि समस्त विधायकों के लिए ऐसी अव्यवहारिक बात क्यों कह रहे हो तो उसने डंडे से रिक्शे वाले को पीटना शुरू कर दिया और एक दो डंडे हमको भी लगे ।

(शेम शेम की आवाजें)

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जब एक विधायक के साथ पुलिस कांस्टेबुल का ऐसा व्यवहार है तो आम जनता के साथ इस प्रदेश की पुलिस की क्या ज्यादती होगी आप स्वयं और इस सदन के माननीय सदस्य अनुमान लगा सकते हैं । जब मैं कैंट थाने पर गया तो वहां पर उस सिपाही से कुछ नहीं पूछा गया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया । वह हंस-हंस कर अपना बयान दे रहा था । जब माननीय रेवती रमण सिंह जी के सामने घटना का बयान हो रहा था तो एस० एस० पी० वहां मौजूद थे । रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि हमको पता चला है कि इस कांस्टेबिल ने दूसरों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया है तो एस० एस० पी० ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है । यह घटना इनके साथ घट गयी होगी । रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि मैं इस घटना से बहुत क्षुब्ध हूं और इस पर तत्काल कार्यवाही करें । एस० एस० पी० ने इतना ही कहा कि मैं इसको देखूंगा । महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उक्त कांस्टेबिल और एस० ए० पी०, गोरखपुर का यह व्यवहार और सदस्य की अवमानना सारे सदन की आवमानना है और इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रेवती रमण सिंह जो वहां मौजूद थे और जिनका नोटिस में उल्लेख है और जिनका जिक्र माननीय राम गोबिन चौधरी ने किया तो उनकी बातों से भी सदन अवगत हो जाय । उसके बाद इस सदन को विचार करने में आसानी हो जायगी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह नहीं ...

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

ऐसे नहीं । मैं देख रहा हूं जिसको अवसर दूंगा, वह बोलेंगे ।

श्री रवीन्द्र सिंह---

मैं उस जिले का रहने वाला हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप शान्त रहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

यह गृह विभाग से सम्बन्धित मामला है और मुख्य मंत्री जी से संबन्धित है । इतने गम्भीर विषय पर विचार हो रहा है, उनको कृपा कर बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर मन्त्रीगण मौजूद हैं । यह प्रश्न अभी शतरुद्र जी ने रखा । यह एक माननीय सदस्य के सम्मान से सम्बन्धित है । उनका आरोप गोरखपुर के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध है और उनको डंडे से पीटा गया । यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी हों तो उनको बुलवा लिया जाय । ताकि उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके ।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

अभी कल्पनाथ सिंह जी ने एक प्रस्ताव दिया कि माननीय रेवती रमण सिंह जी जिनका नोटिस में भी जिक्र है उनको सुन लिया जाय। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि वह गोरखपुर में थे और आपके सामने घटना आ चुकी है इसलिए जो उनकी जानकारी है वह सदन के सम्मुख ले आवें।

श्री देव बहादुर सिंह—

पहले इसकी ग्राह्यता पर बात कर लें। उनको बाद में सुनें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रेवती रमण जो माननीय सदस्य ने आपका नाम लिया है तो क्या आप इस सम्बन्ध में कोई रोशनी डालना चाहते हैं ?

उद्योग उप मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, उस दिन मैं गोरखपुर में था जिस दिन यह घटना घटी। मैं इंस्पेक्शन हाउस में मौजूद था। घटना घटने के बाद दो आदमी मेरे पास आये और मुझे सूचना दी। मैंने एस० एस० पी०, गोरखपुर को बुलवाया और माननीय सदस्य को भी अपनी कार भेज कर बुलवाया। मैंने एस० एस० पी० से कहा कि यह बहुत अशोभनीय बात है और इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा। चलते समय जब मैंने पूछा तो कोई कार्यवाही नहीं की थी। कल टेलीफोन से मैंने फिर कहा तो उन्होंने सूचना भेजी है कि उस सिपाही को लाइन हाजिर करके निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जो घटना घटित हुई आपके सामने है। प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ? इसकी ग्राह्यता के बारे में ही कहें।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब माननीय सदस्य ने अपना परिचय दिया और परिचय-पत्र भी दिया तो उसने परिचयपत्र फेंक दिया। माननीय सदस्य का, एक विधायक का इससे बढ़कर अपमान और क्या हो सकता है ? परिचय पत्र हमें इसलिए दिया है कि हमको आवश्यकता पड़े तो हम बतला सकें कि हम विधायक हैं। परिचय-पत्र का फेंक देना इससे बड़ी अपमान की बात हो नहीं सकती। यदि आप अनुमति दें तो दो बातें और कहना चाहूंगा। जो सदस्य चुनकर आते हैं तो सरकार का दायित्व है कि वह सुरक्षित रहें। यदि कोई किसी माननीय सदस्य का अपमान करता है तो वह चाहे एक माननीय सदस्य के साथ हो वह सारे सदस्यों का अपमान है, सदन का अपमान है। हम चाहते हैं कि सारे कार्य को स्थगित करके भी अगर किसी माननीय सदस्य का अपमान हुआ है तो उस पर चर्चा हो। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी आ गये हैं। आपने उनको बुलवाया था। कड़ी से कड़ी कार्यवाही उसके खिलाफ हो। मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति को इसे समर्पित कर दें तो अच्छा रहेगा। आए दिन इस तरह की घटनाओं की सूचना मिलती जा रही है। आप हमारी सहायता करें जिससे कि हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकें।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय राम गोबिन चौधरी ने विशेषाधिकार के अवहेलना की जो सूचना इस सदन को आपके माध्यम से दी है उसको मैंने देखा है और माननीय राम गोबिन चौधरी से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण भी मैंने प्राप्त किया था और माननीय रेवती रमण सिंह जी से कल ही मैंने वार्ता की थी। यह बहुत गम्भीर और चिन्ता का प्रश्न है आपके लिए भी और इस माननीय सदन के लिए भी। माननीय सदस्य इस सदन की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में थे उन्हें सदन की बैठक में सम्मिलित होने में बाधा प्रस्तुत करने का प्रयास करने के साथ-साथ उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इस सदन की अवमानना की गयी है। सूट करने की धमकी भी उस छोटे से कान्सटेबिल ने दी थी।

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर समस्या है और आप इस माननीय सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के रक्षक हैं और माननीय सदस्यों की भी मर्यादा और प्रतिष्ठा के रक्षक आप हैं। इस तरह की घटनायें आये दिन सुनने में आ रही हैं। एक बहुत छोटा कर्मचारी एक माननीय सदस्य से इस तरह का व्यवहार करे और उसके तत्काल उच्च अधिकारी घटना की जानकारी होते हुये भी कोई कार्यवाही न करें यह भी एक विचारणीय विषय है। एस० एस० पी०, गोरखपुर कौन हैं यह मैं नहीं जानता लेकिन थोड़ा सा इशारा कर देना चाहता हूं, माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं विशेषकर माननीय मुख्य मन्त्री जी का। कुछ अधिकारी अभी ऐसे पड़े हुये हैं जो जनता पार्टी शासन को बरदाश्त नहीं करना चाहते और येनकेन प्रकारेण किसी तरीके से विशेष कर जनता पार्टी सदस्यों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि एस० एस० पी०, गोरखपुर उन अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें शायद जनता पार्टी का शासन अच्छा नहीं लग रहा है और उन्हें खुशी हुई होगी यह जान कर कि माननीय राम गोबिन चौधरी जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनके छोटे से कान्सटेबिल ने उनको अपमानित किया है वरना माननीय रेवती रमण सिंह जी का आदेश जो मन्त्रि परिषद् के सदस्य भी हैं तुरन्त मानना एस० एस० पी० का कर्तव्य था लेकिन उनका आदेश न मानने से माननीय रेवती रमण सिंह जी का भी अपमान हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना को छोटी घटना न मान कर इस पर गम्भीरता से विचार करें और सरकार के सदस्यों, मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की पुनरावृत्ति अगर होगी माननीय सदस्यों की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा आप नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए कि जनता का क्या हाल होगा।

*श्री रियाकत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह तो स्पष्ट हो गया है माननीय सदस्य और फिर माननीय मन्त्री जी के बयानों से कि घटना हुई। प्रश्न सिर्फ यह है कि यह विशेषाधिकार की परिधि में आता है या नहीं। श्रीमन्, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि हर माननीय सदस्य एक व्यक्ति है लेकिन जब कुछ माननीय सदस्य मिल जाते हैं तो यह माननीय सदन बन जाता है। उस सिपाही का यह कहना कि मैंने ऐसे बहुत से माननीय सदस्य देखे हैं इसके माने यह हो गये कि कलेक्टीवली उस सिपाही ने पूरे माननीय सदन की तौहीन और बे-इज्जती की है। दूसरी चीज यह कि परिचय-पत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के सेक्रेटेरिएट से हमको जारी होता है किसी आफिसर या शासन के किसी विभाग से हमको नहीं मिलता । वह परिचय-पत्र फेंक देना देखने के बाद, जानने के बाद कि यह माननीय सदस्य का परिचय-पत्र है, उसने माननीय सदस्य की, इस सदन की और आप की तौहीन की है, बे-इज्जती की है अपमान किया है । इसलिये मैं यह दरखास्त करता हूं माननीय मुख्य मन्त्री से विलम्ब से कार्यवाही करने के बारे में तुरन्त कोई कार्यवाही उस अधिकारी के खिलाफ करने की सूचना सदन को देंगे और इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की आप कृपा करेंगे ।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है उससे इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाती कि उनका बड़ा अपमान हुआ है । उनका ही नहीं बल्कि पूरे माननीय सदन का अपमान हुआ है क्योंकि उसने निश्चित रूप से जानबूझ कर विधायक के प्रमाण-पत्र को फेंक दिया । इस पर विशेष चर्चा माननीय सदस्यगण करेंगे और इस पर विचार किया जाय कि कितना बड़ा कदम उठाया जाय ताकि दूसरे स्थानों पर इस तरह की घटना न घटे । मेरा निवेदन है कि विशेषाधिकार समिति को इसे भेजा जाय और यहां पर उस कर्मचारी को ही नहीं एस० एस० पी० को भी सदन के समक्ष बुलाया जाय । मेरा निवेदन है कि इस तरह की परम्परा रही है कि सदन ने ऐसे अधिकारियों को सम्मन किया है और अगर ऐसे अधिकारियों को सम्मन नहीं किया जायगा तो फिर किसको किया जायगा ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, यह घटना विशेष प्रश्न उपस्थित करती है । एक पक्ष तो यह है कि विधायक के साथ पुलिस कर्मचारी ने मारपीट या दुर्व्यवहार किया । दूसरा पक्ष यह है कि विधायक के पास जो प्रमाण-पत्र इस सदन का था उसको उसने अपमानित किया । एक व्यक्ति अगर विधान सभा आते हुए मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो विधायक के अधिकारों का हनन होता है, लेकिन सदन द्वारा परिचय-पत्र जो उसे दिया जाता है उस परिचय-पत्र का अपमान करने का अर्थ है कि वह सदन का और आपका अपमान है । इस सारे प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय यह अलग बात है लेकिन जो सदन का अपमान हुआ उस पर विशेषाधिकार समिति विचार करने के लिये काम्पीटेन्ट नहीं है । माननीय मन्त्री वहां उपस्थित थे, उन्होंने जांच करने के लिये एस० एस० पी० महोदय से कहा और उसके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा लेकिन कार्यवाही नहीं की गयी और अब केवल यह सूचना दी गयी है कि वह कर्मचारी लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच हो रही है । अगर कोई विधायक एक कंकड़ किसी सिपाही या एस०एस०पी० पर फेंक दे तो फिर विधायक को जेल भेज दिया जायगा, उसे लाइन हाजिर नहीं किया जायगा । तो पुलिस प्रशासन में यह दो रंगी नीति कैसे है ? माननीय सदस्य के प्रति जो पुलिस कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया था उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गयी थी । उस पर ही सिपाही को जेल भेज देना चाहिये था । इसका अर्थ यह हुआ कि सदन का अपमान केवल सिपाही ने ही नहीं किया, अपमान एस० एस० पी० ने भी किया । मेरा निवेदन है कि यह सदन एक कमेटी के रूप में बैठे और उस एस० एस० पी० तथा सिपाही को सदन के समक्ष बुलाया जाय और यह सदन उनको सजा दे क्योंकि यह अपमान उस विधायक का न हो कर इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

सदन का अपमान है तथा आपका अपमान है, इस सदन को मर्यादा का सवाल है। अगर खाली विधायक के साथ दुर्व्यवहार हुआ होता तब तो मैं इस पक्ष में भी नहीं था कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेज जाता, हमारे दस जगह झगड़े होते हैं लेकिन आपके द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का कोई बड़ा अथवा छोटा अधिकारी अपमानित करता है तो वह मेरा अपमान नहीं है, सदन का अपमान है। अतः मेरा प्रस्ताव इसे प्रवर समिति या विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का नहीं है बल्कि मेरा प्रश्न है कि सदन के सम्मुख सम्बन्धित एस० पी० और कर्मचारी को बुलाया जाय और तब सदन उन्हें सजा दे।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस समय इस सम्मानित सदन के सामने उपस्थित है उसके दो पक्ष हैं जिसमें एक के विषय में तो किसी प्रकार का विवाद हो ही नहीं सकता कि उस कर्मचारी ने विधायक के सम्मान के विपरीत ही नहीं बल्कि जिसे घोर से घोर अपमान कहा जा सकता है, वह उसने किया।

श्रीमन्, आप जब इस प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार करते हैं तो मेरा ऐसा खयाल है कि आपके विचार में यह आता होगा और वैसे भी जब इस प्रकार के प्रश्न उठते ह तो हमेशा यह प्रश्न उठा करता है कि सदन के बाहर जो बातें होती हैं उनसे सदन के अपमान का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। लेकिन मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ यहीं नहीं उठा करता है बल्कि इस किस्म का प्रश्न और दूसरे क्षेत्रों में भी उठ जाया करता है। बाहर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अनर्गल काम करे जो किसी मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए, तो वह बात दूसरी है और इस सम्बन्ध में कभी-कभी यह कहा जाता है कि उसका सदन के सम्मान से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन आज जो प्रश्न सदन के सामने आया है वह भिन्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया गया हो, वह उसे डन्डे नहीं मार सकता। यदि किसी विधायक के सामने कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को डन्डे से मारता है तो वहां पर उसका पावन कर्तव्य हो जाता है, वह अपनी ड्यूटी से गिर जायेगा, अगर वह कुछ नहीं कहता।

श्रीमन्, मैं बाहर केवल उदित नारायन नहीं हूं। एक मूल बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्यों कि जो समस्या आपके सामने आयेगी, यह उसे हल करने में आपको मदद देगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप या हम विधान सभा के ही सदस्य हैं या इसके बाहर भी सदस्य हैं। हम बाहर भी इस सदन के सदस्य हैं और इस सदन की सदस्यता वहां भी हमारे साथ लगी है क्योंकि इस सदन के सदस्य होने के अतिरिक्त हमारा कोई स्थान दूसरे समाज में नहीं है, तो ऐसे प्रश्न आज उठा करते हैं। मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं उस व्यक्ति को कड़े से कड़ा दन्ड तो दिया ही जाना चाहिए लेकिन केवल पुलिस विभाग से ही दन्ड दिया जाय तो वह पर्याप्त होगा या नहीं ? मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं होगा। वह तो मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री का काम होगा कि वह देखें कि उसको उसके अपराध के अनुरूप विभागीय दन्ड मिले या न मिले, न्यायिक दन्ड मिले या न मिले लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सदन में क्या कार्यवाही की, यह भी एक प्रश्न है जिसके ऊपर यह सदन विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।

हम जब सदन के बाहर रहते हैं तो कुछ कार्य तो करते ही हैं। ऐसे कार्य हो सकते हैं कि जिसमें यह कहा जा सके कि हम विधान सभा की सदस्यता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । लेकिन यह घटना निश्चयपूर्वक ऐसी है जिसमें कि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे थे वह विधान सभा के हैसियत से ही कह रहे थे । जैसा कि मैंने निवेदन किया, विधान सभा के सदस्य होने के अतिरिक्त हम कुछ नहीं हैं । तब हर जगह पर हम विधान सभा की सदस्यता की हैसियत रख सकते हैं वहां पर यह सदन का भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ उपस्थित रहता है । इसकी ग्राह्यता के प्रश्न में भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये । निसंदेह यह प्रश्न ऐसा है, निसंदेह यह घटना ऐसी हुई है जिसमें न केवल विधायक के सम्मान के विपरीत काम हुआ है बल्कि इस सदन का घोर अपमान किया गया है और जो भी कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जा सके, ऐसी सजा जिसमें बाहर के लोग और अधिकारी और इस किस्म के जितने लोग हैं वह यह देखें कि हम विधायक केवल न्यायालय के मोहताज नहीं हैं उसे दंडित करने के लिए बल्कि हम स्वयं सक्षम हैं । यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि तोमर जी ने कहा अच्छा हो आप यहां पर बुलायें और उनको बुला कर यह महसूस होने दें कि केवल अदालत ही इसके लिए नहीं है सब से बड़ी अदालत यहां पर है और यहां आ कर उनको जवाब देना पड़ेगा । उस दंड को सारा जगत देखेगा कि विधान सभा के सदस्यों के साथ जब अपराध किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपया इस सम्बन्ध में नियम ६५ देखने की कृपा करें । मैं इस विषय की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह जो घटना घटी है वह एक अपराध है ही और उसने जो जघन्य अपराध किया है उसकी अभी तक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिये । इसमें उसे भसी अधिक उस एस० पी० ने किया है जिनके ज्ञान में बात आने के बाद कई दिनों तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । यह घटना अगर किसी सिपाही के साथ हुई होती उसको अभी तक सजा मिल गई होती । एक आखों देखी बात है । दो पुलिस के सिपाही शराब पी कर एक रिक्शा वाले से कह रहे थे कि तुम घर ले चलो उसको पीटने लगे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसमें हस्तक्षेप किया तो उनको पता लग गया कि मामला आगे बढ़ जायेगा तो उन्होंने उस रिक्शा वाले को मारते-मारते थाने ले गये औह दफा २५ में चालान कर दिया इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा ।

आप इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में देखें इसमें लिखा है, प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो, मान्यवर, यह हाल की ही घटना है । दूसरी बात है 'इस मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो' यह भी मान्यवर, निर्विवाद है । तीसरी बात मान्यवर 'सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो । जो वस्तुस्थिति हमारे सामने है उसमें स्पष्ट है कि उस सिपाही ने कहा कि यह नेता लोग अनाप सनाप सब जगह बोलते रहते हैं । सब जगह में मान्यवर, इस सदन के ऊपर आक्षेप है । यह हमारा विशेषाधिकार है कि सदन में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम क्या बोलते हैं इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता । हमारी बात को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती । उसने आक्षेप किया कि यह लोग सदन में आनाप-सनाप बोलते रहते हैं । इसलिए मान्यवर, संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । प्राग्दर्शन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

प्राईमाफेसी यह बात बिलकुल सुनिश्चित हो गई है कि उस आदमी ने केवल एक विधायक का अपमान नहीं किया उन पर हमला नहीं किया । अगर गोली चलाई होती तो उसका उसे अभी तक ज्ञान हो गया होता ।

मान्यवर, इससे बढ़ कर एक विधायक का परिचय-पत्र फेंका, विधायक के नाते उनके कार्यकलाप को रोका इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मामला प्राग्दर्शन में सही उतरता है, इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दें और फैसला होकर शास्ति की जाय । यदि उस सिपाही को ए० पी० कठोरतम दंड दे दें तब भी मामले का हल नहीं होता । यदि हमारे अधिकारों के सम्बन्ध में आक्षेप होता रहा तो विश्वास मान लीजिये कि सच्चाई के साथ हम इस आदरणीय सदन में अपना आचरण और विवाद नहीं कर सकेंगे । हमारे हितों के रक्षक आप हैं । हम यह नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे हितों का संरक्षण सरकार ने किया । हम व्यवस्थापिका सभा को भिन्न मानते हैं और दिखाना चाहते हैं कि यदि हमारे किसी सदस्य पर, विधायक के नाते आघात हुआ है, तो उसका पूरा-पूरा प्रतिकार मिलेगा । हमारी संरक्षता आपके हाथ में है । इस लिए विशेषाधिकार को रेफर करके, सदन में शास्ति की जाय ।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य राम गोविन चौधरी के साथ जो गोरखपुर में घटना घटी है वह माननीय चौधरी ने आपके समक्ष, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है । मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं । यही नहीं, जब चौधरी को सिपाही ने कहा कि आप थाने पर चलिए और थाने पर ले गया, वह रिक्श से गये, वह समझ लीजिये अपनी कस्टडी में लिया, थाने पर ले गये, इसकी सूचना माननीय सदन को नहीं दी गयी, आपके पास जिला अधिकारियों ने नहीं भेजा । यही नहीं माननीय रेवती रमण जी ने एस० पी० को जानकारी दी और एस० पी० को वस्तु स्थिति से अवगत कराया । फिर भी एस० पी० ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पर मैं देखूंगा । एस० पी० के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं । ऐसे आदमी हैं कि १९७३ में बस्ती में एस० पी० रह चुके हैं और बस्ती में एस० पी० द्वारा जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी, वह चूंकि एक विशेष व्यक्ति माननीय कमलापति त्रिपाठी तत्कालीन मुख्य मंत्री, उनके संरक्षण में थ, इसलिए उस मामले को दबाकर उनकी रक्षा की गयी। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि माननीय राम गोविन चौधरी का जो अपमान किया गया, बल्कि पूरे सदन का अपमान किया गया है, परिचय पत्र फेंक कर और जो घटना घटित हुई है इसके लिए उनको इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, एस० पी० को विशेषाधिकार के सम्बन्ध में और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें । हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप हैं । आप के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोगों के अधिकारों का रक्षा हो, नहीं तो आज पुलिस के लोग और पुलिस के अफसर यह जानेंगे, हम लोग बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वह स्वतः उस कार्य को नहीं करते, बल्कि अपने मातहत जो छोटे कर्मचारी हैं उनसे कराकर हम लोगों का अपमान कराने का प्रयास करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राम गोबिन चौधरी जी के साथ जो घटना घटी है वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मेरा विचार है कि आजादी के बाद पुलिस की मनःस्थिति लोकतन्त्र के मूल्यों के प्रति भी वफादार नहीं रही। आपातकाल की घोषणा हुई और उस दरम्यान पुलिस की कार्यवाही इसका ज्वलन्त प्रमाण है। यह जो जनता पार्टी के सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने भोगा है, अनुभव किया है कि १९ महीने के दरम्यान पुलिस निरंकुश हो कर कानून की मर्यादाओं को छोड़कर तानाशाही करती थी, मनमाने ढंग से अत्याचार करती थी। शहरों में लोगों को लूट लिया करती थी। इतनी निरंकुश थी, इतनी स्वतन्त्र थी, जैसे लगता था कि आजादी के बाद यह उन्हें पहला अवसर मिला है अपना उद्दंड शासन करने का। यह बहुत ही अहम मसला है। मैं अन्य विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में नहीं कहता। लेकिन पुलिस के बारे में मेरी निश्चित धारणा है। उसके कार्यकलाप अप्रजातांत्रिक और अलोकतांत्रिक हैं। यह निश्चित बात है। रिक्शा चालक, किसी अनुसूचित जाति का, पिछड़ी जाति का या अन्य किसी जाति का गरीब व्यक्ति रहा होगा, वही रिक्शा खींचता रहा होगा। यह मानवीय मूल्यों का तकाजा है कि मानव पशुओं को भी डन्डे से मारने पर दिल में दया लाता है, किन्तु पुलिस का कर्मचारी रिक्शे वाले को भी मारने में किसी प्रकार की दया अपने दिल में नहीं लाता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सिर्फ इसी घटना तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री उदय नारायण सिंह—

वह बेरहमी के साथ डन्डे चलाता है, जैसे वह उसे मनुष्य नहीं मानता हो माननीय राम गोविन चौधरी ने कहा कि इसको क्यों मारते हो। किन्तु सिपाही के मन में अहम है कि उसकी रक्षा उसका अधिकारी करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन का अवमान है। इसमें एस० एस० पी० और पुलिस महानिरीक्षक की भी जिम्मेदारी आती है। इनके साथ ही साथ हमारे मंत्री और मुख्य मंत्री की भी जिम्मेदारी आती है। मैं अब अपनी बात एक शेर कहकर समाप्त करता हूं—

किससे अपनी तबाही का शिकवा करे,
जब रहनुमा रहजनों पर यकीं कर रहे हैं।

आज आये दिन पुलिस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि स्पष्ट आदेश जाने चाहिए कि विधायक पर ही क्यों, किसी भी नागरिक पर पुलिस वाले को अत्याचार करने का हक नहीं। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि एस० एस० पी० गोरखपुर को इस सदन में पेश किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय सदस्यों से सम्बन्धित प्रश्न है और मैं जानता हूं कि लोगों के हृदय में क्षोभ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने मत प्रकट किये। प्रश्न यह है कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये अथवा नहीं यहीं तक अपने को सीमित रखिए।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, में इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में आता है और उसको सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित किया जाता है तो यह विशेषाधिकार समिति की परिधि में आता है । जब पुलिस का कान्सटेबिल इनका परिचय-पत्र देखने के बाद समझ जाता है कि यह सदन में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं और सदन चल रहा है और लखनऊ जाने वाली गाड़ी छूट जाये, इसका प्रयास किया । इससे उसकी मन्शा स्पष्ट है कि उसने माननीय सदस्य को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किया । विशेषाधिकार का जो सवाल है उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित कसौटी नहीं है । समय-समय पर पीठासीन अध्यक्षों ने माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानकर समय-समय पर संस्तुतियां की हैं । वे सारी व्यवस्थायें नजीर की शक्ल में हमारे सामने हैं । में चाहता हूं कि अगर कोई तकनीकी कठिनाई है फिर भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजकर एक नजीर पेश कर ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मेरा अनुरोध सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रवीन्द्र सिंह--

जैसा माननीय रेवती रमण जी ने बताया, उसे निलम्बित कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया और अब अपना सफाई में चाहे जितने समय किया हो । आप मुख्य सचिव को बुलाकर इस सन्दर्भ में निर्देश दें ।

मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित आई० जी० ने जब गोरखपुर के एस० एस० पी० पर दबाव डाला तो ४ बजे हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि एस० एस० पी० ने उसे निलम्बित करने के आदेश दिए । अब वे सफाई में यह भी कह सकते हैं कि १० बजे सस्पेन्ड कर दिया था ।

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, जहां तक इसकी ग्राह्यता का सम्बन्ध है आपके समक्ष सब तथ्य आ गये हैं । मैं इस राय का हो जाता, जैसा कि तोमर जी ने कहा, कि सदन में ही इसमें कार्यवाही हो जाय लेकिन मैं एक ही तथ्य इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं और वह यह है कि नेचुरल जस्टिस का जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उसको भी एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौका आप दें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो इस मामले को विशेषाधिकार को सौंपने की बात आयी है, उसको स्वीकार कर लिया जाय ?

(श्री अजीत सिंह सेठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। हर प्रश्न दल का प्रश्न नहीं होता है। नियमों के अनुसार कोई निर्णय देने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों का मत ले सकता हूं। यह घटना चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें यह भी प्रश्न उठ सकता है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, कि आया यह सदस्यों के कर्तव्यों से सम्बन्धित है या नहीं। माननीय सदस्य ने अपने पत्र में लिखा है कि वे कान्स्टेबिल के पास या किसी अधिकारी के पास किसी कर्तव्य पालन के लिए नहीं गये बल्कि वह कान्स्टेबिल जब रिक्शा वाले को मार रहा था तो आपने स्वतः मानव कृत्य का पालन करते हुए, उसको रोका तो उस कान्स्टेबिल का वह कर्तव्य आपत्तिजनक था और उनके परिचय-पत्र को फेंक देना और सभी सदस्यों को अपशब्द कहना यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए एक बात यही विचारणीय है कि उस कान्स्टेबिल को सदन में...(व्यवधान)...अभी तो कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता जब तक कि उनको सुनने का मौका न दिया जाय, लेकिन प्रागदर्शन में यह निश्चित है कि उस कान्स्टेबिल ने राम गोबिन जी का अपमान किया है। वे विधान सभा के सदस्य की हैसियत से अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यहां पर विधान सभा में आ रहे थे, उसमें भी विलम्ब हुआ तो आप फैसला लें कि यह सदन क्या सजा दे सकता है या विशेषाधिकार समिति को भेजने का निश्चय कर सकता है। यह भी निर्णय करना होगा कि विशेषाधिकार समिति ही इस प्रश्न पर विचार करे या विभाग भी विचार करे। तो जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा...

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, कान्स्टेबिल को ही नहीं वहां के ए० ए० पी० भी नाम विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय, जिसने माननीय मंत्री की बातों की अवहेलना की है। मेरी प्रार्थना है कि उनका भी नाम विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर चाहते हैं, इस प्रकार से सदन में बाधा डालना तो मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आप मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, इस वक्त जो घटना हमारे सामने पेश हो गयी, इस सरकार का बड़ा निकम्मापन है, मामूली बात नहीं है कि हमारे इस सदन के मेम्बर से

[श्री अजीत सिंह सेठी]--

जिस तरह से इक्जीक्यूटिव ने व्यवहार किया था, जो अपमान है, बिलकुल स्पष्ट मालूम हो रहा है। इसमें एक चीज और है, मेरा यह कहना है कि सरकार की तरफ से मंत्री महोदय को इन दोनों विंग्स को हैंडिल करना है, सम्भालना है। तो इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई, इसमें मैं मांग करता हूं कि जहां यह अपमान का विषय है, यह समिति को दिया जाय ताकि हमारी भी तरफ से तेजी न महसूस हो, जिससे लोग यह न महसूस करें कि जिसके हाथ में शक्ति है, उन्होंने कुछ ऐसा आदेश कर दिया। लेकिन मंत्री जो इस विषय पर अपना इस्तीफा पेश करें। इस डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय अपना इस्तीफा पेश करें।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये।

यह जो प्रश्न श्री राम गोविन जी ने उपस्थित किया, इसमें उनकी शिकायत कान्सटेबिल के खिलाफ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब में रिक्शे में बैठा जा रहा था, कांस्टेबिल ने रिक्शे वाले को मारा, इस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया। इस पर दूसरा कांस्टेबिल आ गया, उससे डंडा ले लिया। तो एक प्रश्न तो उनका उस कांस्टेबिल के खिलाफ है और दूसरा उनका कथन है कि में एस० एस० पी० के पास गया और वह मुझको मिले नहीं। डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर के पास इस घटना के बारे में सूचना देने गये, तो वे भी नहीं मिले। माननीय रेवती रमण सिंह, राज्य मंत्री उस समय निरीक्षण भवन में उपस्थित थे। उन्हें किसी सूत्र से जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने माननीय सदस्य को अपनी गाड़ी भेजकर कैंट थाने से बुलाया। माननीय सदस्य ने उनसे सारी घटना का विवरण बताया, वहां पर एस० एस० पी०, गोरखपुर मौजूद थे। माननीय सदस्य जब घटना का वर्णन कर रहे थे, एस० एस० पी० सुन रहे थे। उनसे माननीय सदस्य ने कहा कि वह कांस्टेबिल इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और लोगों के साथ भी कर चुका है, तब एस० एस० पी० ने पर्दापोशी करते हुए कहा कि नहीं, इस प्रकार का व्यवहार उस कांस्टेबिल का नहीं है। माननीय रेवती रमण जी चिन्तित हो गये और उन्होंने एस० एस० पी० से कहा कि सम्बन्धित कांस्टेबिल को तत्काल निलंम्बित करके उस कांस्टेबिल के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

एक शिकायत कांस्टेबिल के खिलाफ है और दूसरा उनका कहना है कि में एस० ए० पी०, डी० आई० जी के पास गया, वे नहीं मिले। लेकिन जब माननीय रेवतीरमण जी ने बुलाया, वह मौजूद थे। मैंने जब यह कहा कि अन्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार ऐसा रहा, तो उन्होंने उसका पर्दापोश किया। जहां तक एस० ए० पी० का सवाल है, उनके विरुद्ध तो कर्तव्य पालन में उपेक्षा की शिकायत है कि उन्होंने जो शिकायत की कांस्टेबिल के खिलाफ की उसमें उन्होंने लापरवाही बरती। उनका यह भी कहना है कि जैसा अभी रवीन्द्र सिंह जी ने कहा कि माननीय राज्य मंत्री के कहने पर भी कोई अमल नहीं हुआ। तो इसके दो अंग हैं। एक तो एस० एस० पी० का कर्तव्य पालन और दूसरे उस कांस्टेबिल का माननीय सदस्य का अपमान करना। इसलिए जिस कांस्टेबिल का जिक्र किया है उसने प्रागदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना की है। में इसके विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं और जहां तक एस० एस० पी० और डी० आई० जी० के व्यवहार का सवाल है।

श्री मंनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मुझे सुन लें, आप ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एस० एस० पी० ने और डी० आई० जी० ने इस सम्बन्ध में जो लापरवाही की उस सम्बन्ध में वह तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

बाबा राम अधार यादव—

हम यह नहीं सुनना चाहते कि आप उनका ध्यान आकर्षित करें । मैं तो कहता हूं कि अगर आपने यह प्रथा कायम की तो यह सदन नहीं रहेगा (व्यवधान) जब छोटे कांस्टेबिल को सजा दिलाना चाहते हैं और एस० एस० पी० जो बहुत बड़ा बदमाश है उसको बचाना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत परम्परा है, अध्यक्ष जी ।

*श्री रवीन्द्र सिंह—

मैं भी मौजूद था, गोरखपुर में सामान्य शिष्टाचार भी माननीय सदस्य से नहीं करता एस० एस० पी० ने कहा मैं इसको देख लूंगा और न्याय करूंगा । रेवती रमण जी के कहने के बाद में मैं और राम गोबिन चौधरी एस० एस० पी० से मिले, उसका जैसा शरारतपूर्ण आचरण था और जैसा उसने व्यवहार किया और माननीय सदस्य को, और हम लोगों की उपेक्षा की, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं । आप उसका संरक्षण कर रहे हैं और तुरन्त अविलम्ब कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं करते; उसका बचाव करते हैं और एक सिपाही को दंडित करते हैं । इससे अगर आप समझते हैं कि वहां का प्रशासन सुधर जायगा तो यह नामुमकिन है । जब तक आप नौकरशाही पर कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे और उसको संरक्षण देते रहेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी । मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के मौजूदा एस० एस० पी० के मन में गलतफहमी है और वरिष्ठ नौकरशाही का उनको संरक्षण प्राप्त है । वह श्री राधेश्याम शर्मा, भूतपूर्व आई० जी० के दामाद हैं । माननीय सुखपाल पांडेय जी की हत्या का उनपर प्रयास है और बहुत शर्म के साथ एक सूचना और देना चाहता हूं । न मालूम किन मजबूरियों में मैंने वह पहले नहीं दी थी । सारे अखबारों में होली के दूसरे दिन निकला कि गोरखपुर में गोल घर की भीड़-भाड़ थी । सवा १२ बजे वहां कई गुंडों ने मेरी हत्या का प्रयास किया । उस पर एस० एस० पी० ने सामान्य शिष्टाचार में भी कोई कार्यवाही करने की कोई चेष्टा नहीं की । मैंने अपनी तौहीन समझ कर न मालूम मेरे मन में कौन सी बात आयी कि मैंने होली के बाद २७ तारीख को सदन खुलते समय इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की और उसको आपके सामने नहीं लाया । मैंने डी० आई० जी० साहब के सामने इस बात को कहा था । जब एस० एस० पी० से डी० आई० जी० ने कहा कि जब सब लोग हथियार लेकर हत्यारे गुंडे आए थे तो उन पर ३०७ कायम किया जाय । तो उन्होंने कहा कि ३०७ कैसे बनेगा ? जब डी० आई० जी० ने कहा कि इनको शैडों दे दिया जाय तो एस० एस० पी० ने कहा कि एक पहले से शैडो दे दिया गया है, दूसरा कैसे दिया जा सकता है ? आप मेरी सूचना को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

सच मानें। इस एस० एस० पी० के वहां जाने के बाद से गोरखपुर का पूरा पुलिस प्रशासन पूर्णतया निरंकुश हो गया है। वहां सरल आदमी का सड़क पर चलना असम्भव हो गया है, गुंडे शहर में खुले आम सड़क पर अपराध करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे भ्रष्ट एस० एस० पी० को यदि इस परिधि से बाहर रखा जायगा, खाली कांस्टेबिल को ही सजा दे दी जायेगी तो वहां की जन भावना का आदर नहीं हो पायेगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए। आप बैठ जायें। मेरे सामने श्री राम गोबिन जी की शिकायत है (शोर) (व्यवधान) आप बैठ जायें। जैसा अभी श्री रवीन्द्र सिंह जी ने कहा, वहां के एस० एस० पी० के खिलाफ दमन, भ्रष्टाचार और पक्षपात आदि की शिकायतें हैं, तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उसकी जांच कर उचित कार्यवाही करें। (शोर) (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइए।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवधान के बीच श्री हुक्म सिंह परिहार कुछ बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को एक घंटा के लिए स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही १ बजकर ४० मिनट पर स्थगित हुई तथा २ बजकर ४० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

(श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

हुक्म सिंह जी आप बैठ जायं, यह अनुचित है।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं मूल बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कोई विषय विचाराधीन नहीं है। आप पहले बैठ। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विषय जो विचाराधीन हो, उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। यह इस सदन के सदस्यों से सम्बन्धित प्रश्न है। निःसंदेह जो दुर्घटना और जो अपमान एक माननीय सदस्य का हुआ वह सबका अपमान है। लेकिन यह सदन जिसके प्रति शासन जिम्मेदार है उसकी कुछ मर्यादायें हैं। मैंने अपने निर्णय में यह कहा था कि श्री राम गोबिन जी ने जो शिकायत मेरे सामने प्रस्तुत की है उसमें एक कांस्टबिल के खिलाफ शिकायत की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि मैं कांस्टबिल के खिलाफ शिकायत करने डी० आई० जी० और एस० एस० पी० के पास गया, लेकिन वह मुझको मिले नहीं। जब डाक बंगले पर, माननीय रेवती रमण जी थे, मैंने एस० एस० पी० के सम्मुख भी शिकायत की थी कि इस कांस्टेबिल का दुर्व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है। एस० एस० पी० ने इसका प्रतिवाद किया। मैं भी समझता हूं कि यह एस० एस० पी० का कर्तव्य था कि वह श्री राम गोबिन से खेद प्रकट करते और उसी समय आश्वस्त करते कि मैं कांस्टेबिल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब इसके आगे जैसा मैंने कहा कि यह एस० एस० पी० की प्रशासकीय भूल है और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसलिए मैंने अपने निर्णय में कहा कि कांस्टेबिल ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है मैं इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं। एस० एस० पी० और अन्य पुलिस अधिकारी जिन्होंने असावधानी बरती और जिसने ऐक्शन नहीं लिया उसने भूल की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को निर्देश देता हूं कि वह एस० एस० पी० और अन्य जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें।)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, जिस प्रकार से जनपद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अशोभनीय व्यवहार हमारे माननीय सदस्य के साथ रहा है, जिसकी चर्चा भी यहां हुई उसकी जानकारी मुझे आज ही हुई, उसमें इतना अवश्य है कि ऐसे अधिकारी अगर माननीय सदस्यों का इस तरह अपमान करते हैं जिस तरह किया गया तो यह उनका ही अपमान नहीं है बल्कि यह पूरे सदन के लोगों का अपमान है। जब कभी इस तरह का अपमान सुनने को मिलता है और जिस तरह से घटना घटी मुझे उससे स्वयं ही बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ को महसूस करते हुए यह मैं सदन को बताना चाहता हूं और अपने माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह अशोभनीय व्यवहार उनके साथ नहीं है बल्कि वह व्यवहार हमारे साथ और सदन के साथ है। तो जब इस तरह का अशोभनीय व्यवहार है तो हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। उनको इस बात का मौका नहीं देंगे कि वह रहकर इस तरह का अशोभनीय व्यवहार हमारे माननीय सदस्यों के साथ करते रहें, यह भविष्य में हम नहीं सुनना चाहते हैं। इसमें एक बात जरूर है कि उनके साथ जो भी अन्य अधिकारी दोषी पाए जायेंगे और जो उनसे सम्बन्धित होंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। लेकिन इस समय वह एस० एस० पी०, जिसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव---]

चर्चा या जिसको चाहिए था कि वह हमारे माननीय सदस्य से खेद प्रकट करता, जिस समय वह गए थे अपनी बात कहने के लिए इस अशोभनीय व्यवहार के लिए, लेकिन इतना भी उस अधिकारी ने उचित नहीं समझा कि अशोभनीय व्यवहार के लिए खेद प्रकट करें तो उनका स्थानान्तरण हम आज ही करेंगे । इसके पश्चात् जो भी विधिवत् कार्यवाही हो सकेगी वह हम करेंगे क्योंकि माननीय सदस्यों की भावनाओं को जो आघात पहुंचा है । इसलिए हम ऐसी चीजों को बरदाश्त नहीं करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर विवाद नहीं होगा । आप लोग बैठ जायं । (व्यवधान) ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

आप इनको दबाना चाहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं १९७६ में आप सदन में नहीं थे । (व्यवधान) १९७६ में ऐसी ही घटना घटी थी तो कांस्टेबिल और एस० पी० को इसी सदन में उसी दिन सस्पेन्ड किया गया था । उस समय श्री नारायण दत्त जी मुख्य मंत्री थे और उस दिन डाक्टर राजेन्द्र कुमारी ने घोषणा की थी । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक मारे जा रहे हैं तो क्या कारण है कि वह सस्पेन्ड नहीं हो रहे हैं ? (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह विवाद समाप्त किया जाता है । आप लोग शान्त रहें । मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा । सदन की कार्यवाही चलने दें । इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलने वाला है । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं । राकेश जी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें । इस प्रश्न को अब मैंने समाप्त कर दिया है ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

(१) श्री राम आसरे वर्मा ने चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है ।

(२) श्री शम्भूनाथ चौधरी ने दैनिक स्वतंत्र भारत, नवजीवन, जागरण, दि पायनियर और नेशनल हेराल्ड के संवाददाता और सम्पादकों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान की सूचना दी है ।

(३) श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय नियोजन राज्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

अभी मैं इन सूचनाओं को देख नहीं पाया हूं। अतः इनकी ग्राह्यता के बारे में मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ को सायंकाल ५ बजे से तब तक लिए जायं जब तक उक्त दोनों विधेयक पारित न हो जायं।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ को सायंकाल ५ बजे से तब तक लिए जायं जब तक उक्त विधेयक पारित न हो जायं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे) —

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में हुई ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि अपने-अपने जिले के माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं इसलिए इस पर दो घंटे तक चर्चा चलेगी।

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, विधान सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रदेश में पिछले तीन माह में हुई ओला वृष्टि से रबी की फसलों को पहुंची क्षति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया।

जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जनवरी, फरवरी तथा मार्च में प्रदेश के निम्नलिखित ४३ जिले ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं :—

१—मुजफ्फरनगर, २—मेरठ, ३—बुलन्दशहर, ४—बिजनौर, ५—अलीगढ़, ६—मथुरा, ७—आगरा, ८—मैनपुरी, ९—एटा, १०—बरेली, ११—बदायूं,

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

१२---शाहजहांपुर, १३---पीलीभीत, १४---मुरादाबाद, १५---फर्रुखाबाद, १६---इटावा, १७---कानपुर, १८---फतेहपुर, १९---इलाहाबाद, २०---बांदा, २१---हमीरपुर, २२---झांसी, २३---ललितपुर, २४---जालौन, २५---मिर्जापुर, २६---गाजीपुर, २७---वाराणसी, २८---गोरखपुर, २९---बस्ती, ३०---नैनीताल, ३१---चमोली, ३२---उत्तरकाशी, ३३---देहरादून, ३४---लखनऊ, ३५---उन्नाव, ३६---रायबरेली, ३७---सीतापुर, ३८---हरदोई, ३९---खीरी, ४०---गोंडा, ४१---बहराइच, ४२---बाराबंकी, ४३---प्रतापगढ़ ।

उक्त जिलों में हुई ओला वृष्टि की तिथियों, प्रभावित ग्रामों की संख्या, प्रभावित बोया हुआ क्षेत्रफल, विभिन्न फसलों को हुई क्षति का प्रतिशत तथा उनके अनुमानित मूल्यांकन का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(तालिका के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५२ पर ।)

माह जनवरी में ओला वृष्टि से ११ जिले---अलीगढ़, एटा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ तथा बहराइच प्रभावित हुए हैं । इन जिलों में केवल अलीगढ़ जिला को छोड़ कर शेष सभी जिले फरवरी तथा मार्च में भी ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं । अलीगढ़ जिले में फरवरी के महीने में ओला नहीं पड़ा किन्तु मार्च में यह जिला भी ओला वृष्टि से फिर प्रभावित हुआ ।

१---पीलीभीत, २---फतेहपुर, ३---उन्नाव, ४---रायबरेली, ५---बाराबंकी, ऐसे जिले हैं जो ओला वृष्टि से केवल फरवरी में ही प्रभावित हुए हैं । इसी प्रकार १---मुजफ्फरनगर, २---मेरठ, ३---जालौन, ४---वाराणसी, ५---चमोली, ६---उत्तर-काशी, ७---देहरादून, ८---प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जो केवल मार्च में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं ।

जो जिले फरवरी तथा मार्च दोनों महीनों में ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं :---

१---बुलन्दशहर, २---बिजनौर, ३---मथुरा, ४---आगरा, ५---मैनपुरी, ६---बरेली, ७---बदायूं, ८---मुरादाबाद, ९---इटावा, १०---इलाहाबाद, ११---ललितपुर, १२---मिर्जापुर, १३---गाजीपुर, १४---गोरखपुर, १५---बस्ती, १६---नैनीताल, १७---सीतापुर, १८---हरदोई, १९---खीरी, २०---गोंडा ।

निम्नलिखित जिले ऐसे हैं जो जनवरी, फरवरी तथा मार्च तीनों ही महीनों में ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं :---

१---एटा, २---शाहजहांपुर, ३---फर्रुखाबाद, ४---कानपुर, ५---बांदा, ६---हमीरपुर, ७---झांसी, ८---लखनऊ, ९---बहराइच तथा १०---गोरखपुर ।

प्रदेश में ओला वृष्टि से कोई जीवन हानि नहीं हुई है, किन्तु निम्नलिखित १२ जिलों में पशु हानि हुई है तथा इनमें से ६ जिलों में मकानों/छप्परों को क्षति पहुंची है :---

नाम जिला	पशु हानि	क्षतिग्रस्त मकानों/छप्परों की संख्या
१---अलीगढ़	३(१ भैंस तथा २ भैंसा)	६
२---मथुरा	४ भेड़ें	..

नाम जिला	पशु हानि	क्षतिग्रस्त मकानों/ छप्परों की संख्या
३—फर्रुखाबाद	३	..
४—बस्ती	..	२,४६५
५—हमीरपुर	२६९ (२४८ बकरियां, १७ भेड़ें, ३ बछड़े तथा १ गाय)	..
६—हरदोई	..	१४६
७—झांसी	१४३	..
८—उन्नाव	३	..
९—बहराइच	४	..
१०—बांदा	४३०	६२१
११—इलाहाबाद	३४ एवं १५ मुर्गियां	६०
१२—खीरी	..	१२६

उपर्युक्त ४३ जिलों में केवल ८ जिलों—मेरठ, बिजनौर, एटा, बदायूं, जालौन, गोरखपुर, चमोली तथा उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्र में फसलों की अधिकतम क्षति ३० प्रतिशत से कम है। शेष ३५ जिलों में फसलों की अधिकतम क्षति १००% तक है। ओला वृष्टि से कुल १९,१७६ गांव का ११,९०,१९४ हेक्टर बोया हुआ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। फसलों को हुई क्षति का मूल्यांकन लगभग ७६,७५,७९,४०३ रुपये है।

ओला वृष्टि जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में न होकर प्रायः किसी बेल्ट विशेष में होती है और जो क्षेत्र उस बेल्ट में पड़ता है वहा फसलों को क्षति पहुंचती है। अतः प्रभावित क्षेत्रों में काश्तकारों को राहत देने के लिए कृषि देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गई है और ऐसे क्षेत्रों में जहां क्षति ५० प्रतिशत या इससे अधिक है समस्त कृषि देयों की वसूली अगली फसलों तक स्थगित कर दी गई है। कृषकों को आपदा तकाबी तथा अहेतुक सहायता के वितरण हेतु जिलों से धन की अतिरिक्त मांग पर शासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई है और आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करा दिया गया है। ५० प्रतिशत या उससे अधिक हानि वाले क्षेत्रों में जिला स्तर पर मालगुजारी आदि में छूट देने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो शासन के विचारार्थ शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे जिन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी। रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १७४ में दिए गए प्राविधान के अनुसार रबी की फसलों के सम्बन्ध में ऐसे प्रस्तावों को भेजे जाने की अन्तिम तिथि १५ अप्रैल है।

प्रदेश के ३ जिलों बस्ती, देवरिया तथा हमीरपुर में जिलाधिकारियों की मांग पर पहले से ही टस्ट वर्क चलाए जा रहे थे। ओला वृष्टि के बाद बस्ती में व्यापक

[श्री शारदा भक्त सिंह--]

स्तर पर टेस्ट वर्क चलाए गए हैं और टेस्ट वर्क की मद में जनवरी, १९७८ तथा उसके बाद से २३ लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। अन्य जिलों में भी टेस्ट वर्क चलाए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए जिलाधिकारियों से कहा गया है। बहराइच जनपद से प्राप्त टेस्ट वर्क के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए ५ लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में अहेतुक सहायता मद में प्रत्येक जिले को रु० १०,००० (दस हजार रुपए) दिनांक ४-४-७८ को आवंटित कर दिए गए हैं।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से बस्ती जिले में ओले से हुई क्षति की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। वैसे तो हमारे जिले में तीन बार ओला पड़ा है लेकिन पिछली मार्च की १० तारीख को करीब सायं ६-७ बजे के बीच में भीषण ओला वृष्टि हुई। ओले का वजन किसानों ने अपने घर में तोला तो पांच सौ ग्राम से ले कर एक किलो तक के ओले गिरे। ओले गिरने के कारण दो सौ गांव बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। गांव में छप्पर के मकान, खपरैल के मकान सभी ध्वस्त हो गये हैं। एक किसान अपना बैल खूंटी से खोल रहा था कि बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह अस्पताल ले जा कर उसकी जान बच सकी और जो बैल था जिसकी कीमत दो, ढाई हजार रुपये थ वह मर गया। इसके अतिरिक्त जितनी रबी की फसल थी सभी जमीन में धंस गयी है और उस को काटने की जरूरत नहीं है।

आज उन गांवों के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनके पास खाने के लिये अनाज है, न जानवरों के लिये चारा है और न रहने को घर है। कई करोड़ रुपये की क्षति मेरे विचार से हमारे जिले के किसानों को हुई है।

श्री अध्यक्ष—

४५ जिलों में ओले से क्षति हुई है। आप केवल सुझाव दें ताकि बहुत से सदस्यों को समय मिल सके।

श्री बाबू राम वर्मा--

टेस्ट वर्क जो वहां चल रहे थे पिछली २५ तारीख से बन्द कर दिये गये उनको खोल दिया जाय। खतिहर मजदूरों के सामने खाने की समस्या है। टेस्ट वर्क खोलने से, सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो अनाज पहुंच गया है, उनके पास उसको खरीदने के लिये पैसा उपलब्ध हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा मुफ्त गल्ला बटने के लिये बस्ती जिले में आया है वह सारा गल्ला ओला पीड़ित किसानों में ही बांटा जाये और ओला पीड़ित क्षेत्र में ही ये टेस्ट वर्क भी खोले जायं।

एक सुझाव यह भी है कि सरकारी कर्जों की वसूली तो बन्द हो गयी है लेकिन सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक की जो वसूलियां हैं वे ओला पीड़ित क्षेत्र के किसानों से भी बड़ी तेजी से वसूल की जा रही हैं, किसानों पर वारंट काटे जा रहे हैं और उनको तहसीलों के हवालातों में बन्द किया जा रहा है, इसलिये इन कर्जों की वसूली भी अगली फसल तक मुल्तवी की जाय और इन कर्जों पर जो सूद पड़ रहा है उसे भी कम से कम माफ कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दीप नरायण (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले में ओले से जो किसानों को क्षति हुई है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं कई गांवों का दौरा किया है और मेरे जिले की चारों तहसील में कई जगह ओले गिरे हैं जिससे काफी क्षति किसानों की हुई है। जिस तरह की क्षति इस बार ओले से किसानों की हुई है उतनी क्षति पहले कभी देखने को नहीं मिली, यहां तक कि १०० फीसदी तक क्षति हुई है और जो सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है वह बहुत कम है। आज भी सरकारी कर्जे उन किसानों से वसूले जा रहे हैं। हालत यह है कि किसानों के बैलों के लिये दो चार महीने के बाद खाने के लिये चारा तक नहीं रह जायगा। सरकार को तेजी के साथ किसानों की मदद करनी चाहिये। किसी भी खेत में साबूत पौधा देखने को नहीं मिलेगा। गोंडा जिले की ७, ८ तहसीलों में अभी ओला गिरा है उसकी रिपोर्ट बयान में नहीं आई है। रिपोर्ट में गोंडा जिले का नुकसान ५,५५,७९,७०० रु० दिखाया गया है। मैं नहीं कह सकता कि यह रिपोर्ट कहां तक सही है अथवा गलत है लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि जो राहत कार्य बस्ती, हमीरपुर या देवरिया जिले में खोले हैं गोंडा में भी वैसे टेस्ट वर्क खोले जायं। जानवरों के चारे की व्यवस्था की जाय। तकावी का भी इन्तजाम किया जाय। ओले से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों पर से लगान माफी के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं आशा करूंगा कि सरकार इस ओर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ओला और पानी से प्रभावित इलाहाबाद जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इलाहाबाद जिला ३ भागों में विभक्त है। एक जमुना पार का हिस्सा है जिसमें दो तहसीलें--करछना और मेजा है, वे बुन्देलखंड से मिली हुई हैं। जिस प्रकार बुन्देलखंड एक पथरीला इलाका है उसी प्रकार करछना और मेजा तहसीलें भी पथरीली हैं। इस पथरीले भाग में इस वर्ष फरवरी और मार्च के महीने में दो बार पत्थर पड़े हैं जिससे वहां की फसल नष्ट हो गई है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें केवल ३४ पशु और ८ छप्परों के बारे में ही कहा गया है फसल के नुकसान होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है हमारे जिलाधिकारियों ने उसका विवरण आपके पास भेजा है या नहीं भेजा है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने पचासों गांवों का उस क्षेत्र का दौरा किया है। केन्द्रीय राजस्व मन्त्री, श्री जनेश्वर मिश्र भी उस क्षेत्र को देखकर आये हैं और हमारे प्रदेश के राजस्व मन्त्री श्री रेवती रमण सिंह जो करछना तहसील से आते हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र को देखा है। इन दोनों तहसीलों में जहां भी पानी और ओला पड़ा, वहां की सारी फसल नष्ट हुई है। इस लिये मैं इस सम्बन्ध में २-३ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह बतलाया है कि हम राजस्व वेय को स्थगित कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सन् १९७८ का जो लगान हो उसे पूर्णतया माफ किया जाय। दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में गल्ले की सरकारी दुकानें हर न्याय पंचायत क्षेत्र में खोल दी जायं। तीसरी चीज यह है कि बैंक और कोआपरेटिव से जो कर्जा किसानों ने लिया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरु प्रसाद---]

उसे भी सरकार स्थगित कर दे । इसके साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा कि उस कर्जे का जो ब्याज है, उसे भी माफ करन की कृपा करें । इसके अतिरिक्त हमारे इन दोनों तहसीलों के जो नवयुवक हैं उनको सरकार काम पर लगाये ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें तथा तहसील में हर ग्राम में राहत काम शुरू किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं पुनः राजस्व मन्त्री का ध्यान करछना और मेजा तहसीलों पर हुई क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं ।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेशीय सरकार का ध्यान गाजीपुर जनपद में ओले से हुई तबाही की ओर खींचना चाहता हूं । मान्यवर, ३ फरवरी और २९ मार्च को गाजीपुर जनपद में ओला पड़ा । ३ फरवरी को जो ओले पड़े थे वह तो कुछ हल्के थे लेकिन २९ मार्च को जो ओला पड़ा वह २० मिनट तक लगातार पड़ता रहा । उस ओले का वजन ५०० ग्राम से लेकर १ किलो तक था । इसी से अन्दाजा आप लगा सकते हैं कि जो फसल पक कर एकदम तैयार थी वह उस ओले के वजन की वजह से पूरी की पूरी नष्ट हो गयी । माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसको मैंने देखा । उसमें गाजीपुर जनपद में जो नुकसान हुआ उसके आंकड़े दिये गये हैं कि वहां पर २५ प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत तक की हानि हुई है । मैंने स्वयं ऐसे ३० गांवों का दौरा किया जो कि इससे प्रभावित हुये हैं । उसमें एक दर्जन गांव ऐसे हैं---जैसे डुहिया, सुहवल, टाड़ीघाट...

श्री अध्यक्ष---

आप तो भाषण दे रहे हैं । संक्षेप में कहें ।

श्री अवधेश नरायन---

मान्यवर, ये ऐसे गांव हैं जहां पर १०० फीसदी नुकसान हुआ है । इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच ठीक से करवा लें जिससे नुकसान का जो प्रतिशत है वह सही-सही आये ।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने कहा है कि वह लगान पर छूट की बात कर रहे हैं । मुझे उनसे कहना है कि खेती के लिए जो खाद और बीज के लिए कर्जा लिया गया है वह सारा का सारा कृषि उपज से ही वापस होना है । इसलिए वह लगान माफी के साथ इस बात का भी मूल्यांकन करायें कि कितना किसानों के ऊपर कर्जा लदा हुआ है उस कर्ज को पूरा माफ करें । मन्त्री जी इस पर अदृश्य विचार करें । मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं एसा कोई वर्ष नहीं जाता है जब कि किसान की फसल दैवी प्रकोप से मारी न जाती हो । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि खेती बीमा के ऊपर जो कि एक नीतिगत प्रश्न है उस पर भी विचार करें । हर वर्ष जो किसानों की फसल मारी जाती है उससे उसकी रक्षा हो सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसके लिए अधिक से अधिक धनराशि आवंटित करें जिससे गाजीपुर जिले को राहत मिल सके ।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, ६ और ७ फरवरी को जिला खीरी में जबरदस्त ओला पड़ा और ११ मार्च को मन्त्री जी ने जो नक्शा गांवों का दिया है उसमें केवल २५४ गांव हैं और मेरी जानकारी है कि वह ३ सौ से अधिक गांव में ओलाबारी हुई । हमारे यहां चार तहसीलों में कई गांव ऐसे हैं जिनका नाम मैं जानता हूं बसंतापुर, बाहवा, खरौहिया, वाली, जंगलवाली, रमरदा, अमेठी, कधारा, चंदपुरा, नेनापुर, सहोरिया, अकठी, मटेरा, सहोरिया, बहारा, लखाही, दुलही बिनौर हैं जिनमें सरसों, मसूर और चने को भारी क्षति हुई है । गन्ने को आठ आने, गेहूं को १२ आने और बाकी फसलों को ५० प्रतिशत नुकसान हुआ है । मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह गांव की पुनः जांच करवायें और पूरा सर्वे करा कर जिनमें टेस्ट वर्क चल रहा था उसे फिर चलायें ।

एक बात मैं जो आपके रेवेन्यू के नियम बने हुए हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं । यह रेवेन्यू मैनुवल जो बना है वह अंग्रेजों के जमाने का है । इसमें संशोधन करना चाहिये । ऐसा है कि इसका नक्शा बनाना बड़ा क्लिष्ट होता है इ लिए कर्मचारीगण अधिक नुकसान को भी ५० प्रतिशत से कुछ कम ही दिखा देते हैं जिससे कि यह नक्शा न बनाना पड़े । मेरा मन्त्री जी से सुझाव है कि जिस अनुपात से नुकसान दिखाया गया हो उसी अनुपात से मालगुजारी मिलनी चाहिये ।

मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है मालगुजारी सस्पेंड करने के आदेश दिये जा चुके हैं । मेरी जानकारी है कि अभी तक आदेश नहीं गये हैं । अतः तुरन्त उन्हें भिजवाने की कृपा करें जिससे राहत मिल सके ।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान प्रतापगढ़ में पड़े ओलों की तरफ दिलाना चाहता हूं । मैंने राजस्व मन्त्री द्वारा प्रसारित जो रिपोर्ट है उसको देखा है उसमें प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में जो मकानों की क्षति हुई है उसकी आख्या नहीं दिखाई है । मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा किया है । पाव-पाव से भारी ओले वहां पड़े हुए हैं । कच्चे मकान जो खपरैल के थे सब क्षतिग्रत हो गये हैं उनको पुनः बनवाने की जरूरत है । उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है यह बड़े दुख की बात है ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ म ५० से ८० फीसदी की आख्या आई हुई है । वह अनुमान भी गलत है । कई गांव ऐसे दिखाई देते हैं जहां गेहूं की सारी फसल नष्ट हो गई है और जमीन पर गिर गई है । आम की फसल तहस-नहस हो गई है । सारा का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है । यहां जो रिपोर्ट दी गई है वह अधूरी है । मुझे इस बात की जानकारी हुई है कि जब डी० एम० प्रतापगढ़ ने यहां रिपोर्ट भेजी तो यहां के जो सचिव है उन्होंने उनको डांटा कि इतनी अतिशयोक्ति की रिपोर्ट क्यों भेज रहे हो ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या शंकर—]

इसलिए डर के मारे उन्होंने वही नुकसान जो हुआ था उसको कम करके दिखाया है। मैंने स्वयं देखा है। इसलिए जो आंकड़ा दी गई है, वह गलत है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री से यह मांग करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में तो मालगुजारी स्थगित ही की जाय, इसके अलावा मालगुजारी में छूट देना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरे मैं यह चाहता हूं कि चूंकि वहां इतना नुकसान हुआ है, लोगों के पुनर्वास का कोई साधन नहीं रह गया है ऐसी सूरत में टेस्ट वर्क का चलाना बहुत जरूरी है। मैंने स्वयं देख कर महसूस किया है कि वहां बिना टेस्ट वर्क के कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

दूसरा सुझाव यह है कि वहां तकावी बांटी जाय और सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला वगैरह की व्यवस्था की जाय और उसे बंटवाया जाय।

तीसरा सुझाव यह है कि मालगुजारी स्थगित करने के अलावा राहत की कुछ ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इतना कह कर मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान प्रतापगढ़ की ओर खींचना चाहता हूं।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,

एक सदस्य—

बांदा जिले के सम्बन्ध में संशोधन....

श्री अध्यक्ष—

कोई संशोधन नहीं है, आप अपनी बात कह कर बतला देंगे।

* श्री नेमसिंह चौहान—

मैंने जब इस ओला वृष्टि की समस्या के सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय, अलीगढ़ से बात की, रिपोर्ट उस तरह की नहीं है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां ओले गिरे हैं, उसका आगणन करें, तो रबी की फसल में ५० प्रतिशत अगर क्षति है तभी उनके लिए लगान माफी होगा। पचास प्रतिशत का जो अन्दाजा लगाया जाता है, वह कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। मैंने जिलाधीश महोदय से यह बात कही। इसके अलावा उनको ढंग से दिखलाएं। किसानों को तुरन्त राहत मिलनी चाहिये। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जिलाधीश महोदय के विवेक पर न छोड़े किसानों पर जो आपत्तियां आती हैं, किसानों को राहत देने के लिए स्वयं निर्णय कर और पचास फसदी का आगणन रिजिड रूप से न करायें। दूसरे जो खाद मिलनी चाहिए वह समय पर मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अलीगढ़ में क्षति ५० प्रतिशत से ज्यादा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेमसिंह चौहान--

उसके लिए जो राहत मिलनी चाहिए वह समय पर नहीं मिल पाती । चूंकि आज यह चर्चा का विषय बना है आपसे अनुरोध है कि आप निर्देश करें कि यह अधिकारी इसके लिए तुरन्त जितनी किसानों को सुविधाएं मिलनी हैं, वह उपलब्ध करा दी जायं । चारा नहीं है । मेरे क्षेत्र में जो कुछ समस्या उत्पन्न हुई उसके लिए म मांग करूंगा कि कुछ गेहूं की फसल खराब हुई थी अगर पानी मिल जाता, चूंकि ट्यूबवेल वगैरह वहां नहीं हैं, तो उनको कुछ राहत मिलती । तो सिंचाई की व्यवस्था भी अविलम्ब की जाय । जितने कर्ज आदि माफ नहीं हुए हैं बैंक आदि के वह भी माफ होने चाहिये ।

* श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यह प्रदेश के ग्रामीण समाज के लिए दुखद घड़ी है । कुदरत की तरफ से जो दुख आये हैं, कुदरत कुछ क्षमता दे सकती है कि उसके लिए खड़े हो सकें । मेरठ जनपद में मेरी कांस्टीटुएंसी में जब ओले पड़े तो खड़ी फसल बिलकुल लेट गयी । उस किसान को जिसको अभी दुख गन्ने की शक्ल में मिला कि उसका गन्ना कटकर बिका नहीं । मुझे तो सिर्फ अपनी सरकार को सतर्क करना है कि जिला स्तर पर जो सुविधायें भेजी जावें उसका उपयोग सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए । जो जनता को सुविधाएं दी जावे उसमें अधिकारी किसी प्रकार की कठिनाई या गड़बड़ी न उत्पन्न होने दें ।

* रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा दिए वक्तव्य को पढ़ा और उसमें उन्होंने प्रयास किया है कि जो ओले से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको राहत दी जाये । गोरखपुर जिले की महरौली और फरेन्दा तहसीलों में ७ फरवरी, १७-१८ फरवरी और १२ मार्च को ओले पड़े हैं । बयान में कहा गया है कि गोरखपुर ऐसा जिला है जहां पर दोनों महीनों में ओले पड़े हैं, लेकिन जो सुविधा घोषित की गई है वह १-१-१९७८ से ३१ मार्च, १९७८ तक की है । मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले को तकाबी के रूप में एक भी पैसा नहीं मिला ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिले के अधिकारी ओले, बाढ़ और इसी तरह की जो दैवी विपदायें आती हैं और उनसे जो क्षति होती है उनके आंकड़े कम करके दिखाए जाते हैं । गोरखपुर में केवल १० से ३० प्रतिशत की हानि दिखायी गयी है जो न के बराबर है । माननीय मंत्री जी तकाबी के रूप में एक भी रुपया नहीं दिया है । अतः मेरा आग्रह है कि गोरखपुर जिले की क्षति को ध्यान में रखकर उचित सहायता प्रदान करने का कष्ट करें । एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य दिया गया है वह १७ मार्च के ओले से प्रभावित क्षेत्रों का है । २९ तारीख को बांसगांव तहसील में ओला पड़ा । उसके फलस्वरूप फसल नष्ट हो गई और लोगों के मकानों को क्षति पहुंची । अतः मेरा निवेदन है, वहां के आंकड़े को भी मंगा लिया जाये और उस तहसील को भी सुविधा दी जाये ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है मैं और जिलों के बारे में ज्यादा नहीं कह सकूंगा लेकिन मुरादाबाद की रिपोर्ट बहुत सही तस्वीर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

पेश किया है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, ३ बार ओले पड़े जिसका असर लगभग १२८४ गांवों पर पड़ा। आधे से ज्यादा जिले के गांवों पर ओले का असर पड़ा है और नुकसान हुआ है। छहों तहसीलों पर ओलों का प्रभाव हुआ है। मुझे इतना मालूम हुआ है कि टेस्ट वर्क के लिए १२ जिलों को लिया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा इसके अन्तर्गत सभी जिलों को ले लिया जाये। जो बाकी ४३ जिले हैं उनको भी ले लिया जाये। एक दूसरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि कृषि से सम्बन्धित रुपये जो देय हैं उनका तो स्टे कर दिया है लेकिन जो अन्य विभागों जैसे कोआपरेटिव विभाग, लैंड डेवलपमेंट, हाईडिल आदि का रुपया जो किसानों से वसूल होना है वह नहीं हुआ है। उसकी रिपोर्ट तहसील में जाती है तो किसान से १० प्रतिशत की वसूलयाबी और बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हू कि इस तरह के आदेश जारी किए जायें कि यह जो दूसरे प्रकार की वसूलयाबी होती है वह उसी विभाग में स्टे हो जाय, तहसील में न आये। अगर तहसील में आने के बाद स्टे किया तो किसानों को १० प्रतिशत का खर्चा और देना पड़ेगा। इसलिए उनको बचाने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी डिमांड को तहसील में न भेजें बल्कि अपने आप स्टे कर दें।

मान्यवर, ७६ करोड़ रुपये का नुकसान रबी की फसलों में हो गया है, गन्ने की तो जो हालत हुई उसका कहना ही क्या है। आप किसानों की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि आप क्राप इंश्योरेन्स के बारे में सीरियसली विचार न करें। आज उनके सामने गन्ने की मुसीबत है, ६० फीसदी से अधिक नुकसान होने पर किसान क्या करेगा ? तो सीरियसली आपको क्राप इन्श्योरेन्स की ओर ध्यान देना होगा और जब तक आप ४३ जिलों में टेस्ट वर्क नहीं चालू करेंगे वहां पर स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जहां पर वसूलयाबी हो उसको वहीं पर रोका जाय।

*श्री क्षोम प्रकाश (जिला बस्ती)--

माननीय मंत्री जी ने उपलवृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने लिखा ह कि बस्ती जिले में २०, ३० मकान प्रभावित हुए हैं। वह संख्या बहुत ही कम दिखायी गयी है, २ हजार मकान तो एक पंचायत क्षेत्र में ही प्रभावित हुए हैं जिनके खपड़े नष्ट हो गए हैं और बरसात में उनको बिना छाये उनमें नहीं रहा जा सकता है। मेरा अनुमान है कि हमारे जिले में कम से कम १ लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहां पर पेड़ों के छिलके भी नीचे गिर गये हैं और किसी पेड़ में कोई पत्ता तक नहीं रह गया है। फसल नाम की कोई चीज नहीं है, हालत यह है कि मजदूरी देकर भी उनको खाली नहीं कराया जा सतका है। मेरा तो अनुमान है कि जितने मकान उस जनपद में हैं कम से कम उनका दशांश अवश्य प्रभावित हुए है मेरी प्रार्थना है कि वहां पर टेस्ट वर्क के लिए मंत्री जी ध्यान दें और उनको तुरन्त चालू करवायें। जिनकी सारी फसल बरबाद हो गयी है उनको मुआविजा दें, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करें और मनुष्यों के खाने के लिए तुरन्त व्यवस्था करें। यदि आज से ही कोई व्यवस्था नहीं होती है तो आगे चल कर वहां पर लोग भुखमरी के शिकार होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे मुझे यह कहना है कि वहां पर बीज की समस्या सबसे बड़ी हो गई है। वह कहां से आयेगा ? किसी के पास बीज नहीं रह जायगा । मेरी आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे आज से ही जागरूक हों । वहां पर मवेशियों और मनुष्यों की जिन्दगी का ही सवाल नहीं है बल्कि वहां के किसान इस बात के लिए भी चिन्तित हैं कि आगे फसल बोई भी जा सकेगी या नहीं ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर और व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे पास ये सूचनाएं भेजी हैं और जिनको मैंने राजस्व मंत्री जी को भेजा था पहले मैं उनको अपने विचार रखने का अवसर दूंगा, बाद में दूसरे लोगों को ।

(श्री कन्हैया लाल सोनकर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस समय कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, उस समय क्या दूसरे सदस्य खड़े हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनको अपनी बात समाप्त करने के लिए कह दिया था और दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । अभी आपने घोषित किया है कि जिन माननीय सदस्यों ने आपको ओले के सिलसिले में, फसल की बरबादी के सिलसिले में जिसने लिख कर जो सवाल दिया, उनको आप एक अवसर देंगे । मैंने देवरिया के बारे में जो २९ मार्च को ओला पड़ा था, उसके सिलसिले में ३०१ के तहत लिख कर दिया था, उसको आपने नहीं स्वीकार किया । देवरिया में जो ओला पड़ा था, सदन के नालेज में मैंने सोचा ला दूं, तो उसके लिए भी आपने अवसर नहीं दिया और इसमें मेरा नाम भी नहीं है । तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरि केवल जी, इसमें व्यवस्था क्या, जिन्होंने मुझे प्रश्न दिया, जिनका नाम रह गया, आपने दिया, अगर रह गया है, तो आपको भी अवसर मिलेगा और जब तक आप रहेंगे सदन जारी रहेगा । आप थोड़ा धैर्य से बैठें ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद की तहसील चायल में जमुना पट्टी, केवट-पुरवा उर्फ मोहम्मदाबाद, मलहीपुर, कटैया, ईसीपुर, मिनहाजपुर, उमरवल, पिपराटा, जनई वगैरह १५ गांवों में जनवरी, फरवरी, मार्च, ७८ में तीन मर्तबा ओला पड़ा था, वहां पर कोई अधिकारी नहीं गये । गांव के ५०-६० लोगों ने एस० डी० एम० से निवेदन करने गये, लेकिन उस समय माघ का मेला चल रहा था, इस कारण

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

से ए०डी० एम० महोदय मौके पर नहीं जा पाए। आप जिलाधिकारी को यह निर्देश दें कि इलाहाबाद की तहसील चायल में ये जो १५ गांव हैं, उनकी जांच करा लें। वहां पर किसी मकान का छप्पर साबूत नहीं रहा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इलाहाबाद जनपद को और उसकी तहसीलों को खासकर चायल तहसील को सुविधा प्रदान करने की कृपा करें पुरखास से कटैया रोड पर टेस्ट वर्क चालू करवा दें, जिससे कि वहां पर अधिकारी लोग जा आ सकें।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान बांदा जिले में हुये ओलावृष्टि की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ७८ में जो हमारे जनपद में ओला पड़ा, उससे वहां की पेड़ों की छाले उधड़ गई, पेड़ के पत्ते नष्ट हो गए, फसल नष्ट हो गयी। मैंने नरैनी क्षेत्र का दौरा किया, वहां की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है। इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि वहां पर विशेष रूप से पशु खरीदने के लिए, झापड़ी के लिए विशेष अनुदान की सुविधा प्रदान की जाय। अभी तक कोई टेस्ट वर्क वहां पर नहीं चलाए गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां के लिए विशेषरूप से टेस्ट वर्क चलाया जाय जिससे वहां के लोगों को काम मिले तथा अपनी जीविका चलाने में सुविधा मिल सके। वहां पर सस्ते कपड़े एवं गल्ले की दूकानें भी खोली जाय। इस सम्बन्ध में आपसे पहले भी मिल चुका हूं। वहां पर खासकर बांदा जिले के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में भीषण नुकसान हुआ है। इस सम्बन्ध में आपसे गुजारिश है कि वहां जो ओला-वृष्टि से शतप्रतिशत हानि हुई है, उससे वहां के हजारों पशु एवं हजारों छप्पर नष्ट हो गए हैं, इसकी मान्यवर, जांच करा लें और वहां के लोगों को राहत पहुंचाने की कृपा करें। जो कुछ भी अनुदान का पैसा मिला है तो बड़े लोगों ने अधिकारियों को मिलाकर खुद अनुदान का पैसा ले लिए है, वहां के गरीब लोगों को अनुदान नहीं मिल पाया है। वहां के गरीब लोगों की इस प्रकार से पूर्णतः उपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में जांच कर ली जाय क्योंकि जमीन भी गरीब लोगों के पास कम है, नुकसान भी ज्यादा उन्हीं का हुआ है। उनकी जीविका के लिए उनको अनुदान दिलाया जाय।

* श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने ओला-वृष्टि के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहराइच जिले में ४ तहसीलें हैं। जिनमें से जो सूचना दी गयी है उसमें केसरगंज, भिनगा और बहराइच हैं, इनका जिक्र है, लेकिन नानपारा में भी जो भंयकर ओला वृष्टि हुई थी उसका जिक्र होना चाहिए। पहले १८-३-७८ को हुई फिर ५ बजे एक भयंकर ओला वृष्टि हुई। उसमें जो क्षति हुई थी उस चीज को दर्शाया नहीं गया है। इसके साथ-साथ जहां पर ओला वृष्टि हुई थी वहां अभी भी लगान की वसूली चालू है। जब मैंने जाकर पूछ-तांछ की तो मालूम हुआ कि उन्होंने यह कहा कि अभी अगली फसल तक के लिए तय किया गया है कि लगान वसूली की जाय और वह पहली अप्रैल के बाद होती है। इसलिए फिर से वसूली शुरू कर दी गयी है। इसलिए मेरा कहना है कि अभी जो छूट के सम्बन्ध में है कि ऐसे प्रस्ताव जिलों से मांगे जायंगे जो रेवेन्यू मैनुअल की धारा ७५ के अनुसार जिलाधिकारी भेजेंगे। उसके लिए १५ तारीख निश्चित है। तो जिलाधिकारियों को इस प्रकार का निर्देश दीजिए कि १५ तारीख के पहले निश्चित रूप से यह प्रस्ताव भेज दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां पर ओलावृष्टि हुई है उनमें टेस्ट वर्क का काम शुरू किया जाना चाहिए। भिनगा तहसील में दोआबा क्षेत्र पड़ता है जो मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहां खरीफ की फसल भी नहीं हुई और रबी की फसल में शतप्रतिशत नुकसान हुआ है जिससे लोगों के पास न खाने को अन्न है, न जानवरों के लिए चारा है। इसलिए टेस्ट वर्क का काम तुरन्त प्रारम्भ कराया जाय।

इसके साथ-साथ अभी ओला वृष्टि से पीरपुर गांव के सुन्दर कुर्मी ओला पत्थर से मर गए। उसके साथ दोआबा क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति के कारण रसमुझ धोबी, सईपुर का और प्रभु कहार, पंडितपुरवा का दो आदमी भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। ऐसी दशा में वहां पर टेस्ट वर्क का काम शुरू किया जाना चाहिए। एक पीरपुर बगही के पास जो तालाब है उसको गहरा किया जाना चाहिये और मजदूरी के बदले में लोगों को अन्न दिया जाना चाहिए। साथ ही सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ओला पीड़ित क्षेत्रों में।

मैं अनुरोध करता हूं कि ये सारी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पाण्डेय। इनका नोटिस है। मान सिंह जी आपको सुखपाल पाण्डेय से हमदर्दी होनी चाहिए।

* सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्व मंत्री जी की रिपोर्ट आज इस सदन में पेश हुई है, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। इसलिए कि बस्ती जिले के बारे में जो अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है वह बिलकुल फर्जी रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने दिखाया है कि वहां ५, १२, १७,२७७ रुपये की क्षति बस्ती जिले में हुई है। बस्ती जिला इतना बड़ा है। नौगढ़, बस्ती, डोमरियागंज, खलीलाबाद और हरैया तहसीलों में कम से कम १५ करोड़ का नुकसान हुआ है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें दिखाया गया है कि केवल २,०३० मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मेरा कहना है कि लाखों मकान टूट गये पत्थर गिरने से कोई नहीं बचा। छप्पर सारे गिर गए। जो अधिकारी ऐसी गलत रिपोर्ट और गलत आंकड़ देते हैं मैं राजस्व मंत्री जी के कहूंगा कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

एक निवेदन और है। जो टेस्ट वर्क है वह चालू होने चाहिए। लेकिन राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि गत वर्ष जो बाढ़ और सूखे के समय आदेश हुए थे तो सितम्बर, अक्तूबर में आदेश हुआ और दिसम्बर में काम चालू हुआ। तो इतना लम्बा, कछुवे की चाल वाला आदेश न दें, जल्दी कराएं एक हफ्ते में और हर जगह टेस्ट वर्क चालू कर दिया जाय।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे यहां बस्ती जिला बाढ़ से, नदियों के कटाव से और ओला आदि से बुरी तरह प्रभावित है। आपने लगान की वसूली को स्थगित कर दी है, पर और वसूली जो हो रही है वे भी माफ होना चाहिये। छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिये। मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसे कार्यान्वित करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे इस ओला वृष्टि पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस वक्तव्य को पढ़ रहा था, इसको पढ़ कर ऐसा लगा जैसे कि इसको दफ्तर में बैठकर बनाया गया हो, न कि मौके को देख कर। बुलन्दशहर के बारे में इसमें बताया गया है कि ११-३-७८ को ९८ गांव प्रभावित हुये। इसके पहले १७-२-७८ को २१ गांव प्रभावित हुये। नुकसान का जो अनुमान लगाया जा रहा है वह बताया गया है कि ४,४०,००० रुपये है। बिजनौर में १० गांव बताये गये हैं जो प्रभावित हुये हैं। बुलन्दशहर में ९८ गांव में बोया हुआ क्षेत्रफल २,२५८ हेक्टेयर बताया गया है, जब कि बिजनौर के १० गांव में वह क्षेत्र २८४९ हेक्टेयर है। मैं स्वयं अपने यहां १०-१५ गांव में गया था और मैंने देखा कि वहां की फसल बिलकुल चौपट हो गयी है। जब कि इसमें बताया है कि १२ से ८० प्रतिशत का नुकसान ही है। गन्ना भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

जो सहायता मिली है उसको भी इसमें देखने की कृपा करें। बुलन्दशहर जिले को १-१-७८ से १७-३-७८ तक सहायता शून्य है। शासन द्वारा अहेतुक सहायता की मद में इस बीच २१ हजार रुपये की सहायता दिखायी गयी है। मैं तो नहीं जानता कि किसी को भी यह रुपया बंटा हो। हां, एक बात जरूर पता है कि लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी है। मगर किसान के लिये खाली लगान की वसूली ही तो नहीं है, बिजली का बिल भी देना है, सहकारिता का ऋण भी देना है। ३० जून तक सहकारिता वाले किसी न किसी तरह से ऋण की वसूली करते हैं। रबी और खरीफ दोनों फसलें किसान की बरबाद हो चुकी हैं। गन्ने का दाम भी उसे ४-५ रुपया क्विन्टल मिल रहा है। अतः जो और वसूल किसान से होना है उनको भी आप रुकवाने की कृपा करें। सरकार को इस बारे में निर्णय लेना होगा कि जहां ओला आदि से काफी नुकसान हुआ है वहां इन सभी प्रकार की वसूली रोकी जाये।

एक बात और कहना चाहता हूं। सभी जिलों में आपने टेस्ट वर्क के लिये रुपया दिया है। हम मेहनत भी ज्यादा करें और ओले पड़ जायं तो रोने न दें। तो इस टेस्ट वर्क के अन्तर्गत हमारे जिले में कोई पैसा नहीं गया है। एक बात और कह देना चाहता हूं मंडी समिति का एक सड़क बन रही थी तो आदेश पहुंच गया कि वह रोक दी जाय। मैंने कृषि मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कहा तो उन्होंने आदेश दिया कि सड़क को न रोकें। तो उल्टे सीधे आदेश चले जाते हैं कि सड़क रोक दी जाय। सरकार, ओला, पीड़ित लोगों के लिये अधिक से अधिक राहत जो दी जा सकती है वह दे।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य पढ़ा गया है उसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मान्यवर, अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है तो यहां बैठे हुये आई० सी० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी अंकुश लगाते हैं कि सही रिपोर्ट यहां तक न आने पाये। आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने प्रतापगढ़ की रिपोर्ट देखी थी, जो रिपोर्ट आई है, वह प्रतापगढ़ से भेजी गई रिपोर्ट नहीं है। बदल दी गई। यहां पर अतहर हुसैन जो राजस्व सचिव हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

वह नहीं हैं, गये ।

श्री राजपति मिश्र--

अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसा ही हो ऐसे आदमियों का । मान्यवर, यह लोग दबाव डालते हैं कि सही चीज न आने पाये । कहा गया है कि ५० से ८० प्रतिशत हानि हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि ८० से १५० प्रतिशत की हानि हुई है । १५० प्रतिशत की हानि इस माने में हुयी है कि पेड़ों के पत्ते गिर गये, घर नष्ट हो गये । गांवों की हालत बहुत खराब है । वहां खाने के लिये अनाज तो कहीं से आ जायेगा, भूसे का भी प्रबन्ध वह लोग कहीं से कर लेगें । लेकिन जो खपरैल टूटे हैं उनका क्या होगा ? उतना खपड़ा अब गांवों में तैयार नहीं हो सकत बरसात तक बरसात में क्या हाल होगा ? मैं राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा कि तुरन्त इस तरफ व्यवस्था करें जिससे कम से कम बरसत में छत तो रहे और बैठने की व्यवस्था तो हो जाय । मैं यह भी चाहूंगा, लगान को मुल्तवी कर दिया जाता है लगान को मुल्तवी करना कोई दवा नहीं है । आप बाद में जब उसको वसूलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है । लगान को आप माफ कर दें तो बहुत अच्छा हो । लगान के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी किसान से तमाम वसूलियां की जाती हैं जैसे सहकारी समिति का पैसा है, बिजली और सिंचाई का पैसा है, जैसा हमारे त्रिलोक चन्द्र भाई कह रहे थे, तो कृषि से सम्बन्धित तमाम वसूलियां जो हैं उनको माफ कर देना चाहिये । अगर आप यह न कर सकें तो कम से कम इतना तो कर दें कि उनका व्याज नहीं लिया जाना चाहिये । किसान के लिये टेस्ट वर्क की अत्यंत आवश्यकता है । मैं तो चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी प्रतापगढ़ चलें और हमारे यहां की स्थिति देखें, किसान रो रहा है, हाथ पर हाथ रख कर ।

मैं किसी अधिकारी की तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन हमारे यहां से जो रिपोर्ट आई है, मैं भी गया था, तो वह रिपोर्ट स्थल देख कर बनाई गयी है लेकिन यहां पर ५० से ८० फीसदी कह दिय गया है । किसान तो तबाह हो गया है । मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बैठे हुये अधिकारी जिन पर ओले और पत्थर का असर नहीं होता है जो एयर कंडीशंड कमरों में बैठे रहते हैं, उनका दिमाग थोड़ा दुरस्त करना है । गांवों की हालत, जहां ईश्वर के सहारे ही लोग रहते हैं, क्षण-क्षण में क्या हो जाय, आज क्या है, कल क्या होने वाला है इसको कोई नहीं जानता । किसान का अनाज खेत से खलिहान में आ गया है, लेकिन खलिहान से घर में जायगा, रहेगा या नहीं इसको कोई नहीं जानता परिस्थितियों में वहां कम चलता है । तो उसका आकलन तो गांव में जाकर ही किया जाना चाहिये । मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह तुरन्त टस्ट वर्क को शुरू कर दें और गरीबों को रहत दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

श्री राजपति मिश्र--

मान्यवर, मैं तो अभी बोल ही रहा था ।

श्री अध्यक्ष--

समय तो मुझे सीमित ही करना पड़ेग

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, ओला वृष्टि से इस देश में बड़ा भयंकर फसल का नुकसान हुआ है। जो सूचना दी गयी है उसमें नैनीताल का नाम है लेकिन इसमें तीन तहसीलें-गदरपुर, किच्छा और नैनीताल छूट गयी हैं। वहां भी कहीं-कहीं ओला पड़ा है जिसकी जांच मंत्री जी करा ले। मंत्री जी ने लिखा है कि हमने आदेश दे दिये हैं कि लगान वसूली में उत्पीड़न न किया जाय, जहां-जहां ओला पड़ने से ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां ओला पड़ा है वहां वसूली यदि स्थगित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, इससे जानवरों को चारा नहीं मिलता है। इसलिये चारे की और खाने की व्यवस्था आपको करनी है। यही नहीं जो किसानों के ऊपर कर्जा कोआपरेटिव का और बैंक का है उसको भी माफ करवायें। यदि ऐसा नहीं होगा तो अगली फसल में समस्या आयेगी कि वह कैसे बोआई करें, क्योंकि फसल कटने के बाद उनके पास पैसा नहीं होगा कि रबी का ऋण अदा कर सकें। जबतक वह ऋण अदा नहीं करेंगे तबतक उनको कर्जा नहीं मिलेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात का है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि उनको अगली फसल बोने के लिये पैसा मिल जाय। यही नहीं जो सूचना आया है और पुरानी परम्परा रही है कि पटवारी जो नुकसान का तकमीना लगाते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि ५० प्रतिशत हानि कम दिखलें जिससे उनको कागज तैयार न करना पड़े। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि रेवेन्यू मैनुअल में परिवर्तन करे ताकि नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी वहां देखने जायं जिससे आपको सच्ची सूचना मिल सके और जो अधिक क्षतिग्रस्त हैं ओले से, उन्हे अधिक से अधिक लाभ सरकार दे। इसलिये निवेदन है कि आगे आने वाली फसल के लिये आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनको खाद, बीज, पानी और पैसा आसानी से मिल सके जिससे आने वाली फसल अच्छी हो।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, ओले पर जो बहस हो रही है इसमें हमारा मथुरा तो तीन लोक से वैसे ही न्यारा है। वहां तो पहले ही गर्मी हो गयी जिसमें सारा जिला चौपट हो गया और ४० फीसदी खेती बिना बोई रह गयी। उसमें जो बोयी गयी वह तीन बार ओला वृष्टि से मारी गयी। ओला इतना भयंकर पड़ा कि छाता निर्वाचन क्षेत्र में जो गांव आते हैं जैसे सैनवा, जटवारी, छाता, जायद आदि लगभग ५० गांव ध्वस्त हो गये। वहां एक दाना नहीं बचा। इतनी हालत खराब हो गयी कि उसको पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। सारे जिले में यही हालत रही है। मान्यवर, इसमें जो आंकड़े आये हैं जिला प्रशासन से मैं समझता हूं कि पता नहीं वह किस स्तर से आये होंगे। एक बार लिखा है १,४७,००,००० और दूसरी बार में ४५ लाख रुपये का नुकसान लिखा है। जो आंकड़े सरकार को भेजे जाते हैं मैं उनको फर्जी तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आंकड़े लगाने की उनके पास कोई मशीन नहीं है। जो जिलाधीश ने लिखा है कि एक करोड़ ४७ लाख रुपय का नुकसान हो गया तो यह निश्चित तौर से कोई नहीं जान सकता है उसको परमात्मा ही जान सकत है।

मान्यवर, एक तो ओला पड़ चुका है और दूसरे जो जमुना नहर में जायद की फसल बो लेते थे वह भी नहीं बो पाये क्योंकि परमात्मा की कृपा से जमुना में बाढ़ आ गयी थी। तमाम की तमाम जायद फसल नष्ट हो गयी। पूरा जिला

भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है । जब मैं जिले के दौरे पर गया तो जीप से पचासों गांवों को देखा । लोगों ने बताया कि लगान की वसूली हो रही है । माननीय वित्त मंत्री जी जब उस इलाके में गये थे तो ऐलान कर आए थे कि जून तक फसल न आ जाने तक कोई वसूली नहीं होगी लेकिन आपके अमीन आज भी घूम-घूम कर वसूली कर रहे हैं । जहां पर ओला वृष्टि हुई है वहां पर तकावी दें, रुपया बंटवायें, अनाज की दुकानें खुलवायें और टेस्ट वर्क करवायें । मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगली वर्षा आ रही है । अगर गर्मी से बचाव का इंतजाम न किया तो वहां बड़ी तबाही होगी । यहां पर यह स्थान ही इन बातों को कहने का है और अगर यह बातें यहां न कही जायं तो इसका अर्थ है हम अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते । आशा है सरकार इन बातों की ओर पूरी तरह ध्यान देगी ।

*श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला फर्रुखाबाद में ओला वृष्टि से हुई क्षति की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस वक्तव्य में जो आंकड़े दिये गये हैं मात्र ५ परसेन्ट से ६० परसेन्ट तक दिखलाये हैं । यह भ्रमक हैं । मेरे क्षेत्र मर्दा की ३ ग्राम सभा खानपुर, गूरा एवं शाहनगर हैं जहां ८० से १०० प्रतिशत तक नुकशान हुआ है । एक ग्राम है जहां कि फसल के नाम पर कुछ भी बाकी नहीं बचा है । इसलिए यह जो आंकड़े दिये गये हैं यह भ्रामक हैं और पुनः आंकड़े मंगाये जायं । गंगा में जो सैलाब आया उससे भी किसान परेशान हैं । करोड़ों रुपये की क्षति हुई है । ओला वृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी । ऐसी स्थिति में फर्रुखाबाद के लिए जो राहत दी है वह केवल दो हजार रुपया है जबकि यहां १२ करोड़ से १५ करोड़ की क्षति हुई है और इन्होंने ६ करोड़ ६८ लाख की क्षति दिखलाई है । मेरा निवेदन है कि किसान पीड़ित है और उसके लिए अविलम्ब सहायता उपलब्ध करायी जाय । सहकारी कृषि भूमि विकास बैंक का कर्जा और दूसरे लगान से उसको राहत दी जाय । जहां ओला वृष्टि हुई है वहां भी अमीन वसूली के लिए घूम रहे हैं और किसान बहुत भयभीत है । जिले की सही तस्वीर मंगायी जाय और जो राहत कार्य हैं, वह तुरन्त किये जायं ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय राजस्व मंत्री ने ओला वृष्टि से पीड़ित किसानों के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दिया है । मैं बाराबंकी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गया और देखा कि किसानों की लहलहाती फसल खड़ी हुई थी और कटाई का समय निकट था लेकिन जब किसान फसल काटने के लिए लालायित था तो दैवी प्रकोप के कारण किसान की सारी फसल नष्ट हो गयी । मेरे क्षेत्र के अधिकांश गांवों की फसल नष्ट हो गयी है ।

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है इसमें कहा गया है कि शासन द्वारा राहत कार्यों के लिए पैसा भी भेजा गया है । मान्यवर, इस राहत के लिये अच्छा होता कि माननीय सदस्य और जिला के अधिकारी मिलकर किसानों की कितनी फसल नष्ट हुयी है, उसकी जांच करते, क्योंकि ओले से पीड़ित किसानों का मामला कोई राजनैतिक मामला नहीं । हम सभी विधान सभा के सदस्य किसी न किसी रूप में किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं । पहले भी ऐसा ही होता था । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित—]

सरकार ने जिलाधिकारी के पास और जिलाधिकारी ने एस० डी० एम० के पास सूचना भेजो और तहसीलदार ने फर्जी आंकड़े बनाकर सरकार को भेज दिये। इस तरह से स्थिति नहीं हल होगी। अतः प्रदेश में ओले से राहत देने के लिये सुझाव है कि किसानों का लगान और सिंचाई माफ किया जाय—नम्बर एक और नम्बर दो, टेस्ट वर्क प्रारम्भ किये जायं और जिन लोगों की फसलें और जानवर आदि नष्ट हो गये हैं, उनके लिये आर्थिक राहत और तकावी आदि देकर मदद की जाय।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया इस विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी का निर्माण करें जो प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में जाकर जांच करे और शासन के सामने वास्तविक स्थिति क्या है, उसको रखे ताकि किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, जब मैंने आज माननीय मंत्री जी का प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य पढ़ा और उसे देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति को जानता हूं और तीन दिनों तक निरन्तर मैंने बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के लगभग ८०/९० गांवों का सायकिल से दौरा किया है और उन गांवों को जा-जा कर देखा है जहां ओला पड़ा है। जिस तरह से वहां ओला-वृष्टि हुयी है, वह अभूतपूर्व है। मान्यवर, सैकड़ों वर्षों का रिकार्ड टूट गया था। रबी की सारी की सारी फसल नष्ट हो गयी। खेतों में ऐसा लग रहा था मानों कोई चांदमारी हुयी हो। अनाज का एक भी दाना बाहर नहीं था। यह धरती के नीचे धंस गया था। आम के सारे बौर टूट गये। टिकोरे तो समाप्त हो ही गये थे। टहनियां भी टूट गयी थीं। खपरैल टूटकर गिर गये थे और जो बाकी बचे थे, वे चूर-चूर हो गये थे ऐसा दृश्य लगभग १०० गांवों में मैंने देखा। शत-प्रतिशत क्षति थी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रतापगढ़ जनपद में ५० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक क्षति हुयी है। लेकिन मैं उन गांवों की नामावली बता देना चाहता हूं जिससे पता लगा लिया जाय कि शत प्रतिशत नुकसान हुआ या नहीं। अगर शत-प्रतिशत नुकसान न हुआ हो, तो कुछ भी करने के लिये मैं तैयार हूं उन गांवों में से कुछ के नाम हैं। बिलोपपुर, रखहा, दीवानगंज, कामविाही, भर्तीपुर, ईसनपुर, द्वारिका, मनभौना, मकरा, सराय छिउलहा, पृथ्वीगंज, लोदार, कोहियारी, पूरेपांडेय और समुगरा आदि। कुल १०० गांव हैं। जिनका दौरा मैंने स्वयं किया और देखा कि यहां पर शतप्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है। तो इनमें ५० से ८० प्रतिशत क्षति नहीं मानी जानी चाहिये। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपया वे इनकी पुनः जांच करायें। यदि मेरी बात में अतिरंजना समझी जाय तो जांच आयोग भेज दें ताकि तुरन्त स्थिति स्पष्ट हो जाय।

मान्यवर, वहां किसान और मजदूर किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठे हुये हैं। तीन दिन तक ओले गले नहीं। यही नहीं, मान्यवर, ओलों की शिलायें वहां पर अधिकारियों ने भी देखी। २९ तारीख को ओले पड़े और ३१ तारीख को हम यहां से गये थे और जाने के बाद भी वे ओलों की शिलायें देखी गयी जो कि गली नहीं थी। इतना भयंकर दृश्य इतनी प्रकृति की विनाश लीला इसके पूर्व नहीं देखी गई थी। मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच करायी जाय और तदन्तर किसानों की राहत की व्यवस्था की जाय।

लगान की मुल्तवी की बात वक्तव्य में कही गयी है, कि लगान मुल्तवी कर दिया गया है। वास्तव में मुल्तवी से, अधिभार किसानों पर बढ़ेगा, उनकी कमर और टूट जायगी। जो फसल, विशेष कर रबी की फसल क्षतिग्रस्त हुई है उसका सम्पूर्ण राजस्व समाप्त होना चाहिए। छूट का भी कोई प्रश्न नहीं है। मुल्तवी होता है तो किसानों के साथ न्याय नहीं होता है। ईमानदारी से सरकार उनके साथ न्याय नहीं करती है और यह मुल्तवी किसी भी दशा में किसी भी वृष्टि से ठीक नहीं है।

टेस्ट वर्क का जहां तक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम देव दुबे—

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जहां तक टेस्ट वर्क का प्रश्न है। यदि टेस्ट वर्क नहीं चलाये जाते हैं तो किसानों का जीवन नहीं चल सकता। उनके पास कुछ शेष नहीं रह गया है। टेस्ट वर्क तुरन्त शुरू कर दिये जायं। सस्ते गल्ले की दूकानें तुरन्त खोल दी जायें।

एक बात और कहूंगा। जो तकावी दी जायगी वह बिना ब्याज के दी जाय। अगर ब्याज वाली तकावी दी जाती है तो किसान को लाभ नहीं होगा। बिना ब्याज के तकावी दी जाय।

अगर इन बातों पर विश्वास नहीं होता तो मैं पुनः दोहराना चाहूंगा और चुनौती के साथ दोहराना चाहूंगा कि इसकी जांच करा ली जाय और शीघ्र राहत दिलाई जाय।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर..

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। जब तक आप को समय नहीं मिलेगा सदन जारी रहेगा।

*श्री ओंकार नाथ—

इस रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ है कि हमारे हमीरपुर जिले की जो फीगर्स दी गयी हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि लखनऊ में ही बैठ कर कुछ अधिकारियों ने सामान्य तरीके से बिना उचित जानकारी किये यह रिपोर्ट बना दी, मान्यवर, इस रिपोर्ट की तालिका के नं० २१ पर हमारे जिले हमीरपुर के कुछ आंकड़े दिये हैं। स्पष्ट प्रतीत होता है कि बिल्कुल निराधार हैं, अन्दाज से आंकड़े दिये गये हैं जब कि दूसरे जिलों में जहां ओला पड़ा है वहां के हर तहसील का हवाला दिया है। हमीरपुर जिले के किसी भी तहसील का हवाला नहीं है।

मैंने अपने जिले का दौरा किया। मेरे जिले के महोबा तहसील में ओला पड़ा। वहां पर बहुत ही जानवर मारे गये। हमीरपुर तहसील में कई गांव नष्ट हो गये जैसे बाकी, नदेरा, कलौलीगार नारायणपुर, कडोरा। इन गांवों में ७५ परसेन्ट से ज्यादा फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी। इसके पहले शायद ही ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ—]

ओला पड़ा होगा। पूरी रबी की फसल नष्ट हो गयी। वहां पर जो गांव हैं उनका मैंने दौरा किया और अपनी रिपोर्ट राजस्व मंत्री जी को भेजी। मैं स्वयं भी उनसे मिला और उनसे कहा कि इतनी विनाश लीला वहां पर कभी नहीं देखी गयी। परन्तु इस लिस्ट को देखने से मालूम पड़ता है कि किसी भी तहसील का इसमें नाम नहीं लिया गया है कि वहां पर ओला पड़ा जब कि और जिलों में इनका हवाला दिया गया है। यह लिस्ट विश्वसनीय नहीं है। मैं समझता हूं कि यह लिस्ट केवल इस माननीय सदन को एक गलत खबर देने के लिए है। मैं समझता हूं कि इस विषय में एक अच्छी समिति बनाई जाय और वह समिति जहां जहां ओले पड़े हैं वहां काश्तकारों की तबाही के बारे में जांच करें और राहत के विषय में राय दें। हमीरपुर को जो राहत दी गयी है वह फर्जी है। ओला पड़ा है जनवरी, फरवरी तथा मार्च में लेकिन राहत के आंकड़े लखनऊ में बैठ कर तैयार कर दिये गये हैं जो बड़े ही हास्यास्पद तथा फर्जी मालूम होते हैं। तकावी तथा अहेतुक सहायता के अन्तर्गत जो सहायता दी गई है वह है १-४-७७ से ३१-१२-७७ तक। इस तरह से आप देखेंगे कि ओला पड़ने के बाद कोई सहायता नहीं दी गयी है। इसी तरह से टेस्ट वर्क के अन्तर्गत तालिका नं० ३ में ३१-१२-७७ तक १ लाख रुपया हमीरपुर में दिखाया गया है जब कि ओला पड़ा है जनवरी, फरवरी तथा मार्च में। इस तरह से न तो शासन ने सही ढंग से जांच की है और न मदद करने का ही प्रयास किया है और फर्जी रिपोर्ट पेश कर दी है। गरीब किसान तबाही के कगार पर खड़ा है उसका इस तरह से मजाक उड़ाया गया है।

हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी, तहसीलदार, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बार बार कहा गया है कि कम से कम जा कर मौके पर स्थिति को देखो लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक गांव में नहीं गया, लेखपाल ने जो रिपोर्ट भेज दी उसी के आधार पर हेडक्वार्टर पर बैठ कर अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी है। शासन को बड़ी सतर्कता तथा सजगता से इस पर विचार करना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा सहायता देने का प्रयास करना चाहिये। लगान जो है उसे मुलतवी करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि काश्तकार का लगान माफ किया जाना चाहिये। आखिरकार किसान लगान देगा कहां से ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार करे और किसानों को भरपूर मदद दे।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री का ध्यान उन्नाव जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे जनपद में चार तहसीलें हैं और चारों तहसीलें ओले से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसमें जो आंकड़े दिखाये गये हैं वह हैं २,७७,३२,५०० रुपये के। ऐसा मालूम होता है कि अधिकारियों ने नपा तुला हिसाब रखा है वहां जो पैसे अंकित नहीं किये हैं उनको भी अंकित कर देते। यह संभावित जो क्षति हुई है वह कहां तक ठीक होगी यह इन आंकड़ों से ही मालूम हो जाता है वर्ना सच तो यह है कि उन्नाव जनपद में अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो कम से कम ८ करोड़ की क्षति हुई होगी। मंत्री जी ने रिपोर्ट में कहा है कि समस्त कृषि देयों की वसूली अगली फसल तक स्थगित कर दी गई है और यह क्षति उन्होंने २५ से १०० फीसदी तक स्वीकार किया है और जब कि मेरा कहना यह है कि यह क्षति ८० से १०० प्रतिशत तक है। लिहाजा समस्त देयों की वसूली त न कर के लगान माफ कर देना चाहिये। जिन किसानों के पास जब खाने

को अन्न नहीं है उनको तकावी दी जाय और जो सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी देय हैं उनको स्थगित किया जाना चाहिए। यह एक दायित्व था और मंत्री जी को इसे उदारतापूर्वक सोचना चाहिये था कि जिन किसानों के घरों में रबी की फसल आती है, उसी से उसका गुजरा होता है वही चौपट हो गई तो वे क्या खायेंगे ?

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्नाव जिले की उपेक्षा की गई है। अन्य जिलों में टेस्ट वर्क चलाये गये हैं जिसमें हरदोई जनपद को लिया गया है, लेकिन उन्नाव जनपद को छोड़ दिया गया है। हरदोई जिले में भी क्षति हुई है और उन्नाव जिले में भी क्षति हुई है लेकिन उन्नाव जिले ने कौन सा अपराध किया है कि वहां टेस्ट वर्क नहीं चलाया जा रहा है। पिछली बार भी इस सदन में बाढ़ और कटाव से क्षति के बारे में वक्तव्य दिया गया था और उस समय भी हरदोई में टेस्ट वर्क चालू किया गया था और उन्नाव में नहीं किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि उन्नाव जिले को उपेक्षात्मक नीति की दृष्टि से न देखा जाय। वहां की समस्याओं को आप समझें। जो किसान ओले से प्रभावित हुए हैं उन्हें तकावी की सुविधा प्रदान करें, जिले में लगान माफी की घोषणा करें, अन्य देय धनराशियों को स्थगित करें, और साथ ही टेस्ट वर्क शुरू करें।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आगरा जिले की तहसील किरावली, फिरोजाबाद आदि में ओले से हुई क्षति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जनवरी, १६/१७ तारीख को वहां पर निरंतर ओला-वृष्टि होती रही। यह वह क्षेत्र है जहां हर बार बाढ़ और गरकी आता रहती है और उससे वहां के किसान तबाह हो गये हैं। उससे किसानों ने जो कुछ बचाया वह सब ओलावृष्टि से नष्ट हो गया। इस क्षेत्र के बारे में यदि राजस्व मंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और सोचें, जैसा कि उन्होंने ५० प्रतिशत की क्षति का बात अपने वक्तव्य में लिखी है तो निश्चित रूप से किसानों को राहत नहीं मिल सकेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तुरन्त वहां लगान माफी की घोषणा करें, जो वसूली हो रही है उसको अविलम्ब स्थगित करने के आदेश दें। बाढ़ और गरकी से पीड़ित क्षेत्रों में तुरन्त आप ऐसे आदेश देने की कृपा करें। मंत्री जी ने जो वक्तव्य में ३१२ गांवों की बात कही है, गांवों के नाम उन्होंने नहीं दिये हैं, मुझे मालूम नहीं कि कौन-कौन से गांव हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी सहायता दी जाय वह सिर्फ सरकारी मशीनरी के पास न सौंपी जाय बल्कि जिस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई हो, उसके क्षेत्रीय विधायक की भी राय ले ली जाय, साथ ही जिन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के बारे में आपको रिपोर्ट नहीं मिली है उनके बारे में जिलाधीश को यह आदेश दिये जायं कि वहां के क्षेत्रीय विधायकों के साथ उन क्षेत्रों का पुनः निरीक्षण किया जाय।

यह बड़े दुख की बात है कि आज इस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में हम लोग प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हो रहे हैं। पता नहीं इस देश के अन्दर कब ऐसा अवसर आयेगा जब कि हमारा मौसम दफ्तर यह बतायेगा कि फलां समय में ओलावृष्टि होगी। हमें निश्चित रूप से यह मालूम नहीं होता कि कब इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप आयेंगे। एकाएक कोई चीज आ जाती है। कम से कम मौसम दफ्तर को यह बताना चाहिए जिसका कि केन्द्र लखनऊ में हो और वह जिला इकाइयों से मिला हो जिससे ये जो प्रकोप आते हैं उससे जान व माल की तबाही से रोका

[श्री राजेश कुमार सिंह---]

जा सके । यदि इस वैज्ञानिक युग में यह व्यवस्था भी नहीं हो पायी तो ऐसी आपदायें आती रहेंगी और प्रकृति के प्रकोप के सामने हम लोग असाहय बने रहेंगे ।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री ने जो हमको यह सूचना दी है कि ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है उसको देख कर हमें बहुत दुख हुआ और विशेषकर पर्वतीय जिलों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं । हमारे यहां बेमौसम का हिमपात इस वर्ष हुआ है । अभी तक पहाड़ों में बर्फ गिर रही है । तमाम जो फसलें थी वह बर्फ से बिल्कुल खराब हो गई हैं । दूसरा ओलावृष्टि से टिहरी गढ़वाल से करीब ७५ से ८० फीसदी क्या कहीं कोई चीज रह ही नहीं गई है । इस लिस्ट में उसका कहीं नाम भी नहीं है । इस फसल के अलावा पर्वतीय जिलों में आगे की जो फसल है वह भी बरबाद हो चुकी है । अतिवृष्टि के कारण धान की नर्सरी की बुआई का काम नहीं हो रहा है । आलू की खेती की बुआई नहीं हो पा रही है । इसलिए यह फसल तो नष्ट हो ही गई है आगे आने वाली फसल जो है पहाड़ों में वह भी समाप्त हो गई है क्योंकि उसका समय जा चुका है । तो मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि सभी जिलों से सही-सही आंकड़े पहले मंगाये और हम लोगों को दें ।

दूसरी बात यह है कि राहत के जो कार्य हैं उसको शुरू करें ताकि लोगों को कुछ रोजगार मिल जाय और वे खाने का प्रबन्ध कर सकें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी बात करते रहते हैं हमारी बात सुनते तक नहीं हैं तो हमारे बोलने से क्या फायदा ....

श्री अध्यक्ष---

आपकी बात मंत्री जी सुन रहे हैं । माननीय राजस्व मन्त्री जी आपकी बात की तरफ ध्यान दीजिए ।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी---

तो वह क्या करेंगे जब हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है ।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी और मार्च में दो बार ओला बारिश से सीतापुर जनपद की पांचों तहसीलों को काफी नुकसान हुआ । महमूदाबाद तहसील के कई गांवों में जिलाधीश को लेकर मैंने देखा । वहां पर १०० प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी थी । इस सम्बन्ध में मैंने ३, ४ पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखे, यदि मुख्यमंत्री जी एक पत्र का उत्तर दे देते तो वहां के लोगों को बहुत ही संतोष हो जाता माध्यवर, मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि भू राजस्व केवल माफ करने से कोई फायदा नहीं होगा । जहां पर पूरी फसल नष्ट हो गई है वहां की जनता क्या हवा खाकर जिंदा रहेगी ? अगर ठीक समय से सहायता नहीं मिली तो आदमी क्या जानवर भी भूखों मर जायेंगे । शासन से मेरा अनुरोध है कि जैसे मेरे पत्र का उत्तर आज तक नहीं दिया गया वैसे ही चुपचाप राजस्व मंत्री जी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बैठे न रहे अन्यथा बड़ी परेशानी हो जायगी । मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र में जल्द ही अनुदान देने की कृपा करेंगे तथा त्वरित योजनायें जल्दी ही प्रारम्भ करा दी जाये ताकि लोगों को जीविका के लिये कार्य मिल सके ।

श्री रमेश चन्द्र (जिला बांदा)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे १० महीने के बाद बोलने का मौका दिया गया है । कई बार मैंने प्रयास भी किया । मेरा क्षेत्र जिला बांदा में मऊमानिकपुर है जिसमें बहुत ओला पड़ा है । वह क्षेत्र वैसे भी पिछड़ा हुआ है । उस क्षेत्र में कुछ नहीं होता है । जब मैं उस क्षेत्र में गया तो लोग यह कहते थे कि हमारे मवेशियों के लिए घास चाहिये और कुछ नहीं तो घास हमको दो, वह कहते हैं खपरा हमको चाहिये । हमारे मुख्य मंत्री जी और बाबू लाल वर्मा जी भी गये थे । वहां खपरा भी नहीं है । एक कहावत है भगवान हमको उतना बाघ से डर नहीं है जितना बाढ़ से है । इसलिए वहां खपरा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए । इसलिए वहां इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये ।

दूसरी वहां की मांग है कि हमको रोटी चाहिये । इस लिए हम चाहते हैं कि वहां मजदूर लोग बहुत हैं, ज्यादातर मजदूर ही हैं, और भूखों मरे रहे हैं, उनके लिए कुछ श्रमदान कर दिया जाय ताकि उनको बसर हो । पैसा न दिया जाय बल्कि सड़क है, पोखरो है तालाब है, इत्यादि की योजना बनाई जाय ताकि काम हो ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज यह विषय जो सदन के समक्ष आया है और जिस पर चर्चा हो रही है हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य का विषय है । हमने मंत्री जी की बनाई हुई सूची भी देखा है । उस में मेरे जिले जौनपुर का नाम नहीं आया हुआ है । मैं सुझाव देता हूं कि सूची में संशोधन किया जाय । जौनपुर में ओले पड़े हैं लेकिन ज्यादा हिस्सा उस जगह का नुकसान हुआ है जो जौनपुर का दक्षिणी हिस्सा है, मड़ियाहूं तहसील का, जो बनारस और मिर्जापुर की सरहद पर है । वहां पचास फी दी नुकसान हुआ है । हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरह से सूचना मिली है । मैंने लिखकर जिलाधीश को भेज दिया था और मौखिक सूचना भी दी थी । मड़ियाहूं तहसील और जौनपुर के दक्षिणी हिस्से को देख लें । मैं विशेष रूप से सुझाव दूंगा कि जौनपुर का नाम अपनी सूची में संशोधित करके, दक्षिणी हिस्सा जो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लाएं और जो भी राहत किसानों और मजदूरों को दूसरे जिलों में दे रहे हैं, वहां भी देने की कृपा करें ।

दूसरे यदि आप को वास्तव में किसानों को राहत देनी है तो वसूली बिल्कुल स्थगित कर दें, सरकार ने कुछ राहत दिया है पिछली वसूली के सम्बन्ध में लेकिन २-३ वसूलियां चालू हैं । अमीन, चपरासी परेशान कर रहे हैं । अगर सरकार की मंशा है कि किसानों को थोड़ी सुविधा, राहत दी जाय तो वसूली बिल्कुल बन्द की जाय ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मैं एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कानपुर में एक विशेष दुर्घटना हुई है । अश्रु गैस के गोले डाले जा रहे हैं । लाठी चार्ज किया जा रहा है । बड़े विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है । इसकी जानकारी सदन को दी जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे सूचना मिली थी । मैंने स्वायत्त शासन मंत्री को इसके बारे में कहा है कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मंगवा लें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

अभी जानकारी मिली है कि गोली चली है । एक आदमी मर गया है।

श्री अध्यक्ष--

रस्तोगी जी बैठिए। वह सूचना मंगाई है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

कानपुर के सम्बन्ध में मौका दें । अब भी पुलिस और पी० ए० सी०, डी० ए० वी० कालेज के लड़कों को घेरे हुए है । एक लड़का मर चुका है, एक घायल है । उस सम्बन्ध में निर्देश करें कि तुरन्त सूचना एकत्रित करके तमाम सदस्यों को जानकारी दें ।

(स्वायत्त शासन मंत्री) श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, अभी दस मिनट पूर्व इस सम्बन्ध में आदेश दिया था जानकारी करवा रहे हैं । जैसे ही जानकारी मिल जायेगी सदन को अवगत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

बदरे जी बैठिए, इस तरह से कोई टेलिविजन आप के पास नहीं है । मैंने मालवीय जी से कहा है मुझ को आधे घटे पहले सूचना मिली । मैंने कहा कि तुरन्त कानपुर से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करें । आप बैठिए, छः सात बजे तक, जब तक सब सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा सदन चलेगा और उस वक्त तक मैं चाहूंगा कि कानपुर की भी सूचना आ जाय ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया है, उसमें हमारे फैजाबाद जिले का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र के हैदरगंज में ५ मील के रकबे में बड़े-बड़े पत्थर पड़े । इस क्षेत्र में मैं खुद दौरा करने गया था । रखौना एक गांव है उसके एक मील के रेडियस में पत्थर इतना ज्यादा पड़ा है कि बड़ी भीषण तबाही आ गई है । माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार नहीं किया है कि वहां पर बहुत अधिक हानि हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की रिपोर्ट वहां के जिलाधिकारी से मंगा लें और जो ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए जिससे उनको राहत मिल सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर दैवी आपत्ति जैसे बाढ़ या सूखा के संकट आते रहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम फसल का बीमा होना चाहिए । इस योजना पर जब तक

विचार नहीं किया जाएगा तब तक किसानों का भविष्य अन्धकारमय ही रहेगा और हमारे देश की कृषि का नुकसान होता रहेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जो मेरे इस सुझाव पर विचार करें और हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण कदम को उठावे।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो उपलवृष्टि पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बांदा जिले की स्थिति दूसरी ही है। इस वक्तव्य में यह बताया गया है कि बांदा जिले में ६ बार उपलवृष्टि हुई है और ६९४ गांव इससे प्रभावित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री को और इस सरकार को बताना चाहता हूं कि बांदा जिले में १९ बार उपलवृष्टि हुई है लेकिन उसको केवल ९ बार दिखाया गया है। यहां पर जो गांव इससे प्रभावित हुए हैं उनकी संख्या ९४५ है जब कि वक्तव्य में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि बांदा जिले में ६९४ गांव ही प्रभावित हुए हैं। नुकसान केवल २० से २००% दिखाया गया है जब कि अधिकतर नुकसान ८० -१००% प्रतिशत केवल ५०० ग्रामों में हुआ है। ४३० गांव में नुकसान १० से ६० प्रतिशत दिखाया गया है। जिले के क्षेत्र जो कि अरक्षित क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा उपलवृष्टि हुई है। वहां के लोगों की स्थिति भूखों मरने की हो गई है, उनके पास कुछ रह नहीं गया है। मैंने वहां के लोगों को बांदा अतर्रा में भीख मांगते हुए देखा है। तो मान्यवर, वहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं यह नहीं कह सकता जो रिपोर्ट दी गई वह गलत ही है लेकिन मैं कह सकता हूं कि सत्य को कम करके दिखाया गया है और तथ्यों को सही रूप से नहीं रखा गया है। जहां पर ९४५ गांव उपलवृष्टि से प्रभावित हुए हों वहां पर केवल ५ करोड़ का नुकसान होना कुछ माने नहीं रखता है। क्या एक गांव में ५० हजार का ही गल्ला पैदा होता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दें और जो वास्तविक स्थिति है उसका आकलन करा लें और उसी के हिसाब से किसानों को राहत दी जाए और जो आर्थिक सहायता दी जाए उससे कुछ तो किसानों को लाभ हो सके।

यह बात नहीं कि सब को अहेतुक सहायता दी जाय लेकिन अन्य व्यवस्था भी हो सकती है। जो किसान और लोग पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी सहायता की जानी चाहिए। जैसा यहां पर अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं लगान माफी और सरकारी देय से किसानों को मुक्त करने की मेरा भी निवेदन है कि जो क्षेत्र ओले से प्रभावित हुए हैं, वहां पर टेस्ट वर्क आरम्भ कराए जांय ताकि वहां की जो जनता है, भीख मांगने की हालत में है, उनको काम मिल सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में उपल वृष्टि तो हुई लेकिन साथ ही वहां पर पाला भी पड़ा है जिससे एक हजार गांव प्रभावित हुए हैं और जहां की फसलें चौपट हो चुकी हैं। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र के गांवों को देखा है। मेरे क्षेत्र का इस विवरण में जिक्र नहीं होगा लेकिन वहां पर २० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक का और कुछ गांवों में तो शत प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जसपुरा ब्लाक में १५ गांव और तिन्दवारी ब्लाक में जहां पर शत प्रतिशत हानि हुई है, १३ गांव हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस

[श्री जगन्नाथ सिंह परमार--]

समस्या की भीषणता को देखते हुए सरकार को बांदा जिले की ओर विशेष कदम उठाना चाहिए । इस जिले में एक तो सबसे अधिक प्रकृति ने कोप किया है और दूसरे शासन भी उपेक्षा पैदा कर रही है । आज की बदली हुई परिस्थिति में जनता इस सरकार से यह अपेक्षा करती है कि जो बहुत दुःखी हुई हैं उनकी ओर ये कृपा दृष्टि डालें और वाजिब सहायता देने की कृपा करें ।

*श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं)--

मान्यवर, जैसा कि ५४ जिलों में ओला पड़ा उससे बदायूं भी नहीं बच सका । इसमें भी हानि हुई और जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है । यों तो हमेशा नेचरल कैलेमिटीज होती रही हैं लेकिन श्रीमन् आपके जरिए से मैं २ बातों की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं एक तो यह कि ओले के नुकसान के एसेसमेंट का जो तरीका है, वह वही है जो कि गुलामी के दौर में बना था, इसको पुरानी सरकार ने बनाया था, उसी को कायम रखा । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इसमें तरमीम करे । इसके बाद मुझे यह कहना है कि जब हमारी सरकार कहती है कि गांवों के काश्तकार हमारे हैं तो इसमें जो एसेसमेंट का तरीका है, वह ऐसा क्यों है कि जिससे काश्तकार का पूरे के पूरे नुकसान का एसेसमेंट न हो सके । इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पहला कायदा अंग्रेजों का बनाया हुआ है कि अगर ५० प्रतिशत का नुकसान होगा या ज्यादा होगा तो वहां के काश्तकारों को कुछ छट मिलेगी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनता सरकार में ऐसा कानून मुनासिब नहीं है । इसमें तरमीम की जरूरत है कि कितने नुकसान पर कितनी सहायता दी जाय । आम तरीके से लगान माफी बड़ी दुश्वारी हालत में हुआ करती थी । जनता सरकार काश्तकारों की सरकार है, उनको इन नियमों को रिवाइज करके यह तय करना चाहिए कि कितने नुकसान पर बिलकुल लगान की माफी करेंगे । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे ।

आज जो काश्तकार की फसल होती है, जिससे वह कर्जे अदा करता है, अपनी गुजर करता है, आइन्दा की फसल बोता है, वह सब तबाह हो गई हैं । तो जैसा कि सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा मेरी भी गुजारिश है कि उनके लगान को माफ कर दें या मुलतवी कर दें । और जब तक काश्तकार दूसरी फसल न बो सके तब तक उसको कन्जम्पशन लोन मिलना चाहिए ।

कंजम्पशन लोन का आपके पास प्राविजन है, खासतौर से उन काश्तकारों को जिनको कि नुकसान हुआ है, उन्हें कंजम्पशन लोन दिया जाय । उसके अलावा उन्हें आइन्दा फसल बोने के लिए सहायता दें । इस तरह से एक तरमीम और चाहूंगा कि जो डैमेज, जो नुकसान होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से सूची जो है, वह ओवर आल रख दी जाती है । मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से जिन-जिन काश्तकारों का ज्यादा या कम नुकसान हुआ है, उस तरतीब से सूची रखी जाय । इन अल्फाजों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

*श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्व मन्त्री जी द्वारा जो रिपोर्ट सदन में पेश की गई थी, उसे मैंने पढ़ा और उसमें अपने जिले का नाम न देख कर मुझे तकलीफ हुई । मान्यवर, कुल ४३ जिलों की रिपोर्ट आई है और एक दर्जन जिले रह गए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं जो उपलवृष्टि से प्रभावित नहीं हुए। जहां तक हमारे जिले का सम्बन्ध है आप देखें कि प्रतापगढ़ में उपलवृष्टि हुई, मिर्जापुर में उपलवृष्टि हुई, गाजीपुर में उपलवृष्टि हुई, वाराणसी में उपलवृष्टि हुई, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उपलवृष्टि भी बिलकुल नापजोख कर हुई और हमारे जिले में आते-आते उपलवृष्टि समाप्त हो गई। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के सम्बन्ध में आप पुनः वहां के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगें। हमारी यह सूचना है कि जिन जिलों का नाम मैंने आपके सम्मुख रखा है, उनके पड़ोस के भी क्षेत्र प्रभावित हैं उपलवृष्टि से, बहुत बरबाद हुआ है उपलवृष्टि से और वृष्टि से भी नुकसान हुआ है। तिलहन, चना, अरहर बिलकुल समाप्त हो गई है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके हमारे जिले की भी रिपोर्ट उसमें शामिल करें और जो सुविधाएं आप देना चाहते हैं, वह हमारे जिले को भी दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपके जिले का नाम पहले आ चुका है।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय, जब तक यह विवाद समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय, जब तक कि यह विवाद समाप्त न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में हुई ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान गोंडा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। गोंडा जिला एक ऐसा जिला रहा, जो सूखे से भी बुरी तरह प्रभावित रहा और जिसके सम्बन्ध में वहां के डी० एम० ने २५ से ५० प्रतिशत रिपोर्ट दी। एक परगना तो ऐसा था कि उसका हर गांव १०० प्रतिशत नुकसान में था। डी० एम० से मैंने कहा कि आप चलिए, देखिए, वे गए, उसके बाद उस पूरे परगना को ७५ फीसदी से अधिक नुकसान स्वीकार किया। उसके बाद वहां के काश्तकारों को गेहूं, खाद अनुदान के रूप में बांटी गई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दशरथ सिंह---]

लेकिन श्रीमन्, वहां पर जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है, उसको मजदूरी मिलना कठिन हो गया, उसको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया, एक पसे का टेस्ट वर्क नहीं खुला। बाबूलाल वर्मा जी, ग्राम्य विकास उपमन्त्री अपने दौरे में वहां गए। वहां के भूमिहीन मजदूरों ने रो-रोकर अपनी हालत बतलाई। उन्होंने किसानों के खलिहानों की दुर्दशा देखी तो वह प्रचित हो उठे। उन्होंने राजस्व मन्त्री जी को रिपोर्ट दी कि टेस्ट वर्क खोले जायं। डी० एम० से शासन ने रिपोर्ट मांगी तो डी० एम० ने कहा कि टेस्ट वर्क की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि माननीय उपमन्त्री जी ने स्वयं रिपोर्ट दी वह सत्य थी हम लोगों ने स्वयं रिपोर्ट दी वह सत्य थी या डी० एम० की रिपोर्ट सत्य है? शासन ने वहां पर कोई टेस्ट वर्क नहीं लगाया और लोग भूख से बिलखते रह गए, भूख से तड़प रहे हैं। फिर भगवान की दया हुई, ओला भी पड़ गया दैव ने भी साथ नहीं दिया। ओला-वृष्टि की यह हालत थी कि एक-एक किलो तक का ओला थपेरा गांव में पड़ा है, गला नहीं घंटों, सुब सुब तक गलता रहा और उसके लिए रिपोर्ट यह दी है कि अनुमान लगाया जाय। तहसीलों के अन्दर व्याख्या नहीं दी गई कि किन तहसीलों में ओले पड़े हैं। इसमें डी० एम० अनुमान लगा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने पहली रिपोर्ट भी सही नहीं दी।

मैं असेम्बली छोड़ करके वहां का दौरा करने साइकिल पर गया। मैंने स्वयं देखा कि किसानों की फसल तबाह हो गई अरहर मिट्टी और गन्दगी में मिल गई। गेहूं की पकी फसल झड़ गई और कच्ची के दाने टूट गए। ७५ फीसदी फसल का गांवों में नुकसान हुआ है उस ओले से। अब करके त्राहि-त्राहि कर रहे किसानों ने डी० एम० का घर घेरा। लोग नदी को पार करके जा रहे थे, उस समय एक लड़का डूब कर मर गया। वह अपने बाप का अकेला लड़का था और तहसील को इत्तला देते समय डूबा कि हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में क्षति पहुंची है कोई सहायता की जाय। उधर भी किसी का ध्यान नहीं गया। उसका बाप बहुत ही गरीब था। मैं उसको ३-४ दिन बाद एस० डी० एम० के पास ले गया। उसने कहा कि सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से और मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि गोंडा का प्रशासन शासन की बात की अवहेलना कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और सत्य रिपोर्ट को अस्वीकार करके सरकार की नीति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। वहां जनता पार्टी बदनाम हो रही है वहां की ओर विशेष ध्यान दें। साथ ही वहां भूसे की व्यवस्था होनी चाहिए। धान और गेहूं दोनों फसलों के लिए लोगों ने बीज की व्यवस्था करनी चाही थी। धान की फसल पैदा नहीं हुई। थोड़ा बहुत पैदा हुई तो उसी को खा रहे होंगे। खाने को कुछ नहीं है। धान तो हुआ नहीं और ओला वृष्टि से गेहूं का बीज भी होने की संभावना नहीं है। तो धान और गेहूं के बीज की व्यवस्था की जाय और विद्यार्थियों का शिक्षा शुल्क माफ किया जाय।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट' (जिला इटावा)---

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्व मन्त्री जी को कि उन्होंने हमारे जनपद इटावा का नाम इस सूची में शामिल किया है और शामिल वह इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर बहुत ही भयंकर रूप में ओला वृष्टि हुई है।

हमारे जनपद की तीनों तहसीलें ओले से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। यहां भयंकर रूप से ओला गिरा है। औरइया तहसील जो ५-५ नदियों का बीहड़ इलाका है, जहां सिचाई के साधन भी नहीं हैं, वहां ओले से बुरी तरह सारे गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिन्डोस, जाजेपुरा, चौरेला, ललूपुरा, बिन्डवा, गढ़ीमंगद, कचहरी, करियावली, नौमरी, बिहार, अनेठा, बेशरी, बिड़ौरी, विठौली, हरौली, भरेह पयरा, महुआसूड़ा, जमुना चम्बल तथा क्वारी के किनारे की पट्टी तथा दासपुर, मानपुर, खरका, बसंतपुर, सिहौली, सड़रापुर, बीझलपुर, अयाना, जुही खां, फुरिहा, असेवा, असिवटा, आदि गांवों की जमुना किनारे की पट्टी बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह गांव के क्षत्र पूरी तरह से बरबाद हो गए हैं। वहां के लोगों के पास खाने तक की व्यवस्था नहीं रह गई है। मैं यह देख कर आश्चर्यचकित हूं कि जहां राजस्व मन्त्री जी ने १ अप्रैल, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक और जिलों के लिए सहायता दी है, वहां इटावा जनपद के लिए बहुत कम है और वहां के लिए १ जनवरी, १९७८ से १७ मार्च, १९७८ तक बिल्कुल सहायता नहीं दी है। औरइयां तहसील में जहां भयंकर रूप से ओला पड़ा है, उसने कौन सा गुनाह किया है जो उसे सहायता से वंचित रखा गया है। १ जनवरी, १९७८ से १७ मार्च, १९७८ तक के समय के लिए इटावा के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

इसके अलावा गरीबों को राहत देने के लिए जो टेस्ट वर्क चालू करने के लिए ११ जिले रखे गए हैं उनमें भी इटावा को शामिल नहीं किया गया है। इटावा के लिए जो २ लाख की धनराशि दी गई है वह बहुत कम है। इटावा जिला वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है। पूर्वी जिलों के लिए जब भी कभी कोई योजना बनती है तब उसमें हमारा जिला शामिल नहीं होता, पश्चिमी जिलों की जब कोई योजना बनती है तो उसमें हमारा जिला शामिल नहीं किया जाता। वह बीच में ही लटक कर रह गया है। इस अवसर पर सहायता के समय भी वह बीच में लटक कर रह गया है। हमारे जिले में भी टेस्ट वर्क शुरू करवाये जायं।

जहां तक सरकारी ऋणों की वसूली रोकी गई है, उसी से काम चलने वाला नहीं है। बिजली के बिलों की वसूली है, सहकारिता ऋणों की वसूली है, इसी प्रकार अन्य जो भी वसूलियां हों, उन्हें उनसे मुक्त करने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कानपुर जनपद के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कानपुर जनपद के घाटमपुर, भौगिनीपुर और राजपुर क्षेत्र ओले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घाटमपुर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं, वहां फरवरी और मार्च के महीने में, ५० ग्राम से लेकर एक किलो तक के ओले पड़े हैं। मैंने गांवों में जाकर स्वयं देखा है कि वहां की सारी फसल नष्ट हो गई है। गेहूं को ८० फीसदी तक नुकसान हुआ है। मटर, चना और लाही की फसल को १०० प्रतिशत नुकसान हुआ है। मैंने जिलाधिकारी से भी बात की। परगनाधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि मैं सारी जगहों को देख रहे हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी निराशा हुई जब देखा कि इसमें कानपुर जिले का नुकसान १० प्रतिशत से ८० प्रतिशत ही दिखाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे अग्निहोत्री—]

तो माननीय मन्त्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में दोबारा जांच करायी जाय क्यों क यह सूचना बिल्कुल निराधार और असत्य है। हमारे घाटमपुर क्षेत्र में पचासों गांव ऐसे हैं, जिन गांवों में फसल बरबाद हो गई है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। तो परिस्थितियों को देखते हुय मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर २-३ चीजों की व्यवस्था करवायें।

पहली चीज तो यह कि इस समय वहां मालगुजारी वसूली जा रही है और तमाम जो इस तरीके की वसूलियां हैं उनको स्थगित किया जाय। मालगुजारी में छूट दी जाय। भूमि विकास बैंक, कोअपरेटिव बैंक आदि के जो कर्ज हैं उनको तुरन्त रोका जाय इस तरीके का मेरा सुझाव है। टेस्ट वर्क की व्यवस्था शीघ्रता से कराई जाय जिससे इन क्षेत्रों में जो भुखमरी की स्थिति है तो गरीबों को कुछ राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए मेरे कानपुर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र में व्यवस्था कराने की कृपा करें।

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, मैं तो यह अनुभव कर रहा था कि शायद जिस तरह से माननीय मन्त्री जी लखीमपुर जिले को भूल गए हैं, शायद अध्यक्ष जी को भी लखीमपुर जिले का ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका भ्रम रहा ना। (हंसी)।

श्री राघव राम मिश्र—

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले की जो उपेक्षा हो रही है उसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकारी लोग भी उसी शिथिलता से कार्य कर रहे हैं। जो माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे भी स्पष्ट हो रहा है, उसमें केवल यह लिखा है कि २५४ ग्राम प्रभावित हुए हैं। कौन सी तहसील के हैं, कौन से ब्लाक के हैं उसकी जानकारी नहीं है। यह तो दे दिया गया है कि २५ प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक क्षति हुई है लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है और ५३ लाख की हानि आंकी गई है। यह भी मेरी समझ से गलत आंकड़ा है क्योंकि इसके बारे में किसी अधिकारी ने खोज नहीं की। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जिला गन्ने का जिला है बहुत से क्षेत्रों में गन्ना सूख रहा है खेतों में पड़ा-पड़ा। दो रुपये से तीन रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचा जा रहा है। एक तरफ जहां गन्ने का मारा किसान था वहीं दूसरी तरफ उस पर ओलों की मार पड़ी और वह बरबाद हो गया है।

मान्यवर, हमारे यहां नगहा, खजुआ, मितौली ब्लाक बहुत ही प्रभावित हुए हैं और सारे खेत नष्ट हो गए हैं। वहां के लिए १२ हजार रुपये की अहेतुक सहायता दी गई है। कोई टेस्ट वर्क नहीं चालू किया गया है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से हरदोई जिला उनको याद रहा उसी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लखीमपुर जिला भी उनको अवश्य याद रहना चाहिये । महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम तुरन्त न्याय पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं और जो भी ऋण की वसूलियां हैं इस समय वसूल नहीं की जानी चाहिये और कोई और जोर जबर्दस्ती नहीं की जाय क्योंकि लगान जबरिया वसूल किया जा रहा है । हमारे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची है जब हम जाते हैं तो लोग बताते हैं कि किस तरह से तहसील के लोग उनको परेशान कर रहे हैं । महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि शासन के इस सम्बन्ध में जो आदेश हैं उनका कड़ाई से पालन करवाया जाय और लखीमपुर जिले में टेस्ट वर्क करवाया जाय ।

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, उपल वृष्टि के बारे में जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र की जो जानकारी है और जो परगना अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार जमउरा में ओला वृष्टि से ९० से १०० प्रतिशत तक नुकसान हुआ है । इसी प्रकार उमरिया में ९० से १०० प्रतिशत, जिलौनी में ९० से १०० प्रतिशत, नया गांव में ५० से ६० प्रतिशत, सड़खड़ी में ५० से ६० प्रतिशत, इमलिया में ४० प्रतिशत, अर्जुन खिरिया में ६० प्रतिशत, झरउटा में ३० प्रतिशत, गोना में २० प्रतिशत और जमुनिया में २० प्रतिशत फसल को नुकसान हुआ है । इसके अलावा अन्य गांव भी हैं जहां २० प्रतिशत से ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि ७ फरवरी, ९, १० और १३ मार्च, १९७८ को जो ओला वृष्टि हुई उससे २२३ गांव प्रभावित हुये और लगभग ११ हजार हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ लेकिन शासन ने इसका ४० से ७५ प्रतिशत तक ही दिखाया है । अनुमानित जो हानि है सरकार ने ४ लाख ५२ हजार रुपये बताया है जबकि वास्तव में इससे अधिक हानि हुई है । इसी प्रकार शासन ने वहां एक भी पशु मरा नहीं दिखाया है और न कोई मकान ही क्षतिग्रस्त हुआ बताया है ।

इसके साथ ही मान्यवर, अभी तक जो तकावी की सहायता दी गई है वह २५ हजार रुपये दी गई है । निःशुल्क सहायता शासन ने लगभग १२ हजार रुपये दिया है । इसमें मेरा एक ही निवेदन है कि एक से कम जो बुन्देलखंड पिछड़ा जिला है उसमें एक कहावत याद आता है कि 'एक तो बैसे भी कोढ़ और उसमें भी खाज' तो एक तो पिछड़ा क्षेत्र और दूसरे ओला वृष्टि । जहां पानी पीने तक को नहीं मिलता है वहां इस प्रकार की स्थिति में इतनी कम सहायता यदि आप पर्याप्त समझते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन वहां की जानकारी प्राप्त करने के बाद कुछ टेस्ट वर्क चलाये जायं । साथ ही वहां के किसानों के जो घरों को क्षति पहुंची है और ललितपुर में १४३ पशु मरे हैं उसकी पुनः जानकारी प्राप्त करके मन्त्री जी वहां कुछ टेस्ट वर्क चलायें जिससे लोगों का हित होगा और जनता पार्टी में लोगों की श्रृद्धा बढ़ेगी ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो हमारे जिले और क्षेत्र में जो ओले से नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि दैवी प्रकोप किसान का एक स्थायी विलाप है । यह एक ऐसा दर्द है जो सदियों से किसान प्रायः प्रति वर्ष या एक वर्ष छोड़कर भोगता चला आता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामदत्त जोशी--]

में इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि सूखा, बाढ़ और ओला यह दैवी आपत्तियां अक्सर आती है और फसल को नष्ट करती है परिणामतः सदन में हर साल उसके लिए दया याचना, राहत कार्य के लिए याचना और लगान माफी आदि के सुझाव आते हैं । लेकिन इसका यह स्थायी हल नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से आपकी मोटर गाड़ी का, स्कूटर का और उद्योगों में लगे श्रमिकों का इंश्योरेन्स होता है उसी प्रकार किसान की फसल की इंश्योरेन्स योजना चालू की जानी चाहिय । इसलिए कि जब कभी दैवी आपत्तियों के कारण नुकसान हो तो इंश्योरेन्स कम्पनी से किसानों को मुआवजा मिलने का हक हासिल हो । यह समस्या का स्थायी हल होगा । इससे सरकार का आकस्मिक दायित्व कम होगा और कृषक समाज में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी । ताकि यह हर साल की भीख मांगना और सरकार से याचना करना समाप्त हो जाय । किसान सुरक्षित महसूस करे कि जो फसल बोयी है अगर दैवी प्रकोप होता है तो चूंकि वह इंश्योर्ड है उसको मुआवजा मिलेगा । यह मेरा छोटा सा सुझाव राजस्व मन्त्री जी मन्त्रि परिषद् में विचार के लिए रखें यह मेरा निवेदन है । इससे ८० फीसदी आबादी को राहत मिलेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

मान्यवर, बस्ती जिले की बांसी तहसील के करीब ४०-५० गांव इससे इफेक्टेड हैं । यह सारे गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं । दुःख इस बात का है कि इन्हीं गांवों में पिछली खरीफ में सबसे अधिक सूखे का प्रभाव था और इनमें अधिकतर छोटे किसान बसते हैं । इनकी खरीफ की फसल भी गई और अब रबी की भी फसल गई । हो सकता है कि सरकार से कुछ गेंहू, कपड़ा मिल जाय जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ गेहूं जिलों में बांटने के लिए भेजा गया है । लेकिन इन लोगों ने सहकारिता विभाग से कर्जा लेकर खाद अपने खेत में डाला था तो क्या वह कर्जा सहकारिता विभाग माफ करेगा और अगर माफ न करेगा तो जो सूद उस रुपये पर बढ़ेगा उसको रोकेगा कि सूद न बढ़ाया जाय । ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से आना चाहिये नहीं तो जैसा पिछले साल मैंने कृषि के बजट पर कहा था कि जब तक उनका फसल का इंश्योरेन्स नहीं कराया जायगा तब तक यह ऋण की योजना किसान के लिए जहां फायदे की है वहीं यह उनको समाप्त भी कर देगी ।

सरकार ने राजस्व की वसूली तो मुल्तवी कर दी है लेकिन सहकारिता विभाग की वसूली जोरों पर चल रही है । मैं सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे गांव जो सूखे से प्रभावित थे और ओले से प्रभावित हैं वहां सहकारिता विभाग की वसूली भी स्थगित करें । वहां के बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये और किताबों की सहायता मिलनी चाहिये । मगहर में संत कबीर स्पिनिंग मिल लग रही है । उसमें काम करने वाले लोग बस्ती के बाहर के हैं । जब बाहर के लोग रखे जा रहे हैं तो बस्ती में उस स्पिनिंग मिल के लगने का क्या फायदा ? मेरा यह निवेदन है कि उस मिल में जिन श्रमिकों की आवश्यकता है वह उसी जिले के रखे जायं ताकि उनकी रोजी रोटी का कुछ तो हिसाब हो सके । साथ ही मैं एक और अनुरोध करूंगा, श्रीमन् । हमारे यहां सड़क बनायी जा रही है । सुनने में आया है कि ३१ मार्च के बाद पहली अप्रैल से उनको बन्द कर दिया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि जिन गांवों को ओले से नुकसान हुआ है, यदि वहां टेस्ट वर्क की कोई योजना रही हो तो उनको न रोका

जाय और यदि नहीं है तो भी टेस्ट वर्क पर प्रोग्राम अवश्य चलाया जाय ताकि वहां के लोगों को अन्न मिल सके, कपड़ा मिल सके ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मैं तो समझता था कि मुझे नहीं मौका मिलेगा, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आपका तो नाम था ।

*श्री लक्खी सिंह—

मेरा तो पहला नाम था, मान्यवर, ओले वृष्टि के सम्बन्ध में । श्रीमन्, ओले के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है, वह अपनी-अपनी जगह के लिए किया है । लेकिन श्रीमन्, मथुरा जिला जो कि आपका पड़ोसी है, मान्यवर तो बड़ा भूखा जिला है । ओले की मार से पहले बाढ़ की मार इस पर पड़ी और बाढ़ की मार का प्रकोप हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार करती है, श्रीमन् । सिंचाई मन्त्री जी और हमारी सरकार काफी उन सरकारों से कहती है, लेकिन वे अपने पानी का इंतजाम नहीं करते । तो उस बाढ़ से सांस नहीं आयी थी कि इतने में ही यह वज्रघात हो गया । माननीय राजस्व मन्त्री जी तो खुद किसान हैं । इसमें दो राय नहीं है । लेकिन इनके जो सिपहसालार हैं, जिलाधिकारी वगैरह, उनसे मेरी मुख्य शिकायत है । हमारे जिले के जिलाधीश तो पूरे शहजादे हैं, खुद कभी स्थिति को देखने नहीं जाते । उन्होंने पहले कभी गांव का कोई दौरा नहीं किया । मैं गया था । गांवों की हालत, श्रीमन्, देखा तो त्राहि-त्राहि मची हुयी है । पहली बाढ़ की मार और फिर ओले ने यह हालत कर दी कि न तो खाने को अन्न है और न मवेशियों को चारा है । श्रीमन्, कैसे जियेंगे ? मेरे घर पर ५००/१००० लोगों ने डेरा डाल दिया है । मेरा घर कचेहरी हो गया है । मुझे लेकर जिलाधीश के यहां जाते हैं । श्रीमन्, बड़ी तबाही है । मन्त्री जी ने जो धोखा दिया है और यह जो भागवत है, इसमें मथुरा जिले के लिए सहायता रूपी एक पैसा नहीं है । आखिर क्या मतलब है ? मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा करके अधिकारियों को खींचें और मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को बरखास्त कर देना चाहिये जो गलत खबर देते हैं आप जैसे मन्त्री को ।

मान्यवर, वहां की स्थिति को किसी ने नहीं देखा न हाकिम परगना ने देखा और न तहसीलदार ने देखा है । घर पर बैठकर रिपोर्ट बना कर दे दी । मेरी बात अगर झूठ निकले तो मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया विधायकों की कमेटी बनायें और मथुरा का दौरा करें । मान्यवर, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कमजोर हो गया हूं । लेकिन, श्रीमन्, मुझे भय है कि कहीं पार्टी से मुझे निकाल न दिया जाय क्योंकि निकालने का सिलसिला चल गया है—फलां विधायक को निकाल दिया गया—फलां विधायक को निकाल दिया गया । तो ऐसा डर है, लेकिन सच बात अवश्य कहना चाहूंगा । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनावें और पूरी जांच कराकर मथुरा जिले को सहायता नहीं देंगे तो मैं, मान्यवर, मन्त्री जी के दरवाजे पर आमरण अनशन कर दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्खी सिंह--]

श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो, आप और समय दें तो एक ऐसी बात आपको बता ऊं। पुराने आदमी जानते हैं नये लड़के नहीं जानते। ओला ऐसा होता है जो सीधे निकलता है और मारता हुआ चला जाता है। श्रीमन्, इसमें मथुरा जिला लिख दिया है। मुरादाबाद के तीन चार तहसीलें लिख दी हैं। मथुरा की तहसीलें क्यों नहीं लिखी। मथुरा तहसील और छाता तहसील में जबरदस्त मार पड़ी है। सादाबाद तहसील में भी मार पड़ी है लेकिन मथुरा और छाता तहसील के गांवों को तबाह कर दिया है। श्रीमन्, जिलाधीश को खींचा जाय, परगनाधिकारी को खींचा जाय, तहसीलदार को खींचा, जाय गलत रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी रपट, सही रपट मंगाई जाय। मन्त्री जी को सही रिपोर्ट दी जाय....।

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए ....।

श्री लक्खी सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं आप को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय....।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों को मौका मिलेगा। जिलेवार लिया जा रहा है।

*श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, अभी यह जो मन्त्री जी ने रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट को मैंने गौर से देखा है। मुझे यह आशा थी कि मन्त्री जी जिन जिलों में ओला पड़ा है उन जिलों को अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करेंगे लेकिन मुझे खेद है कि मन्त्री जी ने ऐसा नहीं किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मन्त्री जी देवरिया की खास उपेक्षा करेंगे। आप देखेंगे एक सूची है। उस सूची में देवरिया जिले को ६ लाख रुपया दिया गया है और उस के ऊपर बस्ती का नम्बर है।

आप को ख्याल होगा इसी सदन में देवरिया में सूखे पर चर्चा हुई थी। उस के बाद नवम्बर में हमारे जिले देवरिया में ऐसा भयंकर ओला पड़ा कि जिस की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ओले का घाव भरा भी नहीं था कि इस वर्ष २० मार्च को देवरिया जनपद के सलेमपुर, रतनपुर आदि गांवों में ढाई सौ ग्राम से चार-पांच सौ ग्राम तक के ओले पड़े जिससे आम के पेड़, जामुन के पेड़, महुआ के पेड़, पेड़ों के पत्तियां, टहनियां टूट कर जमीन पर गिर गयीं। लोगों के छप्पर उड़ गये, खपरैल चूर-चूर हो गये। मन्त्री जी को अधिकारियों ने इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी, देवरिया जिले की। श्रीमन्, यह सरकारी प्रकोप नहीं है यह दैवी प्रकोप है इस दैवी प्रकोप से निपटने के लिए लगातार पिछली सरकार ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास किया, कहीं बाढ़ आ गयी, कहीं सूखा पड़ा, तो राहत देने के लिए सरकार की ओर से गेहूं, कुछ चावल, चना, मिट्टी का तेल दिया गया। जले में मिट्टी छिड़कने जैसी कहावत चरितार्थ हो गई थी। हमारी सरकार ने योजना बनाई पिछली बार कि जल निकासी का काम किया जायगा जहां फसल बह जाती है पानी से, सड़कों को बनाया जायगा और गांवों से जो मजदूर शहर की ओर जाते हैं उन को उन कामों पर लगा या जायगा और उन को पेट भरने के लिए दाना मिलेगा और लोगों को भीख मांगने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। देवरिया जिले में ओला पीड़ित क्षेत्र के एक बन्धे पर जब काम चला तो जो काम १५ दिन का था वह तीन दिन में हो गया क्योंकि मजदूर बहुत अधिक उपलब्ध थे।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि पिछली सरकार ने विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। सलेमपुर तहसील के हजारों लड़के ऐसे होंगे जिनके पके धान ओले से दब गये। उनके पास रोजी व मजदूरी की व्यवस्था नहीं है। उनकी पढ़ाई छूट गयी। कापी और किताब भी उनके पास नहीं है लेकिन सरकार ने उनकी फीस तक माफ नहीं की। अधिकारियों ने रिपोर्ट भी ठीक तरह से तैयार नहीं की है, उसे ठीक कराया जाय। मेरा एक निवेदन यह है कि चाहे बाढ़ आये, सूखा पड़े अथवा ओला, एक इस तरह की योजना तैयार की जाय कि इन परिस्थियों में किसान की मदद कैसे की जाय। देवरिया जिले को ऐसी तैयारशुदा योजना में सम्मिलित किया जायगा।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान जौनपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। पता नहीं क्या बात है जिस समय सूखा हमारे यहां पड़ा था तब भी वहां से यह रिपोर्ट आई थी कि जौनपुर में सूखा नहीं है और आज भी यही रिपोर्ट आई है कि वहां ओला नहीं पड़ा। मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर ४० से ८० प्रतिशत तक ओले से नुकसान हुआ है। अरहर, तम्बाकू तथा गेहूं की फसल नष्ट हो गयी। लोग परेशान हैं क्योंकि न खेती का ही सहारा है और न कोई उद्योग धन्धा ही है। मेरा अनुरोध है कि जो इस तरह की गलत रिपोर्ट देते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये और उनसे जवाब तलाब किया जाना चाहिये कि वे गलत रिपोर्ट क्यों देते हैं। मेरा क्षेत्र शहर से भी सम्बन्धित है, वहां पर झोपड़ी में रहने वालों की झोपड़ी उड़ गयी और इधर चेचक का प्रकोप हुआ जिसकी कोई दवा न नगरपालिका से मिली न जिला अस्पताल से मिली और नजाने किस तरह से उन्होंने अपने मरीजों को ले कर रात आसमान के नीचे काटी। सरकार का कर्तव्य होता है अगर जनता इस तरह की कठिनाई में हो, जन जीवन त्रस्त हो तो उसमें वह राहत पहुंचाये। जनता सरकार जब ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये। मेरा विश्वास दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है कि मेरे जनपद में कांग्रेस का चूंकि बहुमत है इसलिये वहां के अधिकारी गलत रिपोर्ट देते ह, लिहाजा मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। मुझे आशा है कि इस पर अवश्य ही माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे और मेरे जनपद में जहां हाहाकार मचा हुआ है, जहां खेती के सिवाय अन्य कोई सहारा नहीं है, फिर से रिपोर्ट मंगाकर मेरे जिले को भी उस सूची में जोड़ा जाय जिनके बारे में माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया है।

*डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अलीगढ़ जिले के विषय में जहां कि ६ तहसीलें हैं उनमें से ३ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें ओला पड़ने की वजह से किसानों में काफी परेशानी है। मान्यवर, किसान का जीवन खेती होता है और जब खेत ही बरबाद हो जाता है तो किसान के सामने जो परेशानी आती है उसे किसान ही समझता है। आपने अलीगढ़ जनपद के लिये जो बाढ़े तीन लाख रुपये रखे हैं उसमें से अभी तक किसी को दो पैसा तक नहीं मिला। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में जहां किसानों की ओला-वृष्टि से क्षति हुई है, लगान और आवपाशी के विषय में छूट दी जाय तथा सरकार उनको अधिक से अधिक राहत दे जिससे किसान अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में एक १२ किलोमीटर सड़क बनने वाली थी जो अभी तक एक किलोमीटर भी नहीं बनी है। अधिकारियों से पूछा जाय कि वह अभी तक क्यों नहीं बनी। यदि वह सड़क बन जाय तो जिन किसानों का नुकसान हुआ है और जिन मजदूरों को उसकी वजह से हानि हुई है उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अलीगढ़ जिले की उन तीन तहसीलों में जहां ओला-वृष्टि हुई है टेस्ट वर्क करायें और उन्हें राहत दिलायें।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, ओला वृष्टि के सम्बन्ध में यह चर्चा बहुत समय से हो रही है। माननीय मन्त्री जी किसान हैं और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी दैवी आपदायें किसानों के ऊपर आती हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा एक ही काम सरकार द्वारा होता है कि उनकी लगान में मुल्तवी कर दी गई, कर्जों में मुल्तवी कर दी गई लेकिन हमारी मन्त्रि-परिषद् ने कभी ऐसा नहीं सोचा और कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया जिससे कि जब कोई दैवी आपदा किसानों के ऊपर पड़े तो कम से कम तत्काल यह घोषणा होनी चाहिए कि वहां का लगान, ऋणों की वसूली तथा ब्याज माफ कर दिया गया। माननीय मन्त्री जी सदस्यों की चर्चा सुन रहे हैं कि किसानों के नुकसान का कम आंकलन किया जाता है। यदि किसान का २ हजार रुपये का नुकसान होगा तो लेखपाल, पटवारी और तहसीलदार दो हजार के स्थान पर १०० ही आंकलित करते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आंकलन का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसानों को क्षति का सही पता लग सके और वह सही राहत पा सकें। अभी सभी माननीय सदस्यों ने किसानों के बारे में चर्चा की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों में २३ सैकड़ा ऐसे लोग हैं जो खेती के धन्धे को करते हैं, किसानों के साथ मजदूरी करते हैं। जब किसान की फसल ही नष्ट हो गयी, मजदूर के पास खेती काटने के लिये कुछ नहीं रह गया, सब बरबाद हो गया तो उन २३ सैकड़ा मजदूर के पास खाने के लिये कुछ नहीं रह जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में देहातों में क्या व्यवस्था की गयी है? मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजदूर के लिये विशेष ध्यान दें।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण सुझाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब इस तरह से आपत्ति आये तो जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं फसल का बीमा होना चाहिये। कुछ महीने पहले जब हम बैठे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे यह सुझाव रखा था कि फसल का बीमा सरकार को तत्काल शुरू करना चाहिये। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों के हित में कार्य करने में हमारी सरकार को तकलीफ हो रही है जो कि इस कार्य के लिये इतनी देर कर रही है।

*डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ओला बारी पर जो चर्चा हो रही है उस पर बोलने का अवसर दिया। यह रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि जिन लोगों ने यह रिपोर्ट बनवाई है और भेजी है उसमें दो बातें रख दी है एक तो रिपोर्ट को रिपोर्ट दूसरा सपोर्ट का सपोर्ट। उसमें सरकार को सपोर्ट भी कर दिया है इतनी कम रिपोर्ट दी गई है कि हमारे यहां इलाहाबाद में मेजा तहसील में तीन बार ओले पड़े लेकिन एक ही बार दिखाया गया है। १२ मार्च, १९७८ को एकदम मिर्जापुर से लेकर चला हमीरपुर बांदा, इलाहाबाद तक चला गया और उधर मथुरा तक गया। तो इस तरह से ओले पड़े हैं जिसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है और खिसारी रह गई है। सरसों खेत में चली गई, मटर भी खतम हो गई, चना जो पानी पड़ने से खूब फूल गया था वह भी सड़ गया। कुछ नहीं रहा। अपने क्षेत्र में किसानों के लिए भूसा का सवाल हो गया है। हम तो किसी तरह से कर्जा लेकर अपना जीवन बिता लेंगे लेकिन जानवर को क्या खिलायेंगे? इसका सरकार की तरफ से बंदोबस्त होना चाहिये।

हम लोगों की लगान माफ होनी चाहिये। सरकार हमारे ऊपर विश्वास नही करती है हम जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन कर आते हैं उन पर विश्वास नहीं करती। जब हम उधर बैठते थे तो कहते थे कि सरकार हम पर विश्वास नहीं करती है। आज जब स्वयं यहां आ गये हैं तो हम पर विश्वास नहीं करते हैं जबकि हम उनके साथ हैं। अधिकारी लोगों की बात मानते हैं। अधिकारी लोग हमारी बात नहीं मानते हैं वह अलग सत्ता रखे हैं। अभी बहस हुई हमारे रेवती रमण जो गोरखपुर में गये उनकी बात नही मानी गई। तो एक अफसरशाही चल रही है। मैंने निवेदन किया कि जो रिपोर्ट भेजी है उसमें सरकार को सपोर्ट भी कर दिया गया है, इतना कम दिखाया है कि जिससे किसानों का भला नहीं हो सकेगा। इस प्रकार मैं आपके द्वारा इस पर एक कविता सुनाना चाहता हूं।

बात की बात खुराफात की खुरफात, बकरी को चबायेंगे लोबेरी के पात। उससे निकले तीन कांटे, दो टूटे फूटे एक में नोक ही न था, जिसमें नोक ही न था उससे खोदा तीन तालाब, दो रूखे सूखे एक में पानिये ही न था, जिसमें पानी न था उसमें बसाया तीन कोहार, दो लंगड़े लूले एक के हाथ ही न था, जिसके हाथ ही न था उसने बनाई तीन हांडी, दो टूटी फूटी एक में पेंदा ही न था, जिसमें पेंदा ही न था उसमें पकाये तीन चावल, दो कच्चे कुचचे एक पका ही न था, जो पका ही न था उसको खाये तीन आदमी, दो मरे मुरे एक के जान ही न था, जिसके जान ही न था उसने लूहादी खूनी हाथी, मैं भागते भागते पुदीने के पेड़ पर चढ़ गया, हाथी भी पीछा करती हुई पुदीने के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मेरे डर के मारे पेशाब होने लगा हाथी पेशाब को पकड़ कर चढ़ने लगी, मैं कूद कर कुछ दूर पर एक करवा रखा हुआ था उसके मोकड़ की तरफ से घुसा और टोंटी की तरफ से निकल आया, हाथी भी

*वक्ता ने भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर जवाहर लाल---]

करवा के मोकड़ की तरफ से घुसी और टोंटी की तरफ से निकल आई, सारा घड़ निकल आया लेकिन दुम फंसा रह गया, किसान का सारा गल्ला नष्ट हो गया लेकिन अब लगान देना रह गया ।

श्री अध्यक्ष---

यह कविता समाप्त कीजिये । आप बैठिए ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया । मेरे जिले में सबसे ज्यादा ओला पड़ा है । यह जो आंकड़े आपके सामने हैं, सबसे ज्यादा नुकसान बस्ती जिले में हुआ है, दो हजार से ज्यादा गांवों का नुकसान हुआ है । मेरी तहसील जिसमें तीन विधान सभा क्षेत्र हैं । उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । श्री बाबूराम वर्मा श्री विश्वनाथ पान्डेय के क्षेत्रों में और मेरे क्षेत्र में कम से कम ६० गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । इससे पहले हमारे यहां सारी फसलें सूखे से प्रभावित हो चुकी थीं । मुझे मालूम है कि हरीश जी की मेहनत और मेहरबानी से गेहूं बांटने के लिए पहुंचा दिया गया है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय हरीश जी भी बैठे हुये हैं, जो सड़कें शुरू करके बन्द कर दी गयी थीं, फिर शुरू कर दी जायं । जो लोग भूखों मर रहे हैं, उससे नजात मिलेगी । रेवेन्यू वसूली बन्द है लेकिन सरकारी समितियों के ऋणों की पूरी तरह से वसूली हो रही है । बैल खोले जा रहे हैं, लोगों को बांधा जा रहा है, हाहाकार मचा हुआ है । लोग बहुत त्रस्त हैं । मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री से कहूंगा कि वह वसूली को रुकवाएं । अन्त में एक बात कह कर खत्म करूंगा कि लड़कों की फीस की माफी का भी प्रबन्ध करवा दें । जो सड़कें चल रही हों, उनको चालू रखा जाय ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस ओला वृष्टि के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आगरा जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, आगरा जनपद में तहसील किरावली, फीरोजाबाद, एतमादपुर, और आगरा चार तहसीलों में ओला वृष्टि से अति हानि हुई है । वहां पर जो आंकड़े दिखाये गये हैं १० से ६० प्रतिशत हानि हुई है ।

(सदन में बिजली फेल होने पर)

श्री देव बहादुर सिंह---

यह व्यवस्था है ।

श्री मन्जूर अहमद---

पूरे उत्तर प्रदेश में अंधेरा है, जब से यह शासन आया है जनता पार्टी का देश को चौपट कर दिया है, सारे प्रदेश में अंधेरा है ।

श्री रियासत हुसैन---

दो घंटे के बजाय ढ़ाई घंटे हो गये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

बिना माइक के, बिना रोशनी के बोलने दीजिये ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था, मैं जिस तहसील से आता हूं, वैसी आपत्तियां इस तरह की आती हैं, जिस तरह की मथुरा जिले में आती हैं । (इस में बिजली आ गई) आगरा जनपद की किरावली तहसील के ६०—७० गांव ओले से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । पिचका मटर, आलू, लाहा और अरहर आदि फसलों को शतप्रतिशत नुकसान हुआ है । मान्यवर, डेढ़ करोड़ की इस तहसील में खरीफ की फसल बाढ़ से नष्ट हुई थी और रबी की फसल ओलों से नष्ट हो गयी । हमारे जिले में किसानों की कैश क्राप आलू और लाहा है। गरीब किसान के लिए यह फसलें बहुत मदद की होती हैं । इनके नष्ट होने से किसानों को बड़ी भारी क्षति हुई है । मैं माननीय मन्त्री जी को आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि ४३ जिलों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए । एक तो वे जिले जो बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गये और दूसरे वे जिले जो ओले से प्रभावित हुए हैं । माननीय मन्त्री जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी तहसील किरावली उस क्षेत्र में आता है जहां पर बाढ़, सूखा और ओला सभी का प्रकोप हुआ और उससे किसानों को नुकसान हुआ । लगान की वसूली स्थगित करने से किसानों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलेगी, बल्कि लगान माफ किया जाना चाहिए और जो उनके ऊपर ऋण हैं उनको भी माफ कर दिया जाना चाहिए ।

एक सुझाव मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह देना चाहता हूं कि जब गल्ले की कमी हो जाती है तो मनुष्य भूखों मरता है और उसका प्रबन्ध किया जाता है, लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जब कोई दैवी आपत्ति आती है तो चारा भी नष्ट हो जाता है जिससे जानवर भखों मरने लगते हैं । पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और न ही इस ओर सरकार का कभी ध्यान ही गया है । अतः मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गल्ला इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जरूरतमन्द लोगों को भेजा जाता है उसी प्रकार से तहसील हेडक्वार्टर्स पर चारे का भी कलेक्शन किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे जानवरों को उपलब्ध कराया जा सके और जहां पर चारे की कमी हो जाये वहां पर चारा पहुंचा दिया जाये । मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से मांग करता हूं कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि दैवीय आपदाओं के समय उनके लिये अनाज और उनके पशुओं के लिए चारा हर सूरत में मिल सके ।

श्री देव बहादुर सिंह—

खाने की व्यवस्था की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

उनको समाप्त करने दीजिए । बदन सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री बदन सिंह—

कर रहा हूं । मैं माननीय मन्त्री जी के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनाज की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार से चारे की भी व्यवस्थी की जाये । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

देव बहादुर जी ने प्रश्न रखा है । यह आपका काम है । कल ५ बजे के बाद दिये जो को काम कराना है । कल वह आपको मुकम्मिल चाय पिलायेंगे ।

* श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । फतेहपुर जिला दो बड़े शहरों के बीच में स्थित है जिससे वह किसी मन्त्री को निगाह में नहीं आता है । जिस प्रकार से बांदा, हमीरपुर और इलाहाबाद में लतार जो पत्थरों की गयी उसमें हमारा जिला फतेहपुर भी आ गया । वह हमारे माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब की निगाह में नहीं आयी । जो विभिन्न जिलों का विवरण आया है उसमें हमारे जिले में दिखाया गया है कि ११,४६८ हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है २५ फीसदी के नुकसान के आंकड़े आये हैं ।

मान्यवर, ओला गिरने के मौके पर माननीय अब्दुल रऊफ लारी का वहां पर कार्यक्रम लगा हुआ था । वे वहां पर गये और किसानों ने उनको घेरा । और ए० डी० एम० (पी) की उपस्थिति में जहां-जहां पर पत्थरों की वजह से नुकसान पहुंचा था, उसका पूरा विवरण उन्हें दिया गया न जो फीगर्स यहां पर आयी हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि जानबूझ कर इतने कम एरिय को प्रभावित तथा इतना कम नुकसान दिखाया गय है कि अगर उसका आधा हिस्सा भी आ जाता तो हमको सकून मिल जाता । मेरी माननीय माल मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उस क्षेत्र की दुबारा जांच करवायें क्योंकि फतेहपुर का क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा हुआ है । यही नहीं वर्ष १९७४ में वहां पर काफी चौड़ी नहर निकली है । उनसे वहां पर खांदी का रुपया जबरिया वसूल किया जा रहा है जिससे १५-१६ गांवों के किसान प्रभावित हैं, उनका डेप्यूटेशन भी यहां पर आया लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है । एक तो उनकी ओला गिरने से फसल, खेती बरबाद हो गयी दूसरे उनसे रिकवरी भी रेवेन्यु विभाग के जरिए से वसूल कराई जा रही है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है कि गलती किसानों की है या सिंचाई विभाग की तब तक के लिए उन किसानों से जबरिया वसूल न करया जाय । उनको न मजदूरी मिल रही है, वे वैसे ही परेशान हैं । मेरी माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि जब तक जांच की रिपोर्ट न आ जाय तब तक उनके घर, उनके जानवर, कुर्क न कराये जाय ।

* श्री डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय राजस्व मन्त्री को १-२ सुझाव देना चाहता हूं । यों तो राहत कार्य होते रहते हैं । विवरण में दिया हुआ है कि कानपुर जिले की ५-६ तहसीलों के लिए जिसमें ८४८ गांव प्रभावित हुए हैं केवल ५० हजार रुपये दिए गये हैं । अगर हिसाब लगाया जाय तो १ व्यक्ति के हिसाब में १० नये पैसे आते हैं और उसे एक दिय सलाई ही मिल सकती है । कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई स्थायित्व हो और अगर इस सम्बन्ध में कुछ कर सकें तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवश्य करें ३० साल तक जो होता रहा है उनकी परम्पराओं को भूल जाय। आज आप कुछ करके दिखायें ? आप कोई मन ओरियेन्टेड पौलोसी बनायें, आप पावर्टी का कोई कानून बनायें, गरीबी का कोई कानून बनायें। आज ७६ प्रतिशत जनता गरीबी के रेखा के नीचे है और जहां पर ओला पड़ गया है वहां की तो हालत और भी खराब है।

मैं तमाम क्षेत्रों की ५३ जिलों की बात करता हूं जहां पर ओला पड़ा है, सूखे या अकाल की स्थिति आती है तो इस प्रकार का एक कानून बनायें ताकि हर वर्ष इस प्रकार से विधान सभा का समय नष्ट न करना पड़े। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे प्रदेश में भूख से तड़प कर किसी को न मरने दिया जाय। भूख से कोई भी नहीं मरने पायेगा, भूख से तड़पते हुए सिसकते हुए उत्तर प्रदेश में और खास कर ओला ग्रस्त के बहुत सारे क्षेत्र हैं तो आप कोई न कोई ऐसा संकल्प लें और भूख से मरने वालों को प्रभावित करें। चूंकि आपके नियमों में भूख से मरने वालों की कोई परिभाषा नहीं है, पावर्टी बड़े पैमाने पर है तो कोई इन्टेग्रेटेड सोशल स्कीम बना सकें तो अच्छा हो और अगर न बना सकें तो कम से कम ओला क्षेत्र में किसी एक विशेष प्रकार के अन्न बैंक की स्थापना कर दी जाय। एक लाख १२ हजार गांव में करीब-करीब ८० हजार गांव या ७० हजार गांव ले लें ओला से जो प्रभावित हुए हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने पिछले सत्र में बजट पेश किया, विकास कार्यों के लिए पैसा रखा, पैसा आपको वापस करना पड़ा। मैं नहीं जानता कि आपके जिलाधिकारी, तहसीलदार, कर्मचारी उन तमाम क्षेत्र में कहां राहत का काम करेंगे जब कि आपने उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सके। मान्यवर, इन सुझावों के साथ में आभार हूं कि अन्ततोगत्वा आपने मुझे थोड़ा समय दिया।

श्री सन्त बक्स रावत (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके आधार पर लखनऊ जनपद में ७१० गांवों में ओला वृष्टि से अत्यधिक हानि हुई है। मेरे क्षेत्र तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गोसाईगंज में ६८ गांवों में ओला वृष्टि से व्यापक हानि हुई है। इस क्षेत्र में पोस्त की खेती बहुत अधिक होती है, मेरा ख्याल है कि इस क्षेत्र में केवल पोस्ते से ही एक करोड़ की हानि हुई है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक करोड़ पांच लाख पचास हजार की हानि दर्शायी गई है। इस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि यह रिपोर्ट भ्रामक है। इससे कहीं अधिक हानि हुई है। मेरे क्षेत्र में ६८ गांवों में ओला वृष्टि से व्यापक हानि हुई है, जिसमें से चांद सरोय, का कासिमपुर, विरहा, कारियानो, कबीरपुर, नवाब अली का पुरवा आदि गांवों में शतप्रतिशत हानि हुई है। इन गांवों के किसानों के सामने भयंकर खाद्य स्थिति पैदा हो गयी है। अब तक सरकार की ओर से इस क्षेत्र के किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गयी है। यहां के लोगों का मुख्य धंधा खेती है। यहां के लोग अधिकतर हरिजन हैं, निर्बल वर्ग के हैं। इस क्षेत्र के लोगों को टेस्ट वर्क देकर खाद्य समस्या का निदान करने की कृपा करें। इस क्षेत्र में वसूली बड़ी तेजी से चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि शतप्रतिशत हानि वाले इलाकों में वसूली माफ की जाय, लगान माफ किया जाय, सिंचाई माफ की जाय, अन्य प्रकार की वसूलियां जो हैं, वे स्थगित कर दी जाय। इन शब्दों के साथ में पुनः शतप्रतिशत हानि वाले इलाकों में टेस्ट वर्क कराने का अनुरोध करूंगा।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया। महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है, उसमें मैं देख रहा हूं कि ओला के बाद जो राहत कार्य के लिए यहां से सहायता होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। हमारे बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील के अन्दर लगभग अधिकांश गांव सूखे से ग्रसित थे, जिसको कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं देखा था। उस क्षेत्र के अधिकांश गांव सूखे और ओले से पीड़ित हैं। वहां पर जो राहत कार्य चल रहा था वह कार्य २५ मार्च को बन्द कर दिया गया। वहां पर मजदूर जो काम करते थे, वह बेकार है। वहां न रबी की फसल हुई, न खरीफ का फसल हुई थी, वहां पर इस समय कोई काम नहीं है। मान्यवर, बस्ती जिले की खासकर डुमरियागंज तहसील जो सब प्रकार से पीड़ित है, वहां जो टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया है, उसे तुरन्त चालू करवाने के लिए व्यवस्था करें। दूसरी बात, इस इलाके में अनाज की भी बड़ी कमी है, क्योंकि बाढ़ के और सूखे के कारण खरीफ की फसल भी नहीं हुई थी। वहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायें। मान्यवर, जिस समय खरीफ की बुवाई होगी उस समय तक जो खरीफ का बीज किसानों से पास है रबी की पैदा न होने के कारण उसको सब लोग खाने के इस्तेमाल में लायेंगे इसलिये खरीफ के बीज का भी प्रबन्ध वहां समय से होना चाहिये।

इसके साथ-साथ कोआपरेटिव की वसूली बड़ी तेजी से पूरे क्षेत्र में जीप लेकर बैंक के लोग बेदर्दी से कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए तत्तकाल यहां से व्यवस्था होनी चाहिये। मैं समझता हूं ओला पड़ने के बाद पूरे इलाके में रहत कार्य आरम्भ नहीं हुए तो मौत की भी खबरें आनी प्रारम्भ हो जायेगी। इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान डुमरियागंज के उस इलाके की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बढ़ी रापती और रापती के दोआबे में है। वहां बाढ़ भी रही, सूखा भी रहा और अब ओला का प्रभाव है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करते हुए कि बस्ती जिले के डुमरिया गंज क्षेत्र की ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत ही अनुगृहीत हैं कि अपने प्रदेश की इस व्यापक समस्या के सम्बन्ध में सदस्यों को बहुत बिस्तार के साथ आपने सुझाव पेश करने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्व मन्त्री जी का जो उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया। वह भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा है और उसमें बहुत ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। अगर उन गांवों के नाम भी दे दिये गये होते तो थोड़ा सा हम सदस्यों को उसमें सुविधा हो जाती। हम बैठ करके उसके जरिये से जान लेते कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों का नुकसान हुआ है वह सही आंका गया है अथवा नहीं।

एक निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से कि जब कभी दैवी आपदाएं आती हैं, उनको आंकने का काम लेखपालों पर छोड़ा जाता है। उनकी आदत आज से नहीं, हमारा ऐसा ख्याल है हमेशा से कुछ रीति-नीति ऐसी बनी रही है कि बड़े नुकसान को वह छोटे नुकसान में दिखाने में कुछ अपना बड़ा गौरव मानते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

सब ट्रेनिंग आपने दी। श्री राम रतन सिंह हो सकता है, आज हम यहां बैठे हैं, कल वहां बैठें। या आप उधर से इधर बैठें, लेकिन लेखपाल की आदत बदली नहीं है, कुछ बढ़ी ही है, खराब ही हुई है।

श्री अध्यक्ष—

वह पटवारी से लेखपाल बने। अब और क्या चाहते हैं ?

श्री राम रतन सिंह—

बहर हाल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजस्व मंत्री जी को किसानी के सम्बन्ध में अच्छा अनुभव है। किसानों की समस्याओं का उनको ज्ञान है। प्रत्येक वर्ष दैवी आपदाओं की चर्चा किया करते हैं, अपना समय लगाते हैं। इसका जब तक कोई समुचित समाधान नहीं निकलेगा तबतक यह समस्या बनी रहेगी। वैसे फसलों के बीमे का सुझाव आया, सुझाव अच्छा है और बहुत दिनों से इस पर विचार चल रहा है। और अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय, फसलों का बीमा हो सके तो जो किसान या खेतिहर गरीब बटाई जोतता है, जिसके पास रोटी-रोजी का कोई धन्धा नहीं होता और दैवी आपदा आने पर बिल्कुल बरबाद हो जाता है, अगले साल के लिए ऐसे लोगों के पास दाना खाने के लिए नहीं रह जाता, तबाही आ जाती है तो उसका कुछ एक समुचित प्रबन्ध हो सके।

हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ५०-५० गांव आते हैं। हमको मालूम नहीं है उनके सिलसिले में इस रिपोर्ट के देखने से तो ऐसा लगता है कि सौ प्रतिशत तक का नुकसान दिखाया गया है। जहां-जहां जो नुकसान दिखाया गया है वह सही है या नहीं यह आप जानिये, लेकिन यह सही है कि आज वसूली के सिलसिले में गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। बैंक वाले अपनी वसूली के लिए कुर्की तक निकलवा रहे हैं। उनके ऊपर इस दैवी विपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के ऊपर जितनी भी देय रकमें हैं वे स्थगित की जानी चाहिये।

हमारे क्षेत्र में गन्ने की भी खेती होती है। इस ओलावृष्टि से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ११४८ नम्बर का गन्ना ऊपर से टूट गया है। उनको परचियां भी नहीं मिल पा रही हैं। उनका गन्ना सप्लाई करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे यहां से ८ शासक दल के विधायक चुन कर आये हैं, मैं अकेला विरोधी पक्ष का आया हूं। जब मेरे क्षेत्र में ओले गिरे तो एक ट्राली भर कर ओला मैंने जिलाधिकारी के सामने भर कर भिजवाया और काश्तकार उनसे मिले। दूसरे माननीय सदस्यों के क्षेत्रों का तो अधिकारियों ने दौरा किया, मेरे क्षेत्र में नहीं गये। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, किन्तु यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे जिले को सहायता दी जाये तो मेरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाये। आप ग्रेचुटस रिलीफ जो देते हैं वह २० रुपये एक किसान को देते हैं और किसान को हेड क्वार्टर पर बुलवाते हैं। वहां तक आने में २० रुपये से अधिक उसके खर्च हो जाते हैं और वह रोता हुआ वापस चला जाता है। मेरा सुझाव यह है कि आप यह रुपया गांवों में भेज दें और किसान को वहीं गांव में दिलवा दिया करें।

वसूली के सिलसिले में भी उदारता बरती जाय । हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाये ।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विवरण दिया है ओला क्षति के सम्बन्ध में उसके ऊपर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो यह पाता हूं कि फर्रुखाबाद और मिर्जापुर में सर्वाधिक क्षति ओले से हुई है । फर्रुखाबाद की जायद फसल गंगा की बाढ़ की चपेट में आ गयी । यह प्रश्न यहां पर भी मैंने उठाया था । फर्रुखाबाद अपने प्रदेश का ही नहीं, अपितु देश में वह जिला है जहां तम्बाकू की फसल सबसे ज्यादा बोयी जाती है । वह इसके उत्पादन के लिए विख्यात है । ओला गिरने से उसकी पत्तियां टूट कर गिर गयीं, जिसके कारण सबसे अधिक नुकसान उस फसल को हुआ । पिछले सत्र में बाढ़ के सम्बन्ध में फर्रुखाबाद जिले के बारे में जो बयान दिया गया था उसमें जो सहायता दी गयी थी वह ०·००२ प्रतिशत थी । हमारे जनपद में १६२६ गांव हैं जिनमें से ९०९ गांव प्रभावित हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आधे से अधिक जन संख्या और गांव ओले से बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं । इसी तरह से जो अनुमानित क्षति माननीय राजस्व मन्त्री ने दिखाई है वह ६,६६,६६,८०४ रुपये को दिखायी गयी है । यह क्षति १-१-१९७८ से १७-३-१९७८ तक जो ओला वृष्टि हुई है उस सम्बन्ध मे है । फर्रुखाबाद में ६,६६,६६,८०४ रुपये का नुकसान होने पर केवल २ हजार रुपया दिया गया है । तो इस हिसाब से जो पूरा प्रतिशत रहा है तो अगर एक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाय तो एक नया पैसा आयेगा । इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी का जनपद फर्रुखाबाद से मिला हुआ है जो फर्रुखाबाद की स्थिति है उससे मंत्री जी अवगत हैं ।

मान्यवर, बहुत से जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है लेकिन जब फर्रुखाबाद जिले में फसल का नुकसान होता है तो इसका प्रभाव दूसरे जिलों पर भी पड़ता है । क्योंकि कृषि उत्पादन की दृष्टि से फर्रुखाबाद जनपद अन्य जनपदों से आगे हैं और दूसरे जनपदों को सहायता देता है । ऐसी स्थिति में जब फर्रुखाबाद का उत्पादन प्रभावित हुआ है तो अन्य जनपद जो फर्रुखाबाद पर आश्रित रहते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सहायता अन्य जिलों को दी गयी है नुकसान के रेशियो के हिसाब से तो उसी तरह से फर्रुखाबाद जिले में जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुये सहायता दी जाय । मान्यवर, जायद की फसल चौपट होने से जो लोग बेरोजगार हो गये हैं उनको काम देने के लिए टेस्ट वर्क चालू किया जाय । अन्य सुविधायें जिनके बारे में कहा गया है, जैसे लगान की वसूली और ऋणों की वसूली तो इनको रोका जाय । इन शब्दों के साथ कि फर्रुखाबाद जनपद के साथ न्याय करेंगे और जिस प्रकार से क्षति हुई है उसी प्रकार से सहायता देने का वचन देंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी की तरफ से ओला वृष्टि की रिपोर्ट आई है उसमें बाराबंकी जनपद का जिक्र है । बाराबंकी जनपद की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ५४९ गांव प्रभावित हुये और ५१५०४ हेक्टर भूमि प्रभावित

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हुई है । २,४४,५२,५३५ रुपये, का नुकसान के सम्बन्ध में मूल्यांकन किया गया है । मान्यवर, यह जो सहायता दी गयी है वह नुकसान को देखते हुये अपर्याप्त है । तकावी की सहायता एक लाख रुपये की दी गयी है और अहेतुक सहायता ५५ हजार रुपये की दी गयी है । इसमें जो तारीख दी गयी है, वह भ्रमक है ।

आप देखें यह जो तकावी की सहायता है वह १-४-१९७७ से ३१-१२-१९७७ तक की दिखाई गयी है । ओला वृष्टि फरवरी में हुयी है । इसी प्रकार से जो अहेतुक सहायता दी गयी है वह १-४-१९७७ से ३१-१२-१९७७ तक की दिखाई गयी है । तो अगर देखें तो पता चलता है कि ओला वृष्टि की सहायता बहुत कम है । बाराबंकी जिला बाढ़ पीड़ित क्षेत्र भी है । अगर यह सहायता वर्ष के प्रारम्भ में एलाट की गयी है तो वह बाढ़ पीड़ितों के लिए भी है तो ओला वृष्टि की सहायता बहुत कम हो जायेगी । तो इस प्रकार जो यह सहायता दी गयी है यह कम है । जहां तक लगान की वसूली का सम्बन्ध है लगान की वसूली बराबर जारी है । अखबारों में निकलता रहता है हो सकता है कि इस सम्बन्ध में मंत्री जी के आदेश भी चले गये हों लेकिन अमल में देखने को नहीं मिलता है और लगान की वसूली बराबर चल रही है । जैसा कहा गया कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये तो उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है । इसके अलावा लगान की ही बात नहीं है अन्य देयधन जैसे बकाश्त का बकाया है उसकी भी वसूली हो रही है । इसलिये यह भी स्थगित होनी चाहिये । जहां तक लगान का प्रश्न है वह तो माफ ही होना चाहिये ।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर जनपद की ओर दिलाना चाहूंगा । मिर्जापुर जनपद में जहां पर ८० से ८५ प्रतिशत लोग आदिवासी, बनवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहां की स्थिति यह है कि रबी की फसल ओले से बिल्कुल नष्ट हो गयी है और पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है । राजस्व मंत्री जी का ध्यान मैं मिर्जापुर जनपद के उन छः ब्लाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं । वह छः ब्लाक है—दुद्धी, राबर्ट्सगंज, म्योरपुर, वभनी, चोपन और घुरावल । यह पूरा क्षेत्र ओले से प्रभावित हुआ है जिसके कारण वहां के किसान बनवासी खाने के लिए दाने-दाने के मोहताज हैं । इस क्षेत्र के बनवासी वन के तेंदू के फल तथा चकवड़ के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं । बरसात के कारण वहां जो मोटे अनाज की फसल होती थी वह भी समाप्त हो गयी थी और उसके बाद ओले से सारी फसल नष्ट हो गयी । इसलिए मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों को, जिनकी फसल नष्ट हो गयी है विशेष सुविधा दी जाय और वसूली तुरन्त रुकवायी जाय तथा टेस्ट वर्क छः ब्लाकों में शुरू कराया जाय । इसके अलावा वहां राहत कार्य भी पहुंचाये जांय जिससे वहां के बनवासी और आदिवासी अपना जीवन यापन कर सकें ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विद्यार्थियों की फीस के सम्बन्ध में जो शिकायतें आ रही हैं कि फीस न जमा करने से उनके नाम काट जा रहे हैं क्योंकि वह फीस नहीं दे पा रहे हैं इसलिये फीस माफ करवाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मिर्जापुर में टेस्ट वर्क के लिए एक लाख २५ हजार रुपये तथा तकावी के लिए ७५ हजार रुपये शासन की तरफ से दिया गया है जो कि वहां की स्थिति के मुताबिक नहीं के बराबर है इसलिये इस सहायता को

[श्री ईश्वर प्रसाद]

बढ़ाया जाय । इसके अलावा वहां जो ओले से पशु जैसे बकरी, भैंस और बैल आदि जो मरे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाय और फिर से मंत्री जी जांच करा कर कोई उचित कार्यवाही करें । यह जो आंकड़े आये हैं वह गलत हैं । मिर्जापुर जनपद में दुद्धी और राबर्ट्सगंज विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं जानता हूं कि वहां भीषण ओले पड़े हैं लेकिन आंकड़े गलत आये हैं । इसलिये मन्त्री जी पुनः इसकी जानकारी करा लें और सहायता को बढ़ाने की कृपा करें ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं । कि विभिन्न जनपदों की जो उन्हें जानकारी थी वह उन्होंने देने की कृपा की । माननीय, जहां तक दैवी आपदाओं का सवाल है यह राजस्व विभाग का एक सामान्य काम हो गया है । अभी बाढ़ और सूखे से जितनी भी सहायता देना सम्भव थी, दे चुकने के बाद हिसाब किताब हो रहा था कि ओला वृष्टि हो गयी । जब इस प्रकार की दैवी आपदाएं आती हैं तो जहां और वसूली का काम होता है यह एक सेवा का काम भी हमें मिलता है । मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी सतर्कता और उदारता बर्ती जा सकती है उसके लिए मैंने विभाग को आदेश दे दिये हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो सूचना जिलाधिकारियों से आयी है वह पूरी नहीं, कुछ कम करके दिखाई गयी है । वैसे मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि इसमें जब कभी कोई नुकसान दिखाया जाय तो कम करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक स्थिति बतायी जाय । फिर भी जो रिपोर्ट आयी है उसमें एक दो या तीन परसेन्ट की कमी हो सकती है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कहीं-कहीं बिल्कुल नुकसान नहीं दिखाया गया तो अगर ऐसे क्षेत्रों के बारे में लिख कर देंगे तो उनकी जांच करा लेंगे ।

माननीय, जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का न तो उद्देश्य है और न की ही जा सकती है । जो सहायता राजस्व विभाग से दी जाती है ऐसे लोगों को दी जाती है जो बहुत छोटे काश्तकार हैं और जिनके पास जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और जिनका जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है । उनको हम आर्थिक सहायता देते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो जायं और इसकी अन्तिम सीमा १०० रुपया है । इसी प्रकार मकानों के बारे में कच्चे मकान के लिए ३००रु० और पक्के मकान के लिए ४०० रु० अधिकतम सीमा है । जैसा अभी कहा गया जिस परसेन्टेज से मकानों का नुकसान हुआ है उसी हिसाब से सहायता दें तो वह न तो सम्भव है और न ही उद्देश्य है । टेस्ट वर्क चलाने के लिए माननीय सदस्यों ने कहा । मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि जिस वक्त ऐसी दैवी आपदा आ जाय तो सहायता देने के अतिरिक्त काम भी दिया जा सके यही अच्छी स्थिति भी है । इसीलिए हमने हर जिलाधिकारी को वायरलेस द्वारा निर्देश दिये कि तुरन्त टेस्ट वर्क की योजना बनायें और उसके प्रोपोजल भेजें और इसमें विभाग किसी तरह की कंजूसी नहीं करेगा । एक व्यापक प्रोपोजल बस्ती जिले से और दूसरा बहराइच से आया और उनको २३ लाख और ५ लाख रुपया दिया गया । अन्य स्थानों से कोई प्रोपोजल नहीं आया । जब तक हमारे सामने कोई प्रस्ताव न हो कि टेस्ट वर्क होने जा रहा है, कितना होने जा रहा है तो माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि अगर ऐसे ही रुपया दे दिया जाय तो फिर दूसरा प्रश्न यह आयेगा कि उस रुपये का उपयोग हुआ या नहीं । लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां ओले से हानि हुयी है, वहां के जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे प्रपोजल बनाकर प्रस्ताव तुरन्त भेजें और उसमें रुपया देने में कमी नहीं है और न कमी की जाय । तुरन्त रुपया दिया जायेगा और वे वहां टेस्ट वर्क चला सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं । पिछले दिनों जब शैलाब से हानि हुयी थी, तो इस प्रकार के जो टेस्ट वर्क जहां-जहां प्रारम्भ हुये थे, वहां के माननीय सदस्यों से कहा गया था कि वे मिलकर प्रस्ताव बनवा दें । अगर वहां आवश्यकता टेस्ट वर्क की है तो उसमें कठिनाई यह है कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा । यदि वहां के माननीय सदस्य और जिलाधिकारी वहां की स्थिति के अनुसार प्रपोजल भेज दें तो कठिनाइयां दूर हो सकेगी ।

जहां तक लगान का सवाल है, माननीय सदस्यों ने कहा कि कुर्की और वसूली बड़ी सख्ती से हो रही है । मुझे आश्चर्य होता है कि ८ मार्च को आदेश दे दिये थे कि जहां तक राजस्व देयों का सवाल है, अगली फसल तक किसी के खिलाफ उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी और वह आदेश अभी भी प्रभावी हैं । जहां ५० प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, वहां वसूली स्थगित कर दी गयी है । स्थगित का मतलब है कि जहां पर ५० प्रतिशत से अधिक हानि है, वहां के लिये यह भेज दिया ताकि वहां लगान माफ किया जा सके । इसलिये जहां ५० प्रतिशत से अधिक हानि है, वहां यदि प्रस्ताव बनकर प्राप्त हो जायेंगे तो वह माफ कर दिया जायेगा और उसकी अंतिम तारीख १५ अप्रैल तक दी है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर छूट दे दी जायेगी ।

जहां तक अन्य विषयों का सवाल है, या कोआपरेटिव आदि देयों के बारे में बात है, मैं समझता हूं कि उनके बारे में निर्णय उन विभागों को लेना पड़ेगा हम तो तहसीलने वाले हैं । हमारे पास वे राय भेजते हैं और हम वसूल करते हैं । जब तक उनका इशारा न हो, तब तक मेरे लिये कठिनाई है । लेकिन माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद और इस माननीय सदन की भावना जानने के बाद यह जरूर निश्चय करता हूं कि जहां ५० प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, वहां पर सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के देय हैं, वे स्थगित कर किये जायं । (हर्षध्वनि) ।

इसके अतिरिक्त कई स्थानों से जैसे बस्ती से कहा गया । माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ने कहा कि खीरी में कोई स्थगन के आदेश नहीं गये । मैंने जानना चाहा तो मालूम हुआ कि ४-४-७८ को आदेश वहां भेज दिये गये हैं । यदि आदेश के होते हुये भी और उत्पीड़न की कार्यवाही है और परेशान किया जा रहा है तो उसके लिये २/४ उदाहरण लिख कर भेज देंगे तो उन पर कार्यवाही हो जायेगी । मुझे विश्वास है कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हो रही होगी, क्योंकि आदेश दे दिये गये हैं ।

एक बात कही गयी कि बस्ती जिले में टेस्ट वर्क चल रहे थे और पाण्डेय जी ने कहा कि उनको २५ तारीख को रोक दिया गया है । उसमें बात यह है कि ३१ मार्च खत्म हो रहा है । जो भी पैसा दिया था वह ३१ तक खत्म कर दें । इसलिये २५ के बाद जितना पैसा बढ़ा हुआ था, उसको सरेण्डर किया । फिर आदेश दे दिये गये हैं कि जहां कहीं टेस्ट वर्क बन्द हैं, टेस्ट वर्क पर पैसा दे दिया जाय । लेकिन उसका मतलब यह नहीं है, कि टेस्ट वर्क चलाना नहीं चाहते । हमारी इच्छा है कि जहां से नुकसान के प्रस्ताव आते हैं, वहां तुरन्त टेस्ट वर्क चलाने की व्यवस्था की जाय ।

इसके अतिरिक्त मकानों की बहुत क्षति हुयी है । जैसा कि मैंने कहा, कहीं-कहीं बहुत कम दिखाया गया है । उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सूचना दे देंगे तो जानकारी करा लेंगे । लेकिन मकानों में कितनी भी क्षति क्यों न हुयी हो उसमें हमारी एक सीमा है और उसी के अंदर

[श्री शारदा भक्त सिंह]

सहायता दे पायेंगे । नियमावली के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये । माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जायगा और नियमावली में कोई ऐसी कठिनाई हो जिनके कारण हम गरीब और निर्धन लोगों की सहायता नहीं कर सकते तो नियमावली को बदलने का प्रयास करेंगे ।

जहां तक करीब ६–७ करोड़ रुपयों का बजट में प्राविधान था और उतना ही रुपया हम खर्च कर चुके हैं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्तीय सीमा हमारी है लेकिन उसमें कोई कंजूसी नहीं है । अभी तक दस हजार रुपये प्रत्येक जिले में भेज दिया है कि आवश्यकतानुसार खर्च करें । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा पैसा पहले भेज दिया जाता है ओला बाद में पड़ता है इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि दैवी आपदा हर साल आती है सैलाब आते हैं, सूखा पड़ता है । जब सैलाब आये तब पैसा दिया जाय इससे लोगों की सहायता नहीं होती । प्रारम्भ से ही यह समझा जाता है और जहां–जहां ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में पैसा रहता है ताकि तुरन्त खर्च किया जा सके । हमने आदेश दिये हैं कि यदि पैसे कि और आवश्यकता हो तो वायरलेस द्वारा हमको सूचना दी जाय ताकि सहायता दी जा सके ।

इसलिए मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि दैवी आपदायें हैं उनमें जो भी सहायता हम कर सकते हैं, करते हैं लेकिन क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता । हम केवल सहानुभूति और जो भी सहायता सम्भव हो करते हैं और माननीय सदस्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि इस काम में जो दलगत काम नहीं है गरीबों की मदद करने का काम है, उसमें अपने भेद–भाव भुला कर एक साथ मिल कर सरकार की सहायता करें ताकि अधिक से अधिक उन पीड़ितों की सहायता की जा सके । यही आपकी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है ।

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत श्री आरिफ मोहम्मद खां ने मुझे एक सूचना दी थी और इसी प्रकार की सूचना नियम ५१ के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह की भी थी । वे दोनों एक ही प्रकार की हैं––पिछड़ी जातियों की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को आन्दोलन तथा विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना । श्री रियासत हुसैन ने भी यह सूचना दी है । इन सब को मैंने एक साथ जोड़ दिया है । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

माननीय, कल तो कोई वक्तव्य रखा है । इसे कल के बाद रख लीजिए...।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय, आपने फरमाया कि सब को एक जगह कर दिया है । यह नियम ५६ के अन्तर्गत किया है या ५१ के ।

श्री अध्यक्ष--

५६ में स्वीकार नहीं किया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

माननीय, एक मिनट मुझे मौका दीजिए । इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे...।

श्री अध्यक्ष--

आरिफ साहब, नियम ५१ के अन्तर्गत इसी प्रश्न को स्वीकार किया है । ५६ में काम रोको प्रस्ताव...।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता पर थोड़ा विचार कीजिए । इसकी गम्भीरता यह है कि आज अभी मिली सूचना के अनुसार उसी मुद्दे को ले कर जिसके कारण लखनऊ यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है उसी मुद्दे को ले कर कानपुर में गोली चली...।

एक सदस्य--

गोली चली एक लड़का मर गया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

माननीय सदस्य ने बताया है कि एक लड़का, एक छात्र की वहां पर मृत्यु हो गयी है । यह गम्भीर समस्या है । इस प्रदेश की शांति व्यवस्था की हालत पहले ही अत्यन्त चिन्ताजनक है उसमें इस प्रदेश की राजधानी की यूनिवर्सिटी का बन्द किय जाना इसके बाद माननीय, आपने अगर कल के पत्र को देखा होगा तो पूरे लखनऊ में विश्वविद्यालय का जुलूस निकाला गया, कक्षाओं का बहिष्कार किया गया लेकिन सरकार ने यहीं लखनऊ में होते हुये कोई एहतियात का कदम नहीं उठाया जिसका नतीजा यह हुआ कि स्थिति और बिगड़ गयी, यूनिवर्सिटी को बन्द किया गया । इसका नतीजा यह है कि प्रदेश की यूनिवर्सिटियां और कालेजों में बात पहुंच रही है जिस बात को ले कर लखनऊ यूनिवर्सिटी को बन्द किया गया इसलिए माननीय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी से कहें कि वह इस सम्बन्ध में चाहे नियम ५६ के तहत चाहे नियम ५१ के तहत अपना वक्तव्य आज दें । परिषद् में भी सरकार ने कहा है कि पांच बजें वक्तव्य देंगे । इस समय साढ़े छः बजे हैं तो फिर यह वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद का विषय नहीं है । ५१ में मैंने इसे स्वीकार किया है और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा है कि कल वह इस पर वक्तव्य दे देंगे ।

कानपुर में छात्रों एवं पुलिस के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

कानपुर के बारे में क्या सूचना है ?

श्री अध्यक्ष--

कानपुर के बारे में संसदीय कार्य मन्त्री को कोई सूचना है, तो वह सदन को दे दें ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय लखनऊ के सिलसिले में जो निर्देश आपने दिये मैंने निवेदन किया कि कल इस सिलसिले में विस्तार से सूचना दे दी जायगी । कानपुर के सम्बन्ध में जो प्रश्न यहां उठाया गया आपने निर्देश दिया था कि सूचना प्राप्त होते ही सदन को अवगत करा दिया जाय । अतः जो सूचना आई है उनसे मैं सदन को अवगत करा देना अपना कर्तव्य समझता हूं । वह सूचना इस प्रकार है :--

"कल ५ अप्रैल को डी० ए०वी० कालेज के कुछ लड़के प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के निवास स्थान पर गये थे और उन्होंने २३ सूत्री मांग-पत्र अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके पुत्र को दिया था । लड़कों की धारणा थी कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ । उनके असन्तोष को देखते हुए जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया और उनसे बात की । यह तय हुआ कि सोमवार को एक बैठक होगी, जिसमें छात्रों के प्रतिनिधि और प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे और मांगों पर विचार किया जायगा ।

आज पूर्वाह्न में लगभग ५०० लड़के पुनः अध्यक्ष, प्रबन्धक समिति के निवास स्थान पर पहुंचे । उन्हें फाटक पर ही पुलिस ने रोक दिया । इस पर लड़कों ने पथराव किया । उनको तितर बितर करने के लिये पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा । लड़कों की ओर से कुछ देशी तमंचे भी चलाये गये जिससे एक पी० ए० सी० के जवान को छर्रे लगे हैं । पत्थरों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कुछ अन्य कर्मचारियों को भी चोटें लगी । पुलिस के खदेड़े जाने पर लड़के होस्टल में घुस गये और वहां से छत से पथराव किया । इस समय लड़के होस्टल में हैं और पुलिस बाहर मौजूद है ।

आज पुलिस की तरफ से स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये गोली नहीं चलाई गयी है ।"

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

६ अप्रैल, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर ।)

संलग्नक

सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में पाई गयी अनियमितताएं	अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
१—स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के वार्ड नम्बर-२ में स्टाक बुकों को अस्पताल के अधीक्षक/उप अधीक्षक/मैट्रन अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (औषधि) द्वारा कभी भी चेक नहीं किया गया ।	इन अनियमितताओं के लिये चिकित्सालय के केन्द्रीय औषधि भंडार के स्टोर कीपर श्री एच० एन० तिवारी एवं वार्ड नं० २ की स्टाफ नर्स श्रीमती कुलवन्ती धवन को दोषी पाया गया । इसके लिये श्री तिवारी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक दी गयीं, जिसका प्रभाव उनकी अगली वेतन वृद्धियों पर नहीं पड़ेगा । श्रीमती कुलवन्ती धवन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी, जिसका प्रभाव उनकी अगली वेतन वृद्धियों पर नहीं पड़ेगा । इसके अतिरिक्त श्रीमती धवन की चरित्र-पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश भी दिये गये ।
२—वार्ड के औषधियों के मांग-पत्रों (इन्डेंटों) की मूल प्रतियों में इन्डेन्ट की गयी औषधियों की मात्रा को बढ़ाया गया । किन्हीं-किन्हीं इन्डेन्टों की मूल प्रति में नई औषधि का नाम सम्मिलित किया गया, जबकि इन्डेन्ट की कार्यालय प्रति में उस औषधि का उल्लेख नहीं है ।	
३—औषधियों की मांग-पत्रों (इन्डेन्ट्स) की मूल व द्वितीय प्रतिलिपियों में औषधियों की मात्रा में परिवर्तन/हेरफेर किया गया, जैसे कि ग्लूकोस सैलाइन (५ प्रतिशत) के बोतलों की संख्या २० को ३५ में तथा थ्यासिटेजोन की गोलियों की संख्या ५० को १५० में परिवर्तित कर दिया गया ।	
४—श्रीमती कुलवन्ती धवन, स्टाफ नर्स, वार्ड नं० २ द्वारा केन्द्रीय औषधि भंडार से प्राप्त की गयी बहुत सी औषधियों/इन्जेक्शन्स आदि की प्रविष्टि वार्ड के स्टाक बुक में या तो की ही नहीं गयी है अथवा प्रविष्टि में उनकी मात्रा कम दिखाई गई है ।	
५—दैनिक उपभोग (कन्ज्यूमेबुल) की जाने वाली वस्तुओं (स्प्रिट, सेवलान तथा डिटाल आदि) की स्टाक बुक वार्ड में नहीं रखी गयी है, जिससे वार्ड में इन वस्तुओं की प्राप्ति की मात्रा तथा उनके उपभोग की मात्रा का पता नहीं चल सका ।	
६—जो स्टाक बुक सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध कराई गई उनसे पता चला कि उनके रख-रखाव में घोर अनावधानी एवं लापरवाही तथा निर्देश एवं पर्यवेक्षण की कमी पायी गयी ।	

परची 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

एफ० आई० आर० की प्रति

नकल चिक नवम्बर ४८ मु० आ० स० ५५/७६-ए धारा १४७/१४८/१५२/३२३/४२७/२०४/५०६ आई० पी० सी० ।

तारीख समय घटना २९-५-७६ समय २·१० बजे ।

तारीख समय सूचना २९-५-७६ समय १९·१५ बजे दिन ।

घटना स्थल, ब्लाक बढ़नी बहद ग्राम डढ़उल ३ मी० प० उत्तर ।

नाम पता वादी---श्री आर० के सिंह खन्ड विकास अधिकारी बढ़नी, थाना मेहदावल ।

नाम पता परिवादी (१) मेडिकल के बड़े बाबू ।

(२) इण्डस्ट्रेशंन एजूकेटर ।

(३) डाक्टर चतुर्वेदी ।

(४) डाक्टर का छोटा भाई ।

(५) कुमारी चौधरी ।

(६) अश्विनी कुमार उर्फ लल्लू ।

(७) वार्ड ब्याय राम केवल ।

विकास खंड कर्मचारी बढ़नी, थाना ढेबरुआ---बस्ती

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में थानाध्यक्ष ढेबरुआ ता० २९-५-७६ समय ४·५० बजे शाम निवेदन है कि मैं करीब २ बजे दोपहर बाद ब्लाक कार्यालय बढ़नी के सूचना केन्द्र में होने वाली कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक में भाग लेने उनके बीच पहुंचा लगभग ९·३० बजे मैं कार्यालय से ही क्वाटर पर जल पीने आया था, इसके पहले मैं कार्यालय के बी० डी० ओ० कक्ष में बैठकर कार्यालय कार्य सम्पादन किया था ए० डी० ओ० लोग २ बजे तक बैठक करते और ग्राम सेवाओं से सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे तथा उन्हें कार्य पद्धति आदि समझायें व बताये थे, इ के पहले आज में बैठक में भाग नहीं ले पाया था जब २ बजे बैठक में पहुंच कर लगभग १० मिनट तक ही चर्चा कर पाया था कि किसी ने बाहर से खबर दी कि ब्लाक के अर्जुन सिंह कामदार को उनके क्वाटर में घेर कर कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं तो बैठक में अशान्ति वातावरण हो गया उनकी चीख सुनकर कुछ लोग उनके क्वाटर की ओर बढ़ गये और अर्जुन सिंह को मारने वालों को पकड़ के बचाने का प्रयास करने लगे तब तक मेडिकल के पूरे स्टाफ के लोग जो कालोनी में मौजूद थे पहुंच गये और अपने क्वाटर से---ओम प्रकाश चतुर्वेदी भी दौड़े, वे अपने छोटे भाई के हाथ से लाठी छीनकर श्री शैलेन्द्र प्रताप नारायण ए० डी० ओ० सप्लाई को पीटने लगे, लोगों ने बीच बचाव किया कि वे लोग ब्लाक कार्यालय की ओर बढ़े मगर डाक्टर साहब ए० डी० ओ० एम० आई० का पीछा न छोड़े मैं कार्यालय से ही बाहर की सारी मारपीट देख रहा था, जब कार्यालय से

१० गज दक्षिण-पश्चिम कालोनी की सड़क पर ही खड़े होकर मेडिकल के लोग गाली भद्दी-भद्दी बकने लगे और फिर ए० डी० ओ०, एम० आई० को मारने लगे तो मैं बाहर निकल कर ए० डी० ओ० एम० आई० से कहा है कि भाग कर कार्यालय में चले आओ, जब वे इधर की ओर भागे, और उन लोगो ने उनका पीछा किया तो मैं पुनः अपने कक्ष में चला गया। उसी समय ब्लाक के इक्सटेंशन एजूकेटर भी उपाध्याय जी ने डाक्टर मेडिकल वालों को मेरी तरफ ललकारा, उसपर मेडिकल का सारा स्टाफ मेरे कमरे के आगे दौड़ा तब में उठकर दरवाजा बन्द कर लेना चाहा, उसे धक्का देकर मेडिकल के बड़े बाबू इक्सटेन्शन एजूकेटर डा० चतुर्वेदी उनका छोटा भाई तथा कुमार चौधरी मिडवाइफ का तथा कथित भतीजा अश्विनी कुमार शर्मा उर्फ लल्ल व वार्ड ब्वाय राम केवल कमरे में घुस आए और डन्डे तथा ईंटों से मुझे मारने लगे राम केवल फरसा हाथ में लिए था और उसके पीछे मिडवाइफ भी फरसा लेकर आ गयी मा ते समय सब लोग जुट गये। मैं हतास होकर बदहवास होकर भागना चाहा, इस पर चारों ओर से कमरे से बाहर खड़े लोग बंगला का शीशा पीटने लगे और अन्दर भी लाठियों से भी कमरे के चारों ओर का शीशा चकनाचूर हो गया। मेरे मेज का शीशा भी उनकी लाठी और ईंटों के प्रहार से चकनाचूर हो गया। लाचार होकर मैं मेज के नीचे के हिस्से से बाबू वाले कमरे में भागा वहां भी कुछ लोग पहले से लगे थे सबके नीचे से किसी तरह जब मैं बाहर भागा तो मुझे कार्यालय के पूर्वी उत्तरी हिस्से पर जाते-जाते भी चार-पांच लाठी मारी थी, मैं लौटकर बचाव की दृष्टि से पुनः कार्यालय में भागा तब तक वहां चौकीदार डाढ़ और पंखा कुली भी राम भी पहुंच गये जब हम कमरे के अन्दर पूर्ण रूप से पहुंच गये तो अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया मारने वाले बाहर देर तक डटकर खड़े हो गये हम कमरे में धीरे और छिपे बैठे रहे क्योंकि बाहर भी लोग कुछ लोगों को खुड़ा रहे थे, और मार रहे थे आतंकों की स्थिति में हतास पंखा कुली और डाढ़ू के साथ बन्द रहा, क्योंकि वे लोग मेरे घर को ओर भी दौड़ पड़े थे, डाक्टर साहब ने इतना गाली दिया धमकाया कि हमारे पूरे परिवार के लिए जानमाल का खतरा पैदा हो गया है आज मुझको मेरा स्थानान्तरण आदेश मिल चुका है, मुझे अपने परिवार को सुरक्षित हालत में घर पहुंचने की चिन्ता है कि पुलिस की देख-रेख में हमारे परिवार वालों को गोरखपुर या बस्ती तक पहुंचा दिया जावे। मैं पुलिस के साथ बस्ती चला जाना चाहता हूं/चाहूंगा। आशा है कि घटना को देखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। गवाह हमारे स्टाफ के उपस्थित कर्मचारी, राम कृपाल सिंह, खंड विकास अधिकारी बढ़नी बस्ती

लेखक---एफ० आई० आर० विश्वनाथ सिंह का० मु० २६-५-७६ और नकल मुताबिक असल के है।

ह० अपठनीय,

२३-६-७८।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर)

१८-१२-७३ के पश्चात् आगरा में उपभोक्ताओं को सूचारुरूप से बिजली देने हेतु उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्माण किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण ।

(१) कमलानगर विद्युत् गृह का निर्माण क्षमता ३३/११ के० वी०, १×३ एम० वी० ए०, १×५ एम० वी० ए० ।

(२) उपरोक्त विद्युत् गृह तक ३३ के० वी० लाइन ।

(३) शाहगंज विद्युत् उपगृह क्षमता ३३/११ के० वी०, १×३ एम० वी०ए० १×१·५ एम० वी० ए० ।

(४) उपरोक्त विद्युत् गृह के लिए ३३ के० वी० लाइन का निर्माण ।

(५) बैरिक रोड विद्युत् उपगृह का निर्माण क्षमता २×३ एम० वी० ए०, ३३/११ के० वी० ए० ।

(६) उपरोक्त विद्युत् उपगृह के लिये ३३ के० वी० लाइन का निर्माण ।

(७) आगरा फोर्ट विद्युत् उपगृह २×५ एम० वी० ए०, ३३/११ के० वी०, २×५ एम० वी० ए०, १/१/६·६ के० वी० ।

(८) उपरोक्त विद्युत् गृह के लिये ३३ के० वी० की लाइन ।

(९) जमुना बैंक विद्युत् उपगृह का निर्माण ३३/११ के० वी०, २×५ एम० वी० ए० ।

(१०) फाउन्डरी नगर विद्युत् उपगृह का निर्माण १×३ एम० वी० ए०, ३३/११ के० वी० ए० ।

(११) जयपुर हाउस, शाहगंज, खतैना कालोनी का विद्युतीकरण ११ के०वी०, ४४० वोल्ट लाइन निर्माण ।

(१२) ११ के० वी० शाहगंज से नगला पृथ्वी नाथ तक का निर्माण ।

(१३) ११ के० वी० लाइन बैरिक रोड विद्युत् उपगृह से सेवला तक ।

(१४) फाउन्डरी नगर का विद्युतीकरण (निर्माण कार्य चल रहा है ।)

(१५) ११ के० वी० शाहगंज ५×५ से आगरा कालेज सब स्टेशन तक (निर्माण कार्य जारी है ।)

(१६) ११ के० वी० कमलानगर सब स्टेशन से आगरा कालेज सब स्टेशन तक की लाइन का २ भागों में विभक्त करन का कार्य ।

(१७) १३२ ताज विद्युत् उपगृह से कमलानगर विद्युत् उपगृह तक रिंग मेन लाइन कार्य (निर्माण कार्य चालू है ।)

१—१०० के० वी० ए०, ११/·०४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) सिकन्दरा मकबरा पर विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

(२) ट्यूबवेल डिवीजन पर विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

(३) ३×१०० के० वी० ए० विद्युत् उपगृह का अंजना छविगृह पर निर्माण ।

(४) ए० एन० एम० सेन्टर पर विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

(५) होटल मयूर पर विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

(६) होटल किरन पर विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

(७) साकेत कालोनी विद्युत् उपगृह ।

(८) नेहरू नगर विद्युत् उपगृह ।

(९) डिफेन्स कालोनी विद्युत् उपगृह ।

२—१६० के० वी० ए० ११/·०४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) बाग राजपुर विद्युत् उपगृह ।

(२) लेन गऊशाला विद्युत् उपगृह ।

(३) २×१६० के० वी० ए० विद्युत् उपगृह का औद्योगिक प्रशिक्षण तंस्थान पर निर्माण ।

(४) बलकेश्वर विद्युत् उपगृह ।

(५) ताज रोड विद्युत् उपगृह ।

३—२५० के० वी० ए० ११/·०४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) ग्रान्ड परेड विद्युत् उपगृह ।

(२) नार्थ ईदगाह विद्युत् उपगृह ।

(३) नगर महापालिका विद्युत् उपगृह ।

(४) नार्थ विजय नगर कालोनी ।

(५) वेस्ट ईदगाह कालोनी ।

(६) छिपी टोला विद्युत् उपगृह ।

(७) सुल्तानगंज विद्युत् उपगृह ।

(८) सिकन्दरा विद्युत् उपगृह ।

(९) जयपुर हाउस विद्युत् उपगृह ।

(१०) सुल्तानपुरा विद्युत् उपगृह ।

(११) जटपुरा विद्युत् उपगृह ।

(१२) जगदीशपुरा विद्युत् उपगृह ।

(१३) गृह विज्ञान संस्थान विद्युत् उपगृह ।

(१४) गोपालपुरा विद्युत् उपगृह ।

४—४०० के० वी० ए० ११/·०४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) खंदारी विद्युत् उपगृह ।

(२) हरीपर्वत के चौराहे पर विद्युत् उपगृह ।

(३) मंदिया कटिया विद्युत् उपगृह ।

(४) सोंठ की मन्डी विद्युत् उपगृह ।

(५) रुई की मन्डी विद्युत् उपगृह ।

(६) नगला पृथ्वी नाथ विद्युत् उपगृह ।

(७) गांधीनगर विद्युत् उपगृह ।

(८) औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई विद्युत् उपगृह ।

५—५०० के० वी० ए० ११/०·४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) नगर महापालिका विद्युत् उपगृह ।

(२) भगवान छविगृह विद्युत् उपगृह ।

(३) ट्रांसपोर्ट नगर विद्युत् उपगृह ।

(४) आगरा कालेज विद्युत् उपगृह ।

(५) २×५०० के० वी० ए० विद्युत् उपगृह का बंरिक रोड पर निर्माण।

६—६३० के० वी० ए० ११/०·४ के० वी० विद्युत् उपगृहों का निर्माण—

(१) आगरा कालेज विद्युत् उपगृह ।

(२) जौनल पम्पिग विद्युत् उपगृह ।

(३) औद्योगिक संस्थान नुनिहाई विद्युत् उपगृह ।

७—ताज विद्युत् उपगृह की क्षमता को ३००० के० वी० ए० से ३३/६·६ के० वी० ए० में बदलना ।

८—जमुना बैंक पावर स्टेशन पर १२५० के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगाना ।

९—जमुना बैंक पावर स्टेशन पर ३ एम० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाना ।

१०—पी० के० सोल्वेन्ट पर १००० के० वी० ए० विद्युत् उपगृह का निर्माण ।

११—एल० टी० लाइन कार्य—

(१) बिल्लोचपुरा का विद्युतीकरण ।

(२) विभव नगर का विद्युतीकरण ।

(३) अर्जुन नगर का विद्युतीकरण ।

(४) नगला पदी का विद्युतीकरण ।

(५) कुम्रा खेरा का विद्युतीकरण ।

(६) किशोर पुरा का विद्युतीकरण ।
(७) आजाद नगर कालोनी का विद्युतीकरण ।
(८) नमक की मन्डी शाहगंज का विद्युतीकरण ।
(९) बयाल नगर भोगीपुरा का विद्युतीकरण ।
(१०) नगला पृथ्वीनाथ का विद्युतीकरण ।
(११) शास्त्री नगर का विद्युतीकरण ।
(१२) जसोरिया एनलेज का विद्युतीकरण ।
(१३) बल्लभ बालूगंज का विद्युतीकरण ।
(१४) अशोक नगर का विद्युतीकरण ।
(१५) हरजूपुरा का विद्युतीकरण ।
(१६) ५०९ कालोनी का विद्युतीकरण ।
(१७) सेन्ट पीटर्स कालेज का विद्युतीकरण ।
(१८) छिपी टोला का विद्युतीकरण ।
(१९) ट्रान्सपोर्ट नगर का विद्युतीकरण ।
(२०) जगनपुर का विद्युतीकरण ।
(२१) सर्किट हाउस का विद्युतीकरण ।
(२२) वेस्ट ईदगाह का विद्युतीकरण ।
(२३) कटरा वजीर पुरा का विद्युतीकरण ।
(२४) अलोक नगर का विद्युतीकरण ।
(२५) अजीत नगर का विद्युतीकरण ।
(२६) लक्ष्मी मार्केट का विद्युतीकरण ।
(२७) कमला नगर का विद्युतीकरण ।
(२८) फतेहाबाद का विद्युतीकरण ।
(२९) को एक्साईल बिल्डिग का विद्युतीकरण ।
(३०) मंडी समिति का विद्युतीकरण ।
(३१) फौवारा से लेकर हींग की मन्डी क्षेत्र का विद्युतीकरण ।
(३२) गृह विज्ञान संस्थान का विद्युतीकरण ।
(३३) पी० डब्लू० डी० कार्यालय से लेकर बालूगंज क्षेत्र का विद्युतीकरण ।

१२—११ के० वी० लाइन कार्य—

(१) ११ के० वी० लाइन का कमला नगर में निर्माण ।

(२) ११ के० वी० लाइन का फलड़ी में निर्माण ।

(३) ११ के० वी० लाइन का ताज से माल रोड तक निर्माण ।

(४) ११ के० वी० लाइन का दयाल बाग से कमला नगर तक निर्माण ।

(५) ११ के० वी० लाइन का ताज से ताज के पूर्वी दरवाजे तक निर्माण ।

(६) ११ के० वी० लाइन का वाटर वर्क्स से कमला नगर तक निर्माण ।

(७) ११ के० वी० लाइन का एम० ई० एस० से ग्राउंड परेड तक का निर्माण ।

(८) ११ के० वी० लाइन का कमला नगर से गांधी नगर तक निर्माण ।

(९) ११ के० वी० लाइन का सिंघल पेस्टी साइड पर निर्माण ।

(१०) ११ के० वी० लाइन का सिकन्दरा मकबरे पर निर्माण ।

(११) ११ के० वी० लाइन का ट्यूबवेल डिवीजन पर निर्माण ।

(१२) ११ के० वी० लाइन का अहीर पाड़े में निर्माण ।

(१३) ११ के० वी० लाइन का नार्थ विजय कालोनी में निर्माण ।

(१४) ११ के० वी० लाइन का सिकन्दरा विद्युत् उपगृह से अकबर के मकबरे तक निर्माण ।

(१५) ११ के० वी० लाइन का ए० एन० एम० सेन्टर पर निर्माण ।

(१६) ११ के० वी० लाइन का यातायात नगर में निर्माण ।

(१७) ११ के० वी० लाइन का होटल मुगल पर निर्माण ।

(१८) ११ के० वी० लाइन का वाटर वर्क्स पर द्वितीय निर्माण ।

(१९) ११ के० वी० लाइन का होटल मयूर पर निर्माण ।

(२०) ११ के० वी० लाइन का हाथरस रोड पर निर्माण ।

(२१) ११ के० वी० ए० लाइन का कमला नगर के आन्तरिक क्षेत्र में निर्माण ।

(२२) ११ के० वी० लाइन का बलकेश्वर में निर्माण ।

(२३) ११ के० वी० लाइन का २२० के० वी० विद्युत् उपगृह पर निर्माण ।

(२४) ११ के० वी० लाइन का मंडी समिति में निर्माण ।

(२५) ११ के० वी० लाइन का जटपुरा में निर्माण ।

(२६) ११ के० वी० लाइन का नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण ।

(२७) ११ के० वी० लाइन का सराय मलूकचन्द में निर्माण ।

(२८) ११ के० वी० लाइन का खतौला से जगदीशपुरा तक निर्माण ।

(२९) ११ के० वी० लाइन का डिफेन्स कालोनी में निर्माण ।

(३०) ११ के० वी० लाइन का खाती पाड़ा में निर्माण ।

(३१) ११ के० वी० लाइन का ताज रोड पर निर्माण ।

(३२) ११ के० वी० लाइन का पादरी टोला में निर्माण ।

(३३) ११ के० वी० लाइन का गृह विज्ञान संस्थान पर निर्माण ।

(३४) ११ के० वी० लाइन पावर हाउस से माल रोड चौराहा तक निर्माण (डबल सर्किट) ।

निम्न नये शिकायत कक्ष खोले गये—

(१) राजा की मन्डी ।

(२) फ्रीगंज ।

(३) मेडिकल कालेज ।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५० पर)

जांघिया एवं पेटीकोट बनाये जाने का विवरण

क्र० सं०	जांघिया एवं पेटीकोट	तिथि जब जांघिया एवं पेटीकोट बनवाया गया व प्राप्त किया गया	मात्रा जो प्राप्त हुई
१	२	३	४
१	बनवाई गई जांघिया	२०-१०-७६	५०
२	बनवाई गई जांघिया	२५-१०-७६	६३५
३	बनवाई गई जांघिया	४-३-७७	१६
४	बनवाई गई जांघिया	१९-३-७७ ३१-३-७७	४१५
५	बनवाई गई जांघिया	२५-३-७७ ३१-३-७७	९०
६	रेडीमेड जांघिया	२९-३-७७	६००
७	बनवाये गये पेटीकोट	२४-३-७७ ३१-३-७७	२६०
	योग	..	१,८०६ २६०

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

प्रतिलिपि

सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्रीमान् बालिगा,

चेयरमैन,

विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

इस पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र बिसमिल्ला गांव, बरवां बाजार, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी का है । वह २३-३-६८ से गाजीपुर में पेट्रोलमैन की जगह कार्य कर रहा था । यहां सहायक अभियन्ता, प्रथम उप खंड के यहां कार्य किया गया वहां १२-११-६८ को सिगारपुर, जो सैदपुर की लाइन है, कार्य करते हुए बिजली के करेंट से गिर गया । काफी चोट लगी और पंगु भी हो गया तारीख १३-८-६८ को जिला अस्पताल, वाराणसी में सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर जीप में लाद कर ले आये और भर्ती करा दिया ।

आज भी पंगु बना हुआ है काम करने के लायक नहीं है। १२-११-६८ से आज तक किसी ने लिखा पढ़ी के बाद भी खबर नहीं लिया और न तो मेडिकल छुट्टी ही दी गई और न तो तनख्वाह ही दिया गया । आज इसकी हालत बहुत ही खराब है । इसको गुजारे हेतु तनख्वाह दी जाये और जिस स्थान लायक वह बैठकर कुछ कार्य कर सकता हो वहां इसे जगह दी जावे । इसलिए आप से निवेदन है कि इस मामले की जांच कराकर बिसमिल्ला के साथ न्याय करने की कृपा करें ।

१४८-ए, ब्लाक,

दारुलशफा,

लखनऊ ।

११-८-७७

आपका,

ह० ऊदल, एम० एल० ए०

वाराणसी ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९ पर)

उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, बहराइच की सूत्रवत मांग तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

पहली मांग	उत्तर
श्री रामफल लाइन मैन, नानपारा का पालिसी का पैसा दिनांक १—१—७३ से १—१—७५ तक २५ रु० ७० पैसा के हिसाब से काटा गया था परन्तु उक्त कर्मचारी का गोंडा से ५५ रु० ६० पै० वापस हुआ बाकी पैसे का पता नहीं ।	दिनांक १६—१२—७७ को बिजली कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बहराइच ने निवेदन किया कि श्री रामफल, लाइन-मैन को यह राय दे कि श्री रामफल इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण लिखित रूप में दें ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके । परन्तु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बहराइच को अभी तक कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ।
दूसरी मांग	
श्री राम समुझ, पेट्रोलमैन, जो एक्स लाइसेन्सी बलरामपुर के कर्मचारी थे और ३१—५—६४ में बोर्ड में आ गये थे उन्हें बोर्ड आदेश संख्या ६—१९८ एच—पी—एस—ई—बी—९५ एच/६९, दिनांक ३०—९—७७ के अनुसार इन्क्रीमेन्ट एरियर का भुगतान किया जाय ।	श्री राम समुझ, पेट्रोलमैन का वार्षिक बढ़ोत्तरी का मामला सामान्य नहीं है । उनकी अनुपस्थितियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बार उनका वेतन विभिन्न माह व वर्षों में कट चुका है । इनमें से कुछ अनुपस्थितियों का समय हाल में वेतन रहित अवकाश करके स्वीकृत किया जा चुका है । फिर भी अभी कुछ पुरानी अनुपस्थितियों का समय अवशेष है जिनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है । अधिशासी अभियन्ता, बहराईच द्वारा जांच के करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।
तीसरी मांग	
श्री कमरुल इस्लाम—लाइन मैन, चतुर्थ सब डिवीजन ने अपनी सर्विस बुक इलाहाबाद से ७ जुलाई, १९७७ को लाकर डिवीजन में जमा की लेकिन उक्त कर्मचारी का जो इन्क्रीमेन्ट ९/७५ से लेकर अब तक लगना था नहीं लगा तथा एक्स ग्रेसिया का बिल इलाहाबाद से सन् १९७४/७५ का बनवाकर कर्मचारी ने खंड कार्यालय में जमाकर दिया उसका भुगतान भी नहीं किया गया । भुगतान अतिशीघ्र किया जावे ।	श्री कमरुल इस्लाम, लाइनमैन की सेवा-पुस्तिका विद्युत वितरण खंड, गोंडा से अधिशासी अभियन्ता, बहराइच को दिनांक १२—२—७८ को प्राप्त हुई है और वार्षिक बढ़ोत्तरी देने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बहराईच द्वारा कार्यवाही की जा रही है । श्री कमरुल इस्लाम का एक्स-ग्रेशिया भुगतान का बिल प्री-आडिट के लिये ड्यू था जिसे अधिशासी, अभियन्ता, बहराईच द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, इलाहाबाद को भेजा गया है । यह भुगतान विद्युत वितरण खंड, इलाहाबाद से देय है ।

चौथी मांग

पयागपुर उपखंड तृतीय तथा द्वितीय के किसी भी कर्मचारी को १९७२ के बाद ई० पी० एफ० की रसीदें उपलब्ध नहीं की गई हैं।

ई० पी० एफ० की रसीदें १९७४–७५ तक प्राप्त करके सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को बांटी जा चुकी हैं।

पांचवी मांग

श्री भगौती प्रसाद शुक्ला, एस० एस० ए०, पयागपुर का इन्क्रीमेन्ट एरियर उपखंड प्रथम से २६ अगस्त, १९६३ से ३१ जनवरी, १९७६ तक का अभी भी भुगतान नहीं किया गया उनका शीघ्र भुगतान किया जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, एस० एस० ए० की वार्षिक बढ़ोत्तरी स्वीकृत करके इन्क्रीमेन्ट का बकाया भुगतान किया जा चुका है।

छठवीं मांग

श्री नानमून, दक्ष कुली, पयागपुर, उप खंड तृतीय को १५–४–७२ से रेगुलर होना था। परन्तु उन्हें १६–१–७३ से रेगुलर किया गया। तिथि ठीक की जावे।

खंड कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ही श्री नानमून, दक्ष कुली को रेगुलर किया गया है।

सातवीं मांग

श्री पारस, लाइन मैन, जो दिसम्बर, १९६३ में रेगुलर पेट्रोलमैन हुआ था तथा १९७२ में बहराइच में लाइनमैन हो गया उन्हें १९६३ से १९७२ तक कोई इन्क्रीमेन्ट नहीं मिला छानबीन करके इन्क्रीमेन्ट एरियर का भुगतान किया जाय।

श्री पारस, लाइन मैन की वार्षिक बढ़ोत्तरियां १९७२ के पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। कुछ आंशिक डी० ए० का भुगतान अवशेष है जिसका भुगतान प्री–आडिट के उपरान्त किया जायगा। अधिशासी अभियन्ता, बहराइच ने अधीक्षण अभियन्ता, गोंडा को इसे प्री–आडिट करवाने के लिये दिनांक १३–२–७८ को अग्रसारित कर दिया है।

आठवीं मांग

श्री झिर्री, लाइनमैन, उपखंड चतुर्थ का एरियर १–४–७२ से १–८–७२ तक चार माह का उपखंड प्रथम से भुगतान होना था जो नहीं हुआ। शीघ्र भुगतान किया जावे।

श्री झिर्री, लाइनमैन का बकया भुगतान प्री–आडिट हेतु ड्यू हो चुका है जिसकी आवश्यक स्वीकृति मिलने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

नवीं मांग

श्री श्याम दत्त उपाध्याय, दक्ष कुली जो विभाग में ८–६–७१ से १०–८–७५ तक रहे, को गलत आरोप लगाकर रिश्वत लेने के केस में १०–८–७५ को सेवा से निकाल दिया गया

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, बहराइच द्वारा श्री श्यामदत्त उपाध्याय के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गयी थी क्योंकि नौकरी से पृथक् किये जाने की तिथि

जब कि बोर्ड ने अपने पत्र संख्या १८२४ एन० जी/एस० ई० बी०-७५-५९ के/७२, दिनांक ३० अप्रैल, १९७५ को ही उन्हें रेगुलर कर दिया था तथा जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद ने पत्र संख्या ८६०७ एच० एफ०/ई-१९/एल, दिनांक २२-५-७५ के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, बहराइच को भेजा था, जब कर्मचारी को ३०-४-७५ को ही बोर्ड द्वारा रेगुलर कर दिया गया तो कर्मचारी को सेवा से निकाल देने का कोई औचित्य नहीं था। रेगुलर कर्मचारी को सस्पेन्ड करना चाहिये था। अतः उक्त कर्मचारी की सेवा में लेने के लिये कार्यवाही की जाय।

तक वह वर्कचार्ज इस्टेबलिशमेन्ट में थे। अतः उनको निलम्बित करने का कोई प्रश्न नहीं था।

दसवीं मांग

श्री करिया, लाइन मैन, रिसिया सब-स्टेशन के भटेरा फोडन ने शिकायत की कि उनके पास कोई टी० एन्ड पी० नहीं है। टी० एन्ड पी० न होने के कारण उक्त कर्मचारी बिजली का शिकार हो चुका है। अतः इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री करिया, लाइन मैन को टी० एन्ड पी० का प्रबन्ध किया जा चुका है।

ग्यारहवीं मांग

डीजल पावर हाउस की सफाई जो अभी ठेकेदार द्वारा कराई गई है, वह अपूर्ण है। सही सफाई कराई जाये।

डीजल पावर हाउस की सफाई पूर्ण कर दी गई।

बारहवीं मांग

डीजल पावर हाउस की टीन शेड क्वार्टरों की मरम्मत अतिशीघ्र कराई जाये जैसे खिड़की, दरवाजे, छत आदि।

डीजल पावर हाउस में टीन शेडों की यथा सम्भव मरम्मत करवाई जा चुकी है।

तेरहवीं मांग

समस्त सब-स्टेशनों पर प्रथम एड के बाक्स में दवा रखी जाय।

समस्त उपकेन्द्रों पर फर्स्ट ऐड बाक्स पहले ही भिजवाया जा चुका है। जिनमें दवाइयां नहीं थी, उनका प्रबन्ध किया जा चुका है।

चौदहवीं मांग

समस्त सब-स्टेशनों के क्वार्टरों के दरवाजे खिड़की टूटे हैं तथा रंगाई, पुताई एवं रोशनी की भी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं है जैसे पयागपुर, नानपारा, केसरगंज, रिसिया, इकौना, सीतादार टाउन नं० २ दरगाह आदि ।

नानपारा, रिसिया, सीतादार आदि उपकेन्द्रों की सफाई एवं पुताई की जा चुकी है तथा शेष पर कार्य जारी है ।

पन्द्रहवीं मांग

बेचई लाल, वक्ष कुली से दिनांक २८-१०-७७ को श्री एच० आर० श्रीवास्तव, जूनियर इन्जीनियर एवं उनके साथ और कुछ लोगों ने उप खंड प्रथम के कार्यालय की चाबी रात्रि १२ बजे मांगी क्योंकि उन्हें कागज निकालने थे । श्री बेचई लाल ने कहा कि चाबी उसके पास नहीं है । तथा वह सहायक अभियन्ता द्वारा अस्थायी तौर पर चौकीदार नियुक्त किये गये हैं । इस पर उक्त अवर अभियन्ता गाली देते हुए कार्यालय के दरवाजे तोड़ने का प्रयास करने लगे और बेचई लाल को जान माल की धमकी देते हुए अपने साथियों के साथ बाहर निकल गए । उक्त अवर अभियन्ता की पहले भी कई शिकायतें हैं । उचित कार्यवाही करते हुए अवर अभियन्ता को दंडित किया जाय ।

श्री हरी राम श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण बस्ती के लिये कर दिया गया है । उनके विरुद्ध आवश्यक जांच जारी है ।

नत्थी 'छ'

तालिका

(देखिये पीछे पृष्ठ ८८ पर ।)

माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, १९७८ में उपलवृष्टि से हुई क्षति का विवरण

क्रम-सं०	प्रभावित जिलों के नाम	घटना की तिथि	प्रभावित गांवों की संख्या/तहसीलों के नाम	प्रभावित बोया हुआ क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रबी फसलों को क्षति (प्रतिशत में)	अनुमानित मूल्यांकन (रु० में)
१	२	३	४	५	६	७
१	मुजफ्फरनगर	२-३-७८ ११-३-७८ १७-३-७८	३३५	अनुमान लगाया जा रहा है	१५ से ८५	६९,३०,२५७
२	मेरठ	१७-३-७८	—	—	१० से १५	—
३	बुलन्दशहर	१७-२-७८	२१	अनुमान लगाया जा रहा है	१२ से २५	अनुमान लगाया जा रहा है
		११-३-७८	९८	२,२५८	१२ से ६०	४,४०,०००
४	बिजनौर	१७-२-७८ १-१३-७८	१० (तहसील नगीना)	२,८४६	१५ से ३५	अनुमान लगाया जा रहा है

५	अलीगढ़	२१–१–७८ १–३–७८ २–३–७८ ११–३–७८	१४५ (तहसील सिकन्दर राव (तहसील कोल) (,, हाथरस)	९,७३७	१५ से ६३	८,६८,२००
६	मथुरा	१७–२–७८ २–३–७८ १८–३–७८	७१ २८२	१९,७१०	२० से ७५ अनुमान लगाया जा रहा है	१,४७,००,००० ४५,००,०००
७	आगरा	१६–२–७८ १७–२–७८ ४–३–७८ १७–३–७८	३१२ तहसील किरावली ,, फिरोजाबाद ,, एतमादपुर ,, आगरा	६८,७१३	१० से ६०	५८,८५,४५०
८	मैनपुरी	१७–२–७८ ४–३–७८ १७–३–७८	३६३ तहसील भोगांव ,, करहल ,, शिकोहाबाद ,, मैनपुरी ,, जसराना	३५,८२४	२५ से १००	८२,५०,०००
९	एटा	जनवरी, १९७८ १७–२–७८ १–३–७८ २–३–७८ ३–३–७८ ६–३–७८ १७–३–७८	१८८ ९७	१४,०५४ अनुमान लगाया जा रहा है	५ से ४० १५ से ४०	६९,९०० अनुमान लगाया रहा है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
१०	बरेली	७–२–७८ १७–२–७८ १८–३–७८	५४५ तहसील बरेली ,, बहेरी ,, आंवला ,, नवाबगंज ,, फरीदपुर	२३,०/००	२० से ८०	१९,६१,६६५
११	बदायूं	१७–२–७८ ४–३–७८	७५ तहसील बदायूं ,, बिसौली	४,७६८	५ से ३०	३३,९५,३५०
१२	शाहजहांपुर	जनवरी, १९७८ १८–२–७८ १०–३–७८	५७५	२५,८११	१५ से ८०	९,१४,२६६
१३	पीलीभीत	७–२–७८	३५	३,११४	५० से अधिक	१२,५५,६३०
१४	मुरादाबाद	१७–२–७८ ११–३–७८ १७–३–७८	१२८४ तहसील सम्भल ,, मुरादाबाद ,, बिलारी ,, ठाकुरद्वारा ,, अमरोहा ,, हसनपुर	४०,७१९	१० से ८०	२,४३,८०,५३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५	फर्रुखाबाद	२१–१–७८	९०९	१,०२,१६३	५ से ६०	६,६६,६६,८०४
		१७–२–७८	तहसील कायमगंज			
		४–३–७८	,, फर्रुखाबाद			
		११–३–७८	,, छिबरामऊ			
			,, कन्नौज			
१६	इटावा	१७–२–७८	२८३	६,०००	१० से ६५	६०,००,०००
		४–३–७८	तहसील इटावा			
		१०–३–७८	,, औरैया			
		११–३–७८	,, बिधूना			
१७	कानपुर	२१–१–७८	८४८	१,०१,६३१	१० से ८०	५,६६,६०,६५०
		१७–२–७८	तहसील कानपुर			
		४–३–७८	,, घाटमपुर			
		१०–३–७८	,, भोगनीपुर			
		११–३–७८	,, डेरापुर			
			,, अकबरपुर			
			,, बिल्हौर			
१८	फतेहपुर	१७–२–७८	११४	११,४६८	२५ से ६५	२,३६,६७,२००
१९	इलाहाबाद	१७–२–७८	१०२५	७४,०००	२५ से १००	३,६५,००,०००
		४–३–७८	तहसील फूलपुर			
		१२–३–७८	,, हंडिया			
		२८–३–७८	,, मेजा			
			,, चायल			
			,, मंझनपुर			
			,, करछना			

अनुपूरक प्रश्न विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
२०	बांदा	२१–१–७८	६९४	१,०२,८९०	२० से१००	५,७९,९४,४६६
		६–२–७८				
		७–२–७८	तहसील बांदा			
		१२–२–७८	,, बहेरू			
		१७–२–७८	,, नरैनी			
		१८–२–७८	,, करवी			
		४–३–७८	,, मऊ			
		११–३–७८				
		१२–३–७८				
२१	हमीरपुर	२१–१–७८	२१८	२९,४७८	२५ से ७५	२६,६६,२३६
		७–२–७८				
		१२–२–७८				
		१६–२–७८				
		११–३–७८				
२२	झांसी	२१–१–७८	३६३	७५,०३४	१० से१००	४,३७,४२,०००
		७–२–७८	तहसील गरोठा			
		१२–२–७८	,, मऊ			
		१७–३–७८	,, मोठ			
२३	ललितपुर	७–२–७८	२२३	१०,०७६	४० से ७५	४,५२,९००
		९–३–७८				
		१०–३–७८	,, झांसी			
		१३–३–७८				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२४	जालौन	११–३–७८ १२–३–७८ १७–३–७८	३५२	३२,१२८	१२ से ४९	१,८०,०१,५६०
२५	वाराणसी	४–३–७८	५६२	अनुमान लगाया जा रहा है	५० तथा अधिक	अनुमान लगाया जा रहा है
२६	मिर्जापुर	फरवरी, १९७८ ४–३–७८ १२–३–७८ २०–३–७८	१२४१	अनुमान लगाया जा रहा है	१० से ६०	७,११,४८,७०५
२७	गाजीपुर	३–२–७८ २९–३–७८	६०६ तहसील सैदपुर ,, गाजीपुर ,, जमानिया ,, मोहम्मदाबाद	२३,२४८	२५ से ८०	४,४५,१४,३८९
२८	गोरखपुर	जनवरी, १९७८ ७–२–७८ १७/१८ २–७८ १२–३–७८	२०५ तहसील फरेन्दा ,, महाराजगंज	२,४४४	१० से ३०	३५,७७,९००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
२९	बस्ती	७/८–२–७८ १७/१८–२–७८ १२–३–७८ १८–३–७८	२०३० तहसील नौगढ़ ,, बांसी ,,डोमरियागंज ,, खलीलाबाद ,, हरैया ,, बस्ती	६२,९५३	१० से १००	५,१२,१७,२७७
३०	नैनीताल	७–२–७८ ८–२–७८ १७–२–७८ २–३–७८ ७–३–७८	१२२ तहसील खटीमा ,, सितारगंज ,, काशीपुर ,, काला ढूंगी ,, हल्द्वानी	७,९१३	२० से ८०	अनुमान लगाया जा रहा है
३१	चमोली	मार्च, १९७८	६२६	अनुमान लगाया जा रहा है	५ से ३६	अनुमान लगाया जा रहा है
३२	उत्तरकाशी	१७–३–७८ १८–३–७८	२९	१६०	५ से ४५	तदेव
३३	देहरादून	१७–३–७८	१२	१,३५८	४० से ७०	अनुमान लगाया जा रहा है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३४	लखनऊ	२१–१–७८ १७–२–७८ ३–३–७८ ४–३–७८ १८–३–७९	७१० तहसील लखनऊ ,, मलिहाबाद ,, मोहनलाल–गंज	५६,७६७	२५ से१००	१,०५,५०,०००	
३५	उन्नाव	७–२–७८ १७–२–७८	४३७ तहसील उन्नाव ,, हसनगंज ,, पुरवा ,, सफीपुर	४३,२५८	२५ से१००	२,७७,३२,५००	
३६	रायबरेली	७–२–७८	२० तहसील रायबरेली	४५७	२५ से१००	३,५१,४००	
३७	सीतापुर	७–२–७८ १७–२–७८ ४–३–७८ ११–३–७८	५३२ तहसील सीतापुर ,, महमूदाबाद ,, बिसवां ,, मिश्रिक ,, सिधौली	४३,८०२	३० से१००	३,८७,०९,६८४	
३८	हरदोई	१७–२–७८ ४–३–७८	३९४ तहसील हरदोई ,, शाहाबाद ,, संडीला ,, बेलग्राम	७१,५८१	५ से १००	४,४२,१५,४४५	
३९	खीरी	७–२–७८ ११–३–७८	२५४	अनुमान लगाया जा रहा है	२५ से१००	५३,२१,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
४०	गोंडा	७–२–७८ १७–२–७८ १२–३–७८ १८–३–७८	५५१	अनुमान लगाया जा रहा है	१५ से१००	५,५५,८६,७००
४१	बहराइच	२१–१–७८ ७–२–७८ १७–२–७८ ४–३–७८ ८–३–७८	३२१ तहसील कैसरगंज ,, भिंगा ,, बहराइच	२६,३२४	१० से१००	७६,६५,६००
४२	बाराबंकी	१७–२–७८	५४६	५१,५०४	१० से१००	२,४४,५२,५३५
४३	प्रतापगढ़	२६–३–७८	५००	अनुमान लगाया जा रहा है	५० से ८०	अनुमान लगाया जा रहा है
	योग ..		१६,१७६	११,६०,१६४		७८,७५,७९,४०३

प्रधान सभा

ओले से प्रभावित प्रदेश के ४३ जिलों को आपदा तकावी तथा अहेतुक सहायता के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि का विवरण

क्रम-सं०	जिला	राजस्व परिषद् द्वारा जिलों को आपदा तकाबी के मद में आवंटित धनराशि ७७-७८ (१७-३-७८ तक)		शासन द्वारा अहेतुक सहायता के मद में आवंटित धनराशि वर्ष १९७७-७८ (१७-३-७८ तक)	
				निःशुल्क सहायता	
		१-४-७७ से ३१-१२-७७ तक	१-१-७८ से १७-३-७८ तक	१-४-७७ से ३१-१२-७७ तक	१-१-७८ से १७-३-७८ तक
१	२	३	४	५	६
१	मुजफ्फरनगर	३,०७,०००	—	४०,०००	—
२	मेरठ	४,००,०००	६०,०००	३०,०००	—
३	बुलन्दशहर	४,३५,०७०	—	९५,०००	२१,०००
४	बिजनौर	४०,०००	—	४०,०००	२,४२५
५	अलीगढ़	७,००,०००	४०,०००	३,५०,०००	—
६	मथुरा	३८००,०००	२,४०,०००	७,६०,०००	—
७	आगरा	२,००,०००	८०,०००	९०,०००	२,०००
८	मैनपुरी	१,११,४००	२५,०००	४०,०००	—
९	एटा	१,७०,०००	—	९०,०००	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
१०	बरेली	२५,०००	१५,०००	६४,०००	—
११	बदायूं	२,००,०००	—	८५,०००	—
१२	शाहजहांपुर	१,००,०००	—	५५,०००	२,०००
१३	पीलीभीत	१,७०,०००	—	६०,०००	४,०००
१४	मुरादाबाद	१,७५,०००	—	६५,०००	२,०००
१५	फर्रुखाबाद	५५,०००	—	२५,०००	२,०००
१६	इटावा	२,००,०००	—	६०,०००	—
१७	कानपुर	५०,०००	८,०००	५०,०००	२,०००
१८	फतेहपुर	५०,०००	२६,०००	१६,०००	२,०००
१९	इलाहाबाद	७५,०००	—	५०,०००	१०,०००
२०	बांदा	१,००,०००	—	२०,०००	६०,५००
२१	हमीरपुर	२,१०,०००	—	३०,०००	—
२२	झांसी	२५,०००	२,५०,००	१०,०००	३६,०००
२३	जालौन	७५,०००	—	२०,०००	—
२४	ललितपुर	२५,०००	—	१०,०००	२,०००
२५	वाराणसी	२५,०००	—	१२,०००	२,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२६	मिर्जापुर	७५,०००	--	८०,०००	--
२७	गाजीपुर	३,००,०००	—	४०,०००	२,०००
२८	गोरखपुर	२,७५,०००	—	१,७०,०००	—
२९	बस्ती	५,५०,०००	४७,६५०	१,२०,०००	२८,०००
३०	ननीताल	८५,०००	--	१,१०,०००	२,०००
३१	चमोली	१,००,०००	—	३०,०००	—
३२	उत्तरकाशी	—	--	२०,०००	—
३३	देहरादून	२०,०००	—	४०,०००	२,०००
३४	लखनऊ	५०,०००	—	२२,०००	५,०००
३५	उन्नाव	६५,०००	१५,०००	५०,०००	६२,०००
३६	रायबरेली	४०,०००	—	३०,०००	२,०००
३७	सीतापुर	४५,०००	—	४५,०००	१८,० ०
३८	हरदोई	१,७०,०००	२५,०००	४०,०००	३०,०००
३९	खीरी	१,१०,०००	—	१,१०,०००	१२,०००
४०	गोंडा	८०,०००	—	५०,०००	—
४१	बहराइच	३,७०,०००	—	७५,०००	२,०००
४२	बाराबंकी	१,००,०००	—	५५,०००	—
४३	प्रतापगढ़	३,२५,०००	—	५०,०००	—
	योग	१,०१,५६,४००	८,३१,६५०	३३,०४,०००	३,१४,६२५
	कुल योग	१,०६,८८,०५०			३६,१८,६२५

नस्थियां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष १९७७-७८ में टेस्ट वर्क के मद में जिलों को आवंटित धनराशि

क्रम-सं०	जिले के नाम	आवंटित धनराशि ३१-१२-१९७७ तक	आवंटित धनराशि १-१-७८ से ३०-३-७८ तक	योग
१	बस्ती	१०,००,०००	२३,००,०००	३३,००,०००
२	देवरिया	६,००,०००	४,०००	६,०४,०००
३	नैनीताल	१,१५,२००	१,३१,०००	२,४८,२००
४	मथुरा	९५,०००	--	९५,०००
५	गाजीपुर	२,००,०००	--	२,००,०००
६	बलिया	२५,०००	--	२५,०००
७	एटा	७५,०००	--	७५,०००
८	पिथौरागढ़	५०,०००	--	५०,०००
९	हरदोई	१,००,०००	--	१,००,०००
१०	मिर्जापुर	१,२५,०००	--	१,२५,०००
११	हमीरपुर	१,००,०००	--	१,००,०००
		२४,८५,२००	२४,३५,०००	४९,२०,२००

नोट--सिंचाई विभाग की आवंटित धनराशि २३,५०,०००

४९,२०,२००-००

२३,५०,०००-००

योग .. ७२,७०,२००-००

पी० एस० यू० पी०--१४ वि० सभा--२१-७-७८-८४३ (पी० डी०) ।